ISSN 2455-6181

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर 126वीं जयंती विशेषांक

वर्ष : 14 अंक : 4 अप्रैल 2016 ₹ 20

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

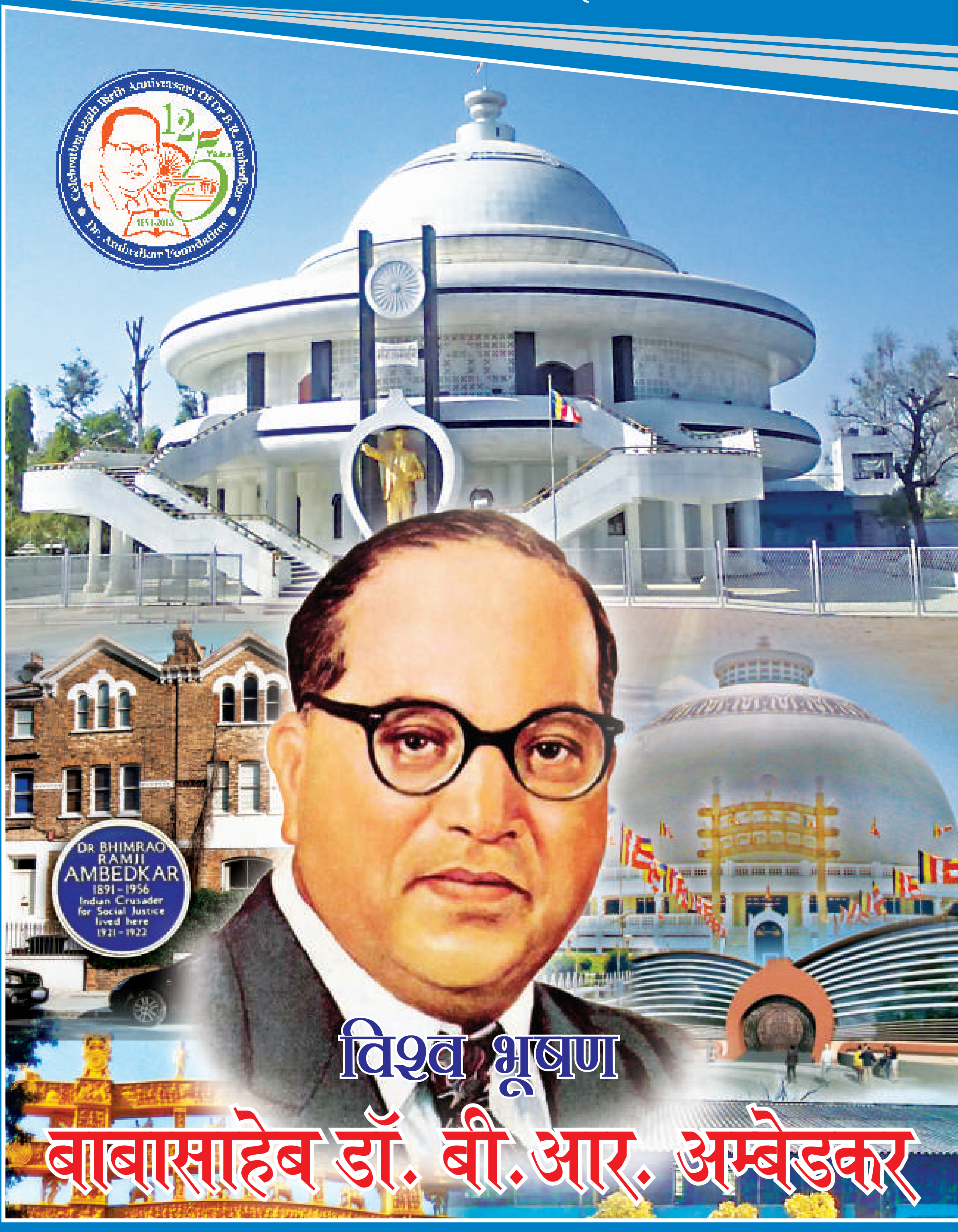

भारत का संविधान

हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

वर्ष : 14 ★ अंक : 4 ★अप्रैल 2016 ★ कुल पृष्ठ : 72

सम्पादक
सुधीर हिलसायन

सम्पादक मंडल
प्रो. राजकुमार फलवरिया
प्रो. शैलेन्द्रकुमार शर्मा
डॉ. प्रभु चौधरी

सम्पादकीय कार्यालय
सामाजिक न्याय संदेश
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
15 **जनपथ, नई दिल्ली-**110001
सम्पादकीय सम्पर्क **011-23320588**
सब्सक्रिप्शन सम्पर्क 011-**23357625**
फैक्स : 011-23320582
ई.मेल : hilsayans@gmail.com
editorsnsp@gmail.com
वेबसाईट: www.ambedkarfoundation.nic.in

(सामाजिक न्याय संदेश उपर्युक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है)

आवरण परिकल्पना : सुधीर हिलसायन

व्यापार व्यवस्थापक
जगदीश प्रसाद

प्रकाशक व मुद्रक **जी.के. द्विवेदी**, निदेशक (डॉ.अ.प्र.) द्वारा डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) के लिए इंडिया ऑफसेट प्रेस, ए-1, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली 110064 से मुद्रित तथा 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित व **सुधीर हिलसायन**, सम्पादक (डॉ.अ.प्र.) द्वारा सम्पादित।

सामाजिक न्याय संदेश में प्रकाशित लेखों/रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। प्रकाशित लेखों /रचनाओं में दिए गए तथ्य संबंधी विवादों का पूर्ण दायित्व लेखकों /रचनाकारों का है। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए भी सामाजिक न्याय संदेश उत्तरदायी नहीं है। समस्त कानूनी मामलों का निपटारा केवल दिल्ली/नई दिल्ली के क्षेत्र एवं न्यायालयों के अधीन होगा।

RNI No. : DELHIN/2002/9036

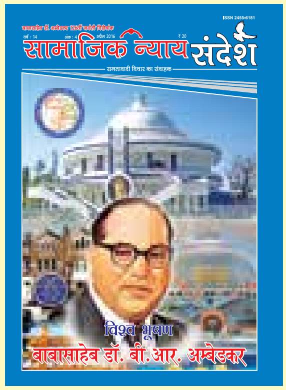

इस अंक में

- सम्पादकीय/विश्व भूषण बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर — सुधीर हिलसायन — 2
- साक्षात्कार / थावरचन्द गेहलोत — 4
- बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर : एक अनुपम व्यक्तित्त्व — डॉ. रामभक्त लाँगायन — 8
- बहुआयामी प्रतिभा के धनी डॉ. अम्बेडकर — आनन्द श्रीकृष्ण — 14
- दूरदृष्टा बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर — डॉ. आर.एस. कुरील — 26
- दर्शनशास्त्री, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री एवं पत्रकार डॉ. अम्बेडकर — प्रो. श्यौराज सिंह बेचैन — 30
- विश्व मानवतावाद एवं डॉ. अम्बेडकर का चिंतन — डॉ. प्रभु चौधरी — 37
- पुस्तक अंश/डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर – जीवन चरित — धनंजय कीर — 40
- सामाजिक समानता के पक्षधर : डॉ. अम्बेडकर — डॉ. बी.आर. धर्मेन्द्र — 46
- पुस्तक अंश/कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया — डॉ. बी.आर. अम्बेडकर — 48
- डॉ. अम्बेडकर की विचारधारा और स्त्री साहित्य — डॉ. रजत रानी मीनू — 57
- भारतीय समाज में मानवाधिकारों के प्रश्न और डॉ. अम्बेडकर — वंदना — 61

ग्राहक सदस्यता शुल्क : वार्षिक ₹ 100, द्विवार्षिक : ₹ 180, त्रैवार्षिक : ₹ 250

डिमांड ड्राफ्ट/मनीऑर्डर डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन, 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 के नाम भेजें। चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

सम्पादकीय सम्पर्क 011-23320588   सब्सक्रिप्शन सम्पर्क 011-23357625

सम्पादकीय

विश्व भूषण बाबासाहेब

तब के मध्य प्रांत में, आज के इंदौर, स्थित महू (मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार) कैन्ट में दिनांक 14 अप्रैल 1891, दिन मंगलवार को बालक भीमराव जन्म लेते हैं। वर्ष 1907 में मैट्रिक, 1913 में बी.ए. उत्तीर्ण करने के उपरांत 2 फरवरी 1913 को पिता के खोने के बावजूद शोकाकुल परिवेश/परिस्थितियों से गुजरते हुए भी कोलम्बिया विश्वविद्यालय न्यूयार्क में उच्च शिक्षा ग्रहण करने की इच्छाशक्ति में कोई ह्रास नहीं आने देना और सात समंदर पार जाकर राजनीतिक शास्त्र-अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र जैसे विषयों के अकादमिक अध्ययन से इतर इन विषयों को व्यावहारिक धरातल व व्यावहारिक समस्याओं से जोड़ते हुए अध्ययन करना, खाने के पैसे बचाकर पुस्तकें खरीदना, पुस्तकालयों में देर रात तक बैठकर पुस्तकें पढ़ना और जरूरी नोट्स बनाना आदि उनके शिक्षण काल के ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। उपरोक्त सम्यक विश्लेषण आपको शीघ्रता से इस नतीजे पर पहुंचाता है कि भीमराव एक ऐसे युवक थे जो भलीभांति जानते थे कि भारतीय समाज व्यवस्था के विरोधाभासों को किसी तलवार से नहीं बल्कि कलम से ही ध्वस्त किया जा सकता है। इसलिए दूरदृष्टि से परिपूर्ण बालक 'भीमराव की कलम' भी विश्राम के लिए तरसती रही होगी। अपने जीवन के आखिरी दिनों में जब उन्हें विश्राम की जरूरत थी तब भी वो अपनी कलम को विश्राम नहीं देते थे। अपने जीवन के आखिरी दिन भी उनकी कलम खूब चली थी। उनकी कलम की स्याही जितनी चलती थी उनके शरीर का ब्लड शुगर उतना ही बढ़ता था। चिकित्सकों के लाख मना करने के बावजूद भी काम करने की अपनी इच्छा को उन्होंने कभी नियंत्रित नहीं किया। यही कारण है कि उनका ब्लड शुगर भी कभी पूरी तरह नियंत्रित नहीं रह पाता था। दरअसल ब्लड शुगर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज्यादा पढ़ने-लिखने और सोचने विचारने वाले लोगों को काफी परेशान करती है। यहां यह बताना उल्लेखनीय है कि 'भारतीय संविधान' के निर्माण में उनकी तल्लीनता और व्याकुलता का ही परिणाम यह हुआ है कि आज तमाम धर्मों के ग्रंथों को पछाड़ता हुआ बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर द्वारा निर्मित 'भारतीय संविधान' देश का सबसे बड़ा धर्मग्रंथ है। इस धर्मग्रंथ का ही परिणाम है कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, बल्कि संवैधानिक अधिकारों ने इस देश के अमीर-गरीब सभी नागरिकों को बराबर के वोट का अधिकार प्रदान किया है जो अपने वोट की इस ताकत से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजा अर्थात् राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद आदि पैदा करता है। यह वोट की ताकत व्यक्ति को अर्श पर भी पहुंचाता है और फर्श पर भी पहुंचाता है।

एक ऐसे परिवार का व्यक्ति जिसे सामाजिक व्यवस्था ने पढ़ने-लिखने के अवसर प्रदान करने में रोड़े अटकाए। प्रतिकूलता के बावजूद भी ये अपने लक्ष्य-पथ पर अग्रसर रहते हैं। निःसंदेह लक्ष्य पथ पर अग्रसर होने की व्याकुलता भीमराव को अपने पिता के कुशल

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

मार्गदर्शन एवं मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत जनवरी 1908 में कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर से प्राप्त पुस्तक 'बुद्ध चरित' का बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। वंचित तबके से आने वाले भीमराव पहले छात्र थे जिन्होंने दुनियां के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। इसमें बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ का सहयोग उल्लेखनीय है।

बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जीवन, शिक्षण एवं कार्य को इस स्तंभ के दो पन्नों में पंक्तिबद्ध करना संभव नहीं है। 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रकाशित होने वाले इस जयंती विशेषांक में विद्वान लेखकों ने उनके जीवन, दर्शन, शिक्षा दर्शन, आर्थिक दर्शन, पत्रकारिता दर्शन, कानून दर्शन पर कलम चलाई है। पिछला वर्ष बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर की 125वीं जयंती का साल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान व सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से इस वर्ष सोल्लास पूर्वक मनाया गया है। साल भर देश-विदेश में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष डॉ. अम्बेडकर से जुड़े भूमियोंः- जन्म भूमि - महू, शिक्षा भूमि - 10 किंग हेनरी रोड, लंदन, दीक्षा भूमि - नागपुर, परिनिर्वाण भूमि - 26 अलीपुर रोड, चैत्यभूमि - दादर, मुम्बई, पैतृक गांव - अम्बावडे, आदि को भव्य रूप से विकसित करने का कार्य भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हुआ तथा वर्षों से अटकी परियोजनाओं को गति मिली।

14 अप्रैल 2016 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर की जयंती के दिन से 24 अप्रैल 2016 पंचायती राज दिवस तक भी डॉ. अम्बेडकर की स्मृति में अनेकानेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यहां यह बताना समीचीन होगा कि डॉ. अम्बेडकर जयंती वर्ष में कार्यक्रमों की धूम का परिणाम ही है कि संयुक्त राष्ट्र में पहली बार बहुआयामी प्रतिभा के धनी बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के कार्य-कर्म क्षेत्र में राष्ट्रीयता-अन्तर्राष्ट्रीयता की झलक देखी-समझी जा सकती है। यही कारण है कि कोलम्बिया विश्वविद्यालय में अध्ययन करके विश्वपटल पर अपनी पताका फहराने वाले विद्वानों में डॉ. अम्बेडकर अव्वल हैं। कोलम्बिया विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध पुस्तकालय में बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर की आवक्ष प्रतिमा का लगाया जाना भी इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि सात समन्दर पार भी उनके विचार का झंडा लहरा रहा है और उनकी काबिलियत को मान्यता मिल रही है।

अपनी योग्यता एवं उपलब्धियों के कारण डॉ. अम्बेडकर को विभिन्न उपाधियों से सम्मानित किया जा चुका है। 5 जून 1952 को उन्हें कोलम्बिया विश्वविद्यालय ने 'डॉक्टर ऑफ लॉज' की उपाधि से विभूषित किया था। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर कहा करते थे-'अपने ज्ञान में वृद्धि करो, संसार आपको मान्यता अवश्य देगा।'

हमने इस विशेषांक में डॉ. अम्बेडकर को समग्रता में समझने व समझाने के उद्देश्य से लेखों साक्षात्कार को पेश करने की कोशिश की है। आशा है यह अंक बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर को समझने में मददगार साबित होगा। विश्व भूषण बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर की 126वीं जयंती के अवसर पर 'सामाजिक न्याय संदेश' की ओर से सुधी पाठकों, लेखकों, को हार्दिक शुभकामनाएं।

(सुधीर हिलसायन)

साक्षात्कार

थावरचन्द गेहलोतः सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री एवं अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

हमारी सरकार बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर को समग्रता में समझने व समझाने के लिए कृत संकल्प

विश्व प्रसिद्ध समतावादी चिंतक और विधिवेत्ता बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का आधुनिक भारत के निर्माण में अविस्मरणीय योगदान रहा है। शोषित समुदाय की पीड़ा को व्यापक संदर्भों में रेखांकित करते हुए उन्होंने व्यापक सामाजिक-राजनैतिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया था। 'बाबासाहेब' के नाम से सुविख्यात डॉ. अम्बेडकर भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार हैं। सही अर्थों में समूची मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था। उनके जीवन, कृतित्व और संदेशों को लेकर देश के वरिष्ठ नेता, भारत के **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री एवं डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान** *के अध्यक्ष* **श्री थावरचंद गेहलोत जी** *से सम्पादक सुधीर हिलसायन, प्रो. राजकुमार फलवरिया एवं डॉ. प्रभु चौधरी ने 'सामाजिक न्याय संदेश' मासिक के लिए विस्तृत बातचीत की, जिसका प्रमुख अंश यहां प्रस्तुत हैं।*

-सम्पादक

▸▸ डॉ. अम्बेडकर का जीवन निरंतर संघर्षों और चुनौतियों में व्यतीत हुआ था। उनके जीवन के कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग बताएं, जो आपको गहराई से प्रभावित व प्रेरित करते हैं।

- मैंने जब डॉ. अम्बेडकर जी को पढ़ा, उनकी सोच ने मुझे प्रभावित किया। उनकी सोच का निष्कर्ष है समाज और राष्ट्र को सभी प्रकार के अन्याय और अत्याचार से मुक्त करना, संगठित होना, शिक्षित होना। छुआछूत और भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करते रहना। डॉ. अम्बेडकर ने विषम परिस्थितियों में उच्चतम स्तर की शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात् वे बड़े-बड़े पदों पर सेवाएं दे सकते थे, किन्तु उन्होंने सामाजिक समरसता के लिए समन्वयवादी सोच के आधार पर एक मार्ग अपनाया। राजनीति में भी सक्रिय हुए, सांसद बने, मंत्री बने लेकिन इस दिशा में लगातार प्रयास करते रहे। उन्होंने देखा कि सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक भेदभाव दूर नहीं हो पा रहा है। उन्होंने उसे समाप्त करने का प्रयास किया। समान नागरिक कानून, हिन्दू कोड बिल आदि को लेकर महत्त्वपूर्ण प्रयास किए। वित्तीय क्षेत्र में रिजर्व बैंक ऑफ़

इंडिया की अवधारणा दी। श्रमिकों के लिए पी.एफ., ग्रेच्यूटी जैसी व्यवस्थाओं को लेकर कार्य किया। महिलाओं के हित को लेकर बहुत कार्य किया। उन्होंने संविधान बनाने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया। देश और जनता के हित में सामाजिक समरसता लाने का प्रयास किया।

▸▸ शेषित-वंचित समाज के एक अंग के रूप में उसकी पीड़ा को डॉ. अम्बेडकर ने न सिर्फ स्वयं झेला था, वरन व्यापक परिप्रेक्ष्य में उस पीड़ा को समाप्त करने के लिए आजीवन कटिबद्ध रहे। डॉ. अम्बेडकर के संघर्ष को आप किस रूप में लेते हैं।

– समाज में व्याप्त भेदभाव-पूर्ण व्यवस्था को समाप्त करने में डॉ. अम्बेडकर का महत्त्वपूर्ण योगदान है। पूर्व में जाति-वर्ग जैसे कई स्तरों पर असमानता का व्यवहार होता था, जिसे समाप्त करने के साथ ही देश को समन्वय और समरसता की आवश्यकता है।

▸▸ स्वयं आपके अपने जीवन - संघर्ष में डॉ. अम्बेडकर के जीवन-संदेश किस तरह आपका दिशा - दर्शन करते रहे। आपने भी अपने जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव देखा है?

– अत्यंत विषम परिस्थितियों में मैंने पढ़ाई-लिखाई की। मैंने उतनी ही विषम परिस्थितियों को झेला जितनी डॉ. अम्बेडकर जी के सामने थी। अपने जीवन-संघर्ष के दौरान मैंने स्वयं डॉ. अम्बेडकर की कार्य-शैली के बहुत सारे बिंदुओं को जाना, समझा और उस पर अमल किया। पं दीनदयाल उपाध्याय, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लोकमान्य तिलक आदि ने जो प्रयास किए थे, मेरे जीवन पर उनका भी असर पड़ा। आज भी राजनीति के माध्यम से मेरे प्रयास जारी हैं।

▸▸ डॉ. अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए सामाजिक परिवर्तन के आदर्श को लेकर आपके क्या विचार हैं? उन आदर्शों को साकार करने के लिए किस प्रकार के प्रयत्नों की आवश्यकता है? भेदभाव से मुक्त समतामूलक समाज की स्थापना में डॉ. अम्बेडकर ने शिक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका मानी है? इस दिशा में वर्तमान शिक्षा प्रणाली की भूमिका से क्या आप संतुष्ट हैं?

– मैंने यह महसूस किया है कि एक वर्ग यह सोचता है कि डॉ. अम्बेडकर हमारे हितैषी थे। दूसरे वर्ग के कुछ लोग सोचते हैं कि वे हमारे विरोधी थे। मैंने अध्ययन किया कि वे सर्वव्यापी, सर्वहितैषी, सर्वस्पर्शी हैं। उनमें देशभक्ति का जज्बा था। वे लोकगति से समरसतामय देश का निर्माण करना चाहते थे। उनके विचार आज भी प्रेरणादयी हैं, प्रासंगिक हैं। हमारी शिक्षा में उन मूल्यों का समावेश अधिक से अधिक होना चाहिए जो हमें सभी प्रकार के भेदभाव और असमानता से ऊपर उठा दें। शिक्षा में अमीर-गरीब, छोटे-बड़े का भेद मिटाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए।

▸▸ स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श को पूर्ण करने में भारतीय संविधान से डॉ. अम्बेडकर की किस प्रकार की अपेक्षाएं रही हैं? उन्हें किस तरह पूरा किया जा सकता है? सामाजिक न्याय की दिशा में डॉ. अम्बेडकर जी की मान्यताओं को किस तरह लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए, जिससे समाज में कई स्तरों पर जारी अन्याय से हम मुक्त हो सकें?

– स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को स्थापित करना डॉ. अम्बेडकर का सर्वोपरि लक्ष्य रहा है। उन्होंने भारतीय संविधान की आधारशिला रखते हुए एक ऐसे आदर्श लोकतंत्र की परिकल्पना की है जिसे साकार करना होगा। 'सामाजिक न्याय' का आदर्श जन-जन तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि कानूनी प्रावधानों के साथ ही लोगों की मानसिकता में भी सकारात्मक परिवर्तन लाया जाए। सामाजिक न्याय की संकल्पना को साकार करने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का बड़ा महत्त्व है। देश - समाज के सचेतन लोगों को भी आगे आना होगा।

▸▸ भारतीय समाज में स्त्री की दुरावस्था को समाप्त करने के लिए डॉ. अम्बेडकर जी के विचारों और उनके द्वारा किये गए प्रयासों को लेकर आप क्या सोचते हैं?

– डॉ. अम्बेडकर ने समाज के शोषित, पीड़ित और दमित वर्ग के बारे में जितना सोचा, उतना ही महिलाओं के मान-सम्मान के बारे में विचार किया है। उन्होंने स्त्री-शिक्षा को विशेष महत्त्व दिया। स्त्री को पुरूषों के बराबर अधिकार दिलाने की योजना उनकी थी। संविधान के निर्माण में उन्होंने इस बात पर विशेष ध्यान दिया।

डॉ. अम्बेडकर ने जिस तरह के लोकतंत्र का सपना देखा था? उसे हम कितना पूरा कर पाए हैं और कितने दूर हैं?

– डॉ. अम्बेडकर द्वारा देखे गए लोकतंत्र के सपने को साकार करने के लिए आवश्यक है कि शत्-प्रतिशत् मतदान हो। प्रत्येक व्यक्ति बिना लोभ, लालच, भय या प्रलोभन के पूर्ण स्वतंत्र और निष्पक्ष सोच के आधार पर मतदान करें। मतदान को बढ़ाने की आवश्यकता है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से डॉ. अम्बेडकर के विचारों को साकार करने के लिए किस प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं? इस दिशा में आपकी नई योजनाएं क्या हैं? डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के माध्यम से मुख्य रूप से किन-किन दिशाओं में कार्य किये जा रहे हैं? आपकी आगे की क्या कार्य एवं योजनाएं हैं?

– डॉ. अम्बेडकर के सपनों को साकार करने की दृष्टि से 'मंत्रालय' और 'प्रतिष्ठान' निरंतर सक्रिय है। मंत्रालय की योजनाओं का लाभ तकरीबन 70 करोड़ लोग ले सकते हैं। इसके कार्य और लक्ष्य बहुआयामी हैं। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, किन्नर, कुष्ठ रोगी, वृद्धजन, घूमन्तु जन, सफाई कार्य में लगे सफाईकर्मी आदि लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की जाती है। जो विदेश जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें ऋण उपलब्ध करवाते हैं। स्वास्थ्य, प्रशिक्षण एवं स्वावलम्बन की दिशा में महिला और पुरूषों को सक्षम और संपन्न बनाने के प्रयास किए जाते हैं। मंत्रालय ने सभी वर्गों के हित संरक्षण की कार्य-योजना बनाई है।

डॉ. अम्बेडकर के विचारों के प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए 20 अप्रैल 2015 में जनपथ नई दिल्ली पर 'डॉ. अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया गया। लगभग 200 करोड़ रु. की लागत से केन्द्र बनना है। वहां बहुत जोर-शोर से निर्माण चल रहा है। यहां उनके विषय में हर दृष्टिकोण से अध्ययन-अनुसंधान किया जाएगा ताकि उन्हें समग्रता से समझा और समझाया जा सके। दिल्ली में ही अलीपुर रोड पर डॉ. अम्बेडकर के परिनिर्वाण स्थल पर 100 करोड़ रुपए की लागत से 'बाबासाहेब राष्ट्रीय स्मारक' बनाने का निर्णय लिया गया है। 21 मार्च 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका भी शिलान्यास किया है।

भारत सरकार ने 14 अप्रैल से 24 अप्रैल 2016 तक ग्राम स्वराज अभियान का आयोजन किया है। ग्रामों की आत्मनिर्भरता के लिए आपकी सरकार की अन्य क्या-क्या योजनाएं हैं?

– ग्रामों को आत्मनिर्भरता और सम्पन्न बनाने के लिए अधोसंरचना का विकास आवश्यक है। मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति गांव में ही हो जाएं, यह जरूरी है। कम से कम 5-5 कि.मी. की दूरी में सभी जरूरतें पूरी हो जाएं। गांव में रोजगार बढ़ाने की जरूरत है। इसके अभाव में शहरीकरण बढ़ रहा है। माननीय अटल जी द्वारा परिकल्पित 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.), किसान क्रेडिट कार्ड, नदी जोड़ने की योजना इसी दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम रहे हैं। गांवों में समृद्धि-सम्पन्नता आएगी तो 'समृद्ध भारत' का निर्माण स्वयं हो जाएगा। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व व कुशल मार्गदर्शन में बहुत तेजी से काम चल रहा है। इस बार के बजट में किसानों व ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया है। किसानों के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। हमारी सरकार के ये प्रयास गावों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए जा रहे हैं।

आज के समय में युवा भारत के नवनिर्माण के लिए डॉ. अम्बेडकर जी के किन संदेशों को आत्मसात करने की आवश्यकता है? वर्तमान दौर की समस्याओं और प्रश्नों के समाधान के लिए बाबासाहेब का चिंतन किस प्रकार की दिशा देता है?

– भारत में आज डॉ. अम्बेडकर के व्यक्तित्व, कृतित्व और सोच पर सही निष्कर्ष सामने लाने की जरूरत है। विशेषकर युवाओं के बीच उनके संदेशों का व्यापक सोच के साथ पहुंचाने की आवश्यकता है। सामाजिक कुरीतियों को छोड़ते हुए डॉ. अम्बेडकर जी के समन्वयवादी सोच के आधार पर देशवासियों को संस्कारवान, स्वाभिमानी और स्वावलम्बी बनाने के लिए प्रयास जरूरी हैं। आज के समय में हम तभी सफल हो सकते हैं जब डॉ. अम्बेडकर के सर्वहितैषी विचारों

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री एवं अध्यक्ष
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान : श्री थावरचन्द गेहलोत

को देशवासी आत्मसात् करें। हमारी सरकार ने बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए इस बार पंचायत स्तर पर डॉ. अम्बेडकर जयंती मनायी जा रही है। इस दिन सामाजिक समरसता सुनिश्चित करने के लिए शपथ पत्र भी तैयार किया गया है समाज के सभी वर्गों के लोग शपथ लेकर सामाजिक समरसता का संकल्प लेंगे।

- **125वीं जयंती वर्ष में भारत सरकार द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम किए गए, उसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय व डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान की अहम भूमिका रही है। आप डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं, निश्चय ही आप 125वीं जयंती वर्ष की सफलता के लिए बधाई के पात्र हैं। यह महीना जयंती वर्ष का आखिरी महीना है डॉ. अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समरसता दिवस के साथ ग्रामोदय से 'भारत उदय' योजना से ऐसा लग रहा है कि आपकी सरकार डॉ. अम्बेडकर के विचार-दर्शन के प्रति बहुत प्रतिबद्ध दिख रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे।**

भारत सरकार ने 14 अप्रैल को 'समरसता दिवस' के रूप में घोषित किया है। उनकी स्मृति में राष्ट्र ने 26 नवम्बर को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाया है। सरकार डॉ. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि स्वरूप 15 जनपथ, नई दिल्ली पर डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र और 26, अलीपुर रोड, दिल्ली पर डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक स्थापित कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 जनपथ, नई दिल्ली पर आयोजित एक समारोह में दिनांक 20 अप्रैल, 2015 को डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र का शिलान्यास किया। डॉ. अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष समारोहों के भाग के रूप में, सरकार ने दिनांक 30 सितम्बर, 2015 को डाक टिकट जारी किया है। प्रधानमंत्री जी द्वारा 7, रेसकोर्स रोड, नई दिल्ली पर आयोजित एक समारोह में दिनांक 06 दिसम्बर, 2015 को 10/- रुपये तथा 125/- रुपये मूल्य के स्मारक सिक्के जारी किए गए। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 125वीं जयंती वर्ष में डॉ. अम्बेडकर से जुड़े 5 स्मारकों- **जन्म भूमि** - महू इंदौर, (मध्य प्रदेश) शिक्षा भूमि - 10 किंग हेनरी रोड, लंदन, दीक्षा भूमि - नागपुर (महाराष्ट्र), परिनिर्वाण भूमि- 26 अलीपुर रोड, दिल्ली, चैत्यभूमि (अंतिम संस्कार स्थल) - दादर मुम्बई (महाराष्ट्र), को वृहत स्तर पर भव्य स्वरूप देने तथा सौंदर्यीकरण के लिए का काम बहुत तेजी से चल रहा है। उपरोक्त पांचों पवित्र भूमि को पंच तीर्थ के रूप में विकसित एवं संरक्षित करने की कार्रवाई की जा रही है।

सरकार उनकी 125वीं जयंती वर्ष को समुचित तरीके से भारत में ही नहीं मिशनों के माध्यम से विदेशों में भी मना रही है। हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता के कारण डॉ. अम्बेडकर का 'विमर्श' देश-विदेश में उफान पर है। पहली बार डॉ. अम्बेडकर जयंती से एक दिन पूर्व 13 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में डॉ. अम्बेडकर की जयंती मनायी जाएगी। ■

डॉ. अम्बेडकर : एक अनुपम व्यक्तित्त्व

■ डॉ. रामभक्त लाँगायन

विश्व में अनेक ख्याति प्राप्त व्यक्ति हुए हैं; लेकिन वे कभी अत्यन्त अभावों में और विषम परिस्थितियों में नहीं पले। वे हर तरह से साधन सम्पन्न थे। पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं की चिन्ता उन्हें नहीं थी। अम्बेडकर का जीवन इन सबसे भिन्न है। वे अभावों में पैदा हुए, अभावों में पले और सारा जीवन अभावों और विषम परिस्थितियों में बिताया। अगर वे चाहते तो अच्छी नौकरी करके सुख-सम्पन्नता का जीवन जी सकते थे; लेकिन वे एक संयासी की तरह जिए। अपने समाज के लोगों के दु:खों से दु:खी रहे और कभी वैभव का जीवन नहीं बिताया। उन्होंने दलितों के लिए अपना सर्वस्व त्यागकर भंयकर उन्हें छुआछूत की समस्या से मुक्ति दिलाई और अमेरिका के बुकर टी. वांशिंगटन तथा अब्राहम लिंकन की तरह विश्व में ख्याति अर्जित की। आज डॉ. अम्बेडकर का नाम हर व्यक्ति की जुबान पर है और उनका नाम भारत के महापुरूषों की प्रथम श्रेणी में आता है।

डॉ. अम्बेडकर का पूरा नाम भीमराव अम्बेडकर था। उनका जन्म 14 अप्रैल, सन् 1891 को महू की छावनी में हुआ जहां उनके पिता रामजी सकपाल मिलिट्री में सूबेदार थे। वे मौलिक रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अम्बावडे गांव के रहने वाले थे। उनकी मां का नाम भीमा बाई था। अम्बेडकर अपनी माता-पिता की 14वीं सन्तान थे। उनके जन्म के दो साल बाद उनके पिता मिलिट्री से रिटायर हो गए और दापोली में बस गए। भीमराव को वहां स्कूल में दाखिल करा दिया गया। कुछ दिन बाद उन्हें सतारा में स्टोर कीपर की नौकरी मिल गई, इसलिए परिवार को सतारा ले गए। भीमराव को वहीं प्राईमरी हाई स्कूल में दाखिल करा दिया। प्राईमरी

स्कूल की परीक्षा भीमराव ने सतारा से ही की। इसके बाद वे बम्बई चले गए। 6 साल की अवस्था में भीमराव की माता का देहान्त हो गया। बम्बई आने के बाद अम्बेडकर को एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिल करा दिया। सन् 1907 में भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। दलित समाज के लोगों ने एक समारोह करके भीमराव का अभिनन्दन किया। इस अवसर पर कृष्णा अर्जुन केलुस्कर जो भीमराव के अध्यापक थे महात्मा बुद्ध पर लिखी एक पुस्तक उपहार स्वरूप दी जिसका भीमराव पर अत्यन्त प्रभाव पड़ा।

यहां उल्लेखनीय है कि बम्बई में अम्बेडकर का परिवार किराए के मकान में रहता था। एक ही कमरा था जिसमें सारा परिवार रहता था। रामजी सकपाल की पेंशन के सिवाय आय का कोई साधन नहीं था। लेकिन रामजी सकपाल अम्बेडकर को उच्च शिक्षा देना चाहते थे। स्कूल में छुआछूत का वातावरण था। अम्बेडकर और उनका भाई आनन्दराव दोनों इकट्ठे पढ़ते थे। दोनों को कक्षा में पीछे बैठाया जाता था। अपनी मर्जी से वे घड़े से पानी नहीं पी सकते थे। जब चपरासी टूटी खोलता तो वे नाली से पानी पी सकते थे। बाजार में नाई उनके बाल नहीं काटता था, धोबी कपड़े नहीं धोता था। घर पर ही बहिन से बाल कटवाते थे। इन सब घटनाओं से बचपन से ही अम्बेडकर के मन में हिन्दू धर्म से घृणा शुरू हो गई थी। वे हमेशा सोचते थे; कि उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है।

सन् 1907 में अम्बेडकर का विवाह रामाबाई के साथ कर दिया गया। वह एक गरीब घर की लड़की थी। उनका अम्बेडकर को महान् बनाने में अहम्

भूमिका रही। वह कभी भी अम्बेडकर पर भार नहीं बनी, अपितु हर पल उनके सुख दु:ख में साथ खड़ी रहीं। घर का सारा कार्य भार रामाबाई पर था। अम्बेडकर घर की चिन्ता से दूर रहकर काम करते रहे।

मैट्रिक करने के बाद अम्बेडकर ने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया। सन् 1913 में उन्होंने बी.ए. की परीक्षा पास की। कॉलेज में पढ़ते हुए उन्हें बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति मिलती थी। सन् 1913 में बी. ए. करने के बाद उन्होंने कुछ दिन बड़ौदा के महाराजा के पास नौकरी की लेकिन उन्हीं दिनों उनके पिता की तबीयत ज्यादा खराब हो गई । वे नौकरी छोड़कर घर आ गए। इसी बीच उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब सारा भार अम्बेडकर पर आ गया। आय का कोई साधन नहीं था। उसी समय बड़ौदा के महाराजा ने चार विद्यार्थियों को अमेरिका उच्च शिक्षा के लिए भेजने थे। अम्बेडकर अपने गुरू कृष्णा अर्जुन केलुस्कर के सहयोग से महाराजा से मिले और अम्बेडकर को अमेरिका जाने का अवसर मिल गया। वे उन चार विद्यार्थियों में से थे जो अमेरिका उच्च शिक्षा के लिए गए। जुलाई सन् 1913 में अम्बेडकर अमेरिका पहुंचे। वहां कोलम्बिया यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला हो गया। अमेरिका जाने से पूर्व महाराजा के साथ एक करार हुआ था जिसमें शर्त थी कि तीन साल अध्ययन करने के बाद स्वदेश लौटने पर वह बड़ौदा रियासत में 10 साल तक नौकरी करेंगे। अम्बेडकर ने दो साल में एम.ए. की और तीसरे साल पी.एच.डी. की। अर्थशास्त्र उनका मुख्य विषय था यद्यपि दूसरे विषय भी वे पढ़ते थे जिनमें राजनीति शास्त्र, विज्ञान, दर्शन शास्त्र भी थे। सन् 1915 में 'भारत का प्राचीन व्यापार' नामक प्रबन्ध पर कोलम्बिया विश्वविद्यालय ने उनको एम. ए. की उपाधि प्रदान की गई। सन् 1916 में उन्होंने विभाग में ही एक सेमिनार में 'कास्ट इन इण्डिया एण्ड देयर जनेसिस' पर प्रबन्ध पढ़ा जिसकी बहुत प्रशंसा की गई। सन् 1917 में यह प्रकाशित हुआ। सन् 1916 में उन्होंने थिसिस लिखकर अर्थशास्त्र में पी.एच.डी. की डिग्री की और वे लंदन चले गए। वहां उन्होंने वार. एट.लॉ करने के लिए ग्रेज इन में दाखिला ले लिया। वे एम.एस.सी. भी करना चाहते थे। उन्हीं दिनों उनके तीन साल पूरे हो गए, लेकिन उनके प्रोफेसर सेलिग्मन की सिफारिश से महाराजा ने एक साल और बढ़ा दिया। लेकिन एक साल में वे अपनी शिक्षा पूरी न कर सके और जुलाई 1917 में वे भारत लौट आए।

भारत लौटने के बाद इकरार नामे की शर्त के अुनसार अम्बेडकर को बड़ौदा रियासत की नौकरी करनी थी। वे बड़ौदा गए और महाराजा द्वारा उन्हें रक्षा सचिव का पद दे दिया गया। छुआछूत जोरों पर थी। अम्बेडकर को कहीं पर भी ठहरने की जगह नहीं मिली। आखिर वे एक पारसी धर्मशाला में छद्म नाम से ठहरे। ठहरे हुए कुछ दिन नहीं हुए थे कि पारसी लोग इकट्ठे होकर, हाथों में डंडे लेकर एक दिन प्रात: अम्बेडकर के कमरे में आ गए और उन्होंने कमरा खाली करने को कहा। अम्बेडकर ने सायंकाल तक मौहल्लत मांगी। डॉ. अम्बेडकर सारा दिन कोशिश करते रहे कि कहीं कमरा मिल जाए, लेकिन बात नहीं बनी। उन्होंने सायंकाल कमरा खाली कर दिया और बम्बई वापिस जाने का फैसला लिया। अम्बेडकर के लिए वे क्षण बहुत ही दुखदायी थे। गाड़ी पर चढ़ने से पूर्व वे पास के पार्क में बैठ गए। आंखों से आंसू झड़ते रहे। लेकिन कोई चारा नहीं था। वे इस्तीफा दे चुके थे।

बम्बई आने के बाद काम की तलाश की। सिडेनहम कॉलेज में उनकी नियुक्ति अर्थशास्त्र के प्राध्यापक के रूप में हो गई। वहां भी छुआछूत का वातावरण था। अम्बेडकर अपने विषय के माहिर थे। छात्र उनकी क्लास में बड़े ध्यान से पढ़ते थे। यहां तक की कभी-कभी दूसरी कक्षाओं के छात्र भी उनकी क्लास में आ जाते थे।

डॉ. अम्बेडकर की ज्ञान की प्यास बुझी नहीं थी। वे लंदन जाकर एम.एस. सी., वार.एट.लॉ. तथा डी.एस.सी. करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कुछ पूंजी इक्ट्ठी की तथा कुछ पैसे किसी से उधार लेकर सन् 1920 में इंग्लैण्ड चले गए। वहां लगभग ढ़ाई साल रहे। वहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इक्नोमिक्स में दाखिला ले लिया। एक विधवा अंग्रेज लेडी के मेहमान हुए। वह उन्हें नास्ता आदि देती थी। सोने-बैठने के लिए आश्रय दिया। डॉ. अम्बेडकर 1923 तक यहां रहे। 16-18 घन्टे रोजाना वे पढ़ते थे। लंदन के सभी पुस्तकालयों में वे जाते थे। सन् 1921 में "रूपए की समस्या" पर प्रबन्ध लिखा और डी.एस.सी. की डिग्री प्राप्त की। 14 अप्रैल, 1923 को वे लंदन से बम्बई आ गए। अब वे एम. ए., पी.एच.डी., बार.एट.लॉ, एम.एस.सी और डी.एस.सी. थे। उस समय वे भारत के अकेले व्यक्ति थे जिनके पास इतनी डिग्रियाँ थी।

अब डॉ. अम्बेडकर के पास विभिन्न विषयों का ज्ञान भण्डार था। उन्हीं दिनों वीर सावरकर, गांधी जी, पंडित जवाहर लाल नेहरू आदि अस्पृश्यता निवारण के लिए कार्य कर रहे थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था को यथावत रखकर जाति भेद समाप्त करना चाहते थे। लेकिन डॉ. अम्बेडकर का उनसे भिन्न विचार था। वे वर्ण व्यवस्था को भी जड़ से खत्म करना चाहते थे। डॉ. अम्बेडकर स्वयं अछूत थे। डॉ. अम्बेडकर ने निश्चय कर लिया था कि छुआछूत को खत्म करना है। इसलिए उन्होंने कोई नौकरी नहीं की।

बम्बई उच्च न्यायालय में वकालत शुरू कर दी। वकालत बहुत कम चलती थी। वहां भी उच्च जाति के वकीलों के पास केस आते थे। उस समय की दयनीय स्थिति का यहां वर्णन करना आवश्यक है। जब डॉ. अम्बेडकर वकालत कर रहे थे; उस समय उनका डेढ़ साल का बेटा गंगाराव सख्त बीमार पड़ गया। दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे और वह बच्चा मर गया। पड़ोस के लोग इक्ट्ठे हो गए। किसी ने अम्बेडकर से कफन लाने के लिए पैसे मांगे तो कफन के पैसे नहीं थे। उस समय रमाबाई ने कमरे के अन्दर जाकर अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ा और मृतक बच्चे को उढ़ाया। ऐसी गरीबी की हालत थी। लेकिन डॉ. अम्बेडकर ने अपना निश्चय नहीं बदला। एक मन कहता था कि नौकरी कर लूं, लेकिन दूसरी तरफ निश्चय था समाज सेवा का। एक ही काम हो सकता था नौकरी या समाज सेवा। अम्बेडकर ने दलितों की सेवा करने का बीड़ा उठाया था और उस पर वे अडिग रहे। दूसरा कोई होता तो इतना पढ़-लिखकर दु:खी नहीं होता और समाज सेवा का संकल्प त्यागकर आराम का जीवन व्यतीत करता।

समाज सेवा के लिए उन्होंने प्रिंट मीडिया का सहारा लिया। सन् 1920 में 'मूक नायक' अखबार निकाला। सन् 1927 में 'बहिष्कृत भारत' नामक समाचार शुरू किया। उन्होंने अपने इस पाक्षिव पत्र में लिखा था, 'यदि लोकमान्य तिलक अछूतों में पैदा हुए होते तो वह 'स्वतन्त्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है,' यह आवाज बुलन्द न करते, बल्कि उनका नारा होता 'अछूतपन को दूर करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।'

अछूतोद्वार आन्दोलन को तेज करने के लिए 20 जुलाई, सन् 1924 को बम्बई में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इस सभा का उद्देश्य दलितों में शिक्षा का प्रचार करना, उनके लिए स्कूल का छात्रवास खोलना तथा उनका विकास करना था। सभा का पहला अधिवेशन रत्नागिरी जिले के मालवण गांव में हुआ। डॉ. अम्बेडकर अछूत भाइयों को साफ-सुथरा रहने, मांस न खाने, शराब न पीने का उपदेश देते थे। वे हमेशा कहते थे कि अपने-आप भूखा रहकर भी अपने बच्चों को जरूर पढ़ायें। शिक्षा ही उन्नति का द्वार है।

1927 में बम्बई की विधान परिषद् में 'बोले प्रस्ताव' पास हुआ था। उसके तहत जितने भी सामुदायिक स्थान, जोहड़, स्कूल थे वे अछूतों के लिए खोल दिए जाते थे। अब अछूत सभी स्थानों पर जा सकते थे। कोलाबा जिला में महाड़ नगरपालिका ने भी ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया था। लेकिन वहां पर स्थित चवदार तालाब का पानी अछूत अब भी नहीं पी सकते थे। यद्यपि उस तालाब में पशु पानी पी सकते थे, लेकिन अछूतों का जाना मना था। 19 मार्च, 1927 को महाद में डॉ. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 'दलित जाति परिषद' का अधिवेशन हुआ जिसमें प्रस्ताव पास हुआ कि अछूतों को भी तालाब का पानी पीने का अधिकार है। सभी ने तालाब की तरफ कूच किया जिसमें हजारों की संख्या में दलित नर-नारी शामिल थे। डॉ. अम्बेडकर ने तालाब का पानी पिया। इसी तरह दूसरों ने भी पिया। पानी पीकर वापिस जाने लगे। उसी समय किसी ने अफवाह फैला दी कि अछूत लोग वीरेश्वर मन्दिर में प्रवेश करेंगे। इस पर स्वर्ण जाति के लोग डंडे लेकर पंडाल में आ गए। तोड़-फोड़ की और झगड़ा शुरू कर दिया। कई लोगों को चोटें आईं। कई साल तक मुकदमा चला।

सवर्ण लोगों ने चवदार तालाब से 100 घड़े पानी निकाला उसमें 108 घड़े पंचाग - गोबर, गोमूत्र आदि डाला और उसे पवित्र किया। इसकी भनक डॉ. अम्बेडकर को लगी। जिसके विरूद्ध उन्होंने पुन: अनेक कार्य किए।

डॉ. अम्बेडकर का अछूतोद्धार आन्दोलन जोर पकड़ रहा था। उस समय नासिक के कालाराम मन्दिर में अछूतों का प्रवेश बन्द था। 2 मार्च, 1930 को अम्बेडकर ने अपने हजारों अनुयायियों के साथ इस मंदिर में प्रवेश के लिए कूच किया। पहले उनकी एक सभा हुई इसके बाद लोग जुलूस की शक्ल में मन्दिर की ओर बढ़े। लोग उस समय डॉ. अम्बेडकर जिन्दाबाद, महात्मा फूले अमर रहे के नारे लगा रहे थे। जब लोग मन्दिर के पास पहुंचे तो संचालकों ने मन्दिर के कपाट बन्द कर दिए। जब मन्दिर के कपाट बन्द कर दिए तो अछूत मन्दिर के बाहर धरने पर बैठ गए। कुछ दिन बाद रामनवमी आनी थी। हर साल की भांति कालाराम की मूर्ति को रथ में रखकर जुलूस निकालना था। इसलिए मन्दिर संचालकों ने एक समझौता किया कि दोनों मिलकर झांकी निकालेंगे। लेकिन पंडितों ने समझौता तोड़ दिया। झगड़ा हुआ। अम्बेडकर को भी चोटें आईं। न्यायालय में केस चला और अन्त में सन् 1935 में मन्दिर प्रवेश की अनुमति मिली। महाड़ जल सत्याग्रह के उपरान्त नासिक के कालाराम मन्दिर में प्रवेश करने का अधिकार पाने की अछूतों की दूसरी विजय थी।

यह उल्लेखनीय है कि डॉ. अम्बेडकर स्वतंत्रता से बढ़कर सामाजिक समता पर ज्यादा जोर देते थे। उनके मतानुसार समता के बिना स्वतन्त्रता का कोई अर्थ नहीं था। लेकिन वे स्वतंत्रता के पक्षधर थे। साईमन कमीशन के सामने उन्होंने अछूतों के अधिकारों की मांग की और उसे ज्ञापन सौंपा। 12 नवम्बर, 1938 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेम्जे मैक्डोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई

जिसमें 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दलितों का प्रतिनिधित्व डॉ. अम्बेडकर तथा राव बहादुर श्री निवासन ने किया। कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा, "मैं जिन अछूतों के प्रतिनिधि की हैसियत से यहां खड़ा हूँ, उनकी संख्या हिन्दुस्तान की संख्या का पांचवा भाग है अर्थात् इंग्लैण्ड या फ्रांस भी जनसंख्या के बराबर है। परन्तु मेरे इन अछूत भाइयों की स्थिति गुलामों से भी बदतर है। गुलामों के मालिक उनको छूते थे, परन्तु हमें तो छूना भी पाप समझा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य से पहले हम घृणित अवस्था में थे। क्या सरकार ने हमारी हालत सुधारने के लिए कुछ किया? हम गांव के कुओं से पानी नहीं भर सकते थे, क्या ब्रिटिश सरकार ने वह अधिकार दिलाया? 150 वर्षों के राज में मौजूद राज्य के स्थान पर जनता के लिए जनता का राज चाहते हैं। मजदूर और किसानों का शोषण करने वाले पूंजीपति और जमींदार की रक्षक सरकार हम नहीं चाहते। हम अपने दु:ख स्वयं दूर करेंगे और उसके लिए हमारे हाथों में राजनैतिक सत्ता होनी चाहिए। मौजूदा हालात में कोई ऐसा विधान व्यवहार्य नहीं हो सकता जो देश के बहुमत को स्वीकार न हो। वह जमाना अब बीत गया जब आप फैसला करते थे और भारत मानता था। वह जमाना अब कभी नहीं लौटेगा"।

डॉ. अम्बेडकर के भाषण की प्रशंसा की गई। सभी बड़े अखबारों में उनका भाषण छपा। खुशी में डॉ. सयाजी गायकवाड़ ने रात्रि का भोज दिया और कहा कि उन द्वारा दिए गए पैसे (छात्रवृत्ति) वसूल हो गए हैं। इसी सम्मेलन में डॉ. अम्बेडकर ने अध्यक्ष को एक ज्ञापन भी दिया जिसमें छुआछूत की समाप्ति, समान अधिकार, सेनाओं में अछूतों की भर्ती, नौकरियों में आरक्षण, पृथक निर्वाचन तथा सुरक्षित सीटों की मांग की गई थी। कॉन्फ्रेंस 19 जनवरी, 1931 को बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे समाप्त हो गई क्योंकि इसमें कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं था।

7 सितम्बर, 1931 को दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। इसमें गांधी जी तथा दूसरे बड़े क्रांतिकारी नेता सम्मिलित हुए। सम्मेलन में डॉ. अम्बेडकर ने भी अपने विचार रखे और कहा अन्य अल्पसंख्यकों की तरह उन्हें भी अधिकार दिए जाएं। जब अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कॉन्फ्रेंस बिना किसी फैसले के समाप्त हो गई। प्रधानमंत्री को फैसले का अधिकार दे दिया गया। सब भारत लौट आए।

सन् 1934 में डॉ. अम्बेडकर बम्बई के लॉ कॉलेज में प्राध्यापक नियुक्त हुए। अगले वर्ष उन्हें कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। उन्हीं दिनों बम्बई में उन्होंने राजगृह नाम से निवास स्थान बनाया। सन् 1935 में 27 मई को इसी गृह में उनकी धर्मपत्नी रमाबाई का देहान्त हो गया। वह कई दिनों से बीमार चल रही थीं। उनकी मृत्यु से अम्बेडकर को बड़ी क्षति पहुंची। रमाबाई एक उदार हृदय महिला थी। उन्होंने अम्बेडकर का बहुत साथ दिया।

20 अगस्त, 1932 को साम्प्रदायिक निर्णय की घोषणा हुई। अछूतों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल गया। वे आम निर्वाचन में भी भाग लेने और अपना उम्मीदवार खड़ा करने के अधिकारी हो गए। उन्हीं दिनों गांधी जी यरवदा जेल में थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि यह फैसला ठीक नहीं है, इसे बदला जाए अन्यथा वे 20 सितम्बर से आमरण अनशन शुरू करेंगे। फैसला नहीं बदला गया और गांधी जी ने 20 सितम्बर को आमरण अनशन शुरू कर दिया। इससे पहले 19 सितम्बर को मदन मोहन मालवीय ने बम्बई में सभी नेताओं की मीटिंग बुलाई जिसमें डॉ. अम्बेडकर को भी बुलाया गया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अम्बेडकर पर चारों तरफ से दबाव डाला गया। डॉ. अम्बेडकर को गांधी जी से मिलाया गया और अन्त में 24 सितम्बर को फैसला हो गया। इस फैसले को पूना पैक्ट कहते हैं। गांधी जी की जान बच गई। पृथक् निर्वाचन की जगह संयुक्त निर्वाचन की बात मान ली गई। निर्णय ब्रिटिश सरकार को भेज दिया गया। इससे देश में जो अशान्त वातावरण था वह शान्त हो गया। समझौते के अनुसार अछूतों को आरक्षित सीटें बढ़ा दी गई। नौकरियों में आरक्षण की मांग मान ली गई।

सन् 1934 में डॉ. अम्बेडकर बम्बई के लॉ कॉलेज में प्राध्यापक नियुक्त हुए। अगले वर्ष उन्हें कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। उन्हीं दिनों बम्बई में उन्होंने राजगृह नाम से निवास स्थान बनाया। सन् 1935 में 27 मई को इसी गृह में उनकी धर्मपत्नी रमाबाई का देहान्त हो गया। वह कई दिनों से बीमार चल रही थीं। उनकी मृत्यु से अम्बेडकर को बड़ी क्षति पहुंची। रमाबाई एक उदार हृदय महिला थी। उन्होंने अम्बेडकर का बहुत साथ दिया। डॉ. अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक 'पार्टिशन ऑफ इण्डिया' को रमाबाई के नाम समर्पित किया।

सन् 1935 में डॉ. अम्बेडकर ने

बम्बई में स्वतंत्र मजूदर दल की स्थापना की। सन् 1932 में बम्बई विधान सभा के चुनाव हुए जिसमें 14 सदस्य उनकी पार्टी के जीत कर विधानसभा में आए।

सन् 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ गया। वायसराय ने विभिन्न दलों से सहायता की प्रार्थना की। डॉ. अम्बेडकर ने महाराष्ट्र में महार बटालियन स्थापित करने का सुझाव दिया जो स्वीकार कर लिया गया। महारों की फौज में भर्ती शुरू हो गई। कुछ दिन के बाद अम्बेडकर को वायसराय ने अपनी सुरक्षा सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत कर दिया। उन्होंने सदस्य के रूप में अपनी कार्य प्रति का परिचय दिया। जुलाई 1942 में वायसराय ने उनको अपनी कार्यकारिणी समिति का सदस्य नियुक्त कर दिया और श्रम विभाग सौंपा। नागपुर में डॉ. अम्बेडकर का अभिनन्दन किया गया। वह पहले दलित नेता थे जो कार्यकारिणी के सदस्य बने। सदस्य रहते हुए डॉ. अम्बेडकर ने अनेक लोकहितकारी कार्य किए। अनेक विश्राम गृह बनवाएं, प्रसूति महिलाओं के लिए छुट्टी का प्रावधान किया। मजूदरों के काम करने के घन्टे निश्चित कर दिए गए। बीमा पॉलिसी शुरू की गई।

माउण्टवेटन योजना के अनुसार भारत को दो भागों में बांट दिया गया। भारत को अपना संविधान बनाना था। इसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया। डॉ. अम्बेडकर बंगाल से चुनकर संविधान सभा में आए। काम चलाने के लिए एक मंत्रिमंडल बनना था। पंडित जवाहर लाल नेहरू ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो संविधान बनाने में सहयोग दे सके। उन्हें डॉ. अम्बेडकर का ख्याल आया और उन्होंने उन्हें कानून मंत्री बना दिया।

11 दिसम्बर, 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 29 अगस्त, 1947 को एक सात सदस्यीय 'संविधान प्रारूप समिति' बनाई गई। डॉ. अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। सात सदस्यों में से एक दिवंगत हो गए। एक अमेरिका चले गए। एक या दो सदस्य दिल्ली से बाहर रहे। संविधान का सारा काम डॉ. अम्बेडकर को करना पड़ा। अम्बेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार कर डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को सौंप दिया जिसे 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। संविधान को बनाने में 2 साल, 11 महीने तथा 18 दिन लगे। 26 जनवरी, 1950 को देश में संविधान लागू हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने डॉ. अम्बेडकर की प्रशंसा की।

डॉ. अम्बेडकर का स्वास्थ्य खराब हो गया था। कई दिन वे बम्बई के मालवांगकर अस्पताल में भर्ती रहे। वहां उनका परिचय डॉ. शारदा कबीर से हुआ। उन्होंने डॉ. अम्बेडकर की बड़ी सेवा की। 13 साल विधुर जीवन बिताने के बाद 15 अप्रैल 1948 को उन्होंने बड़े सादे ढंग से शारदा कबीर से सिविल कोर्ट मैरिज कर ली। यह अन्तर्जातीय विवाह था। डॉ. अम्बेडकर का विचार था कि अन्तर्जातीय विवाह से ही जाति-पाति की प्रथा को खत्म किया जा सकता है।

डॉ. अम्बेडकर ने 1948 में 'हिन्दू कोड बिल' संसद में पेश किया। इस बिल में उत्तराधिकार, गुजारा, तलाक, गोद लेना आदि पर काम किया गया था। डॉ. अम्बेडकर ने हिन्दू कोड बिल पेश करते हुए कहा था 'यदि आप हिन्दू प्रणाली, हिन्दू संस्कृति और हिन्दू समाज की रक्षा करना चाहते हैं, तो उसमें जो कमियां पैदा हो गई हैं, उनको सुधारने में तनिक भी संकोच न करें। हिन्दू कोड बिल हिन्दू प्रणाली के केवल उन्हीं अंशों का सुधार चाहता है जो विकृत हो गए हैं"। दुर्भाग्य से यह बिल संसद में पास नहीं हो सका। इस पर काफी चर्चा हुई। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता इसके विरूद्ध थे। फलस्वरूप नाराज होकर डॉ. अम्बेडकर को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। 1951 में लोकसभा के चुनाव हुए डॉ. अम्बेडकर चुनाव हार गए, लेकिन सन् 1952 में उन्हें राज्य सभा का सदस्य मनोनित किया गया।

डॉ. अम्बेडकर ने संविधान में छुआछूत को समाप्त कर दिया। छुआछूत को दण्डनीय अपराध करार दिया गया। इतना होने पर भी छुआछूत देश में विद्यमान रहा। सन् 1935 में थेवला में डॉ. अम्बेडकर ने घोषणा की कि वे हिन्दू

पैदा हुए यह उनके वश में नहीं था, लेकिन वे हिन्दू रहकर नहीं मरेंगे। उन्हें हिन्दू धर्म से घृणा हो गई थी। वे एक नए धर्म की तलाश में थे। बहुत चिन्तन के बाद उन्होंने 14 अक्तूबर, 1956 को नागपुर में एक विशाल समारोह में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली।

डॉ. अम्बेडकर सभी विषयों के विद्वान थे। पुस्तकें उनकी खुराक थीं। जब वे अमेरिका तथा इंग्लैंड में थे, उस समय उन्होंने भूखे रहकर बहुत सारी पुरानी पुस्तकें खरीदी थीं। उनकी एक बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें 50,000 से भी अधिक पुस्तकें थीं। बम्बई के राजगृह में ये पुस्तकें रखी गई थीं। रात-दिन डॉ. अम्बेडकर पुस्तकों अध्ययन करते रहते थे। उस समय बहुत कम लोगों के पास इतनी बड़ी व्यक्तिगत लाईब्रेरी थी। उन्हें कोलम्बिया विश्वविद्यालय ने मानद एल.एल.डी. की उपाधि दी। उस्मानिया विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट् भी मानद उपाधि प्रदान की।

डॉ. अम्बेडकर एक सफल लेखक भी थे। उनके द्वारा लिखित "शूद्र कौन थे?" शूद्र कौन और कैसे, जाति विच्छेद, नारी जाति का अभाव और पतन, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, पाकिस्तान और उसका विभाजन, भारत में जातिवाद, बुद्ध और उनका धर्म प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इन ग्रन्थों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि बाबा साहेब गंभीर चिन्तक और उद्‌भट साहित्यकार थे।

डॉ. अम्बेडकर कई रोगों से ग्रस्त थे। उनका चलना-फिरना भी मुश्किल हो गया था। उनकी धर्मपत्नी डॉ. शारदा कबीर उनकी सेवा करती थी। 1956 में उन्होंने काठमांडू और कोलम्बो में बौद्ध सम्मेलनों में शिरकत की। बीमारी के हालत में भी वे रोजाना लोगों से मिलते रहे। राज्यसभा की मीटिंगों में भी जाते रहे। 5 दिसम्बर, 1956 को रात को बुद्ध और उनका धर्म की भूमिका लिखी और देर रात सो गए। 6 दिसम्बर, प्रात: उनका देहान्त हो गया। उनके देहान्त की खबर सारे भारत में आग की तरह फैल गई। उनके शव को दिल्ली से बम्बई ले जाया गया। बम्बई और अहमदाबाद की सभी मिलें बंद हो गई। शांताक्रुज हवाई अड्डे से उनके निवास राजगृह तक 5 मीटर के रास्ते में लोग खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। एक समाचार पत्र में छपा था 'आज तक किसी देवता को इतनी भक्तिपूर्ण श्रद्धांजलि नहीं मिली होगी, जितनी दलितों के मसीहा बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर को मिली'।

7 दिसम्बर, दोपहर दो बजे उनकी अन्तिम यात्रा शुरू हुई। लाखों की संख्या में लोग उनकी शव यात्रा में शामिल हुए। उनके शव के साथ विशाल समूह दादर समुद्र तट पर शमशान भूमि तक पहुंचा। उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया। पुलिस की गार्ड ने उन्हें अन्तिम सलामी दी और उनके सुपुत्र यशवन्तराव ने मुखाग्नि दी। बौद्ध रीति से उनका संस्कार किया गया। जहां उनका संस्कार किया गया उसे चैत्यभूमि कहते हैं। वहां स्मारक बना हुआ है। एक विशाल गेट बनाया गया है जिस पर अशोक चक्र है। इस जगह पर उनकी याद में एक बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है।

डॉ. अम्बेडकर दलितों, शोषितों के मसीहा थे। उन्होंने नारी जाति के लिए बड़ा काम किया। शिक्षित बनो, संगठित होकर संघर्ष करो ये उनका नारा था। वे संविधानशिल्पी थे। अपना सर्वस्व त्यागकर उन्होंने दलितों और देश के हित के लिए अनेक काम किए। उनका सबसे बड़ा उद्देश्य छुआछूत को समाज से खत्म करके समानता प्रदान करना था। वे इसमें सफल हुए। आज सभी संविधान के समक्ष समान हैं। सन् 1990 में उन्हें भारत सरकार ने मरणोपरान्त 'भारत रत्न' से सम्मानित किया। भारत का दलित व शोषित समाज उन्हें कभी भुला नहीं सकेगा। उनके किए हुए काम सदैव याद रहेंगे। कोलम्बिया विश्वविद्यालय में उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। लंदन में जहां वे रहते थे उस स्थान पर एक बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है। चैत्यभूमि में भी एक बड़ा स्मारक बनाया जा रहा है। दिल्ली में भारत सरकार की ओर से एक विशाल अम्बेडकर प्रतिष्ठान बनाया जा रहा है जहाँ बाबा साहेब के जीवन एवं दर्शन पर रिसर्च होगी। डॉ. अम्बेडकर देश के महान् सपूत थे। राष्ट्र उनकी 125वीं जयन्ती वर्ष मना रहा है। नि:संदेह वे भारत के एक महान् सपूत थे, दूर द्रष्टा थे। राष्ट्र उनका सदैव ऋणी रहेगा। ■

(लेखक रिटायर्ड आई.ए.एस. हैं एवं सामाजिक न्याय संदेश के संपादक मंडल से भी संबद्ध रहे हैं।)

डॉ. अम्बेडकर ने संविधान में छुआछूत को समाप्त कर दिया। छुआछूत को दण्डनीय अपराध करार दिया गया। इतना होने पर भी छुआछूत देश में विद्यमान रहा। सन् 1935 में थेवला में डॉ. अम्बेडकर ने घोषणा की कि वे हिन्दू पैदा हुए यह उनके वश में नहीं था, लेकिन वे हिन्दू रहकर नहीं मरेंगे। उन्हें हिन्दू धर्म से घृणा हो गई थी। वे एक नए धर्म की तलाश में थे। बहुत चिन्तन के बाद उन्होंने 14 अक्तूबर, 1956 को नागपुर में एक विशाल समारोह में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली।

बहुआयामी प्रतिभा के धनी डॉ. अम्बेडकर

■ आनन्द श्रीकृष्ण

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर से 23 किमी. की दूरी पर मुंबई-आगरा मार्ग पर महू छावनी है। इसी महू छावनी की एक बैरक में 14 अप्रैल, 1891 में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। उस समय डॉ. अम्बेडकर के पिता श्री रामजी ब्रिटिश सेवा में सूबेदार मेजर के पद पर तैनात थे। डॉ. अम्बेडकर के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने महू का नाम बदलकर डॉ. अम्बेडकर नगर कर दिया है। यहां पर डॉ. अम्बेडकर जन्मस्थली मेमोरियल सोसायटी द्वारा एक-दो मंजिला भव्य स्मारक बनाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से मांग की है कि जन्मस्थली मेमोरियल के आस-पास की जमीन सोसायटी को सौंप दी जाए जिससे कि वहां पर और भव्य स्मारक बनवाया जा सके। यहां पर 14 अप्रैल को देश विदेश से अनेकों लोग डॉ. अम्बेडकर के प्रति आभार और श्रद्धासुमन अर्पित करने आते हैं। डॉ. अम्बेडकर अकेले ऐसे महापुरूष हैं जिनका जन्म महोत्सव समारोह 14 अप्रैल से शुरू होकर जून तक चलता है और भारत के कोने-कोने में ही नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, नेपाल, वर्मा, श्रीलंका सहित अनेकों देशों में बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। इस वर्ष एक कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ के भवन में भी आयोजित किया जा रहा है। आईये, डॉ. अम्बेडकर के जीवन के कुछ प्रसंगों की चर्चा करते हैं जिनकी वजह से आम आदमी के जीवन पर कुछ न कुछ असर अवश्य पड़ता है।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर एक महान संविधानविद्, शिक्षाविद्, राष्ट्र भक्त, समाज सुधारक, दर्शन शास्त्री, पत्रकार, अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। इन सबसे भी अधिक वे एक आदर्श विद्यार्थी थे और आजन्म आदर्श विद्यार्थी बने रहे। डॉ. अम्बेडकर कोई भी विद्या सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और उसकी पढ़ाई में जी जान से लग जाते थे। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाज शास्त्र, कानून के अलावा चित्रकला, मूर्तिकला, तबला वादन, वाइलिन वादन, संगीत कला, पाक कला, पाली भाषा में भी दक्षता हासिल की थी। उन्हें अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, मराठी, हिंदी, पाली और फारसी भाषाओं में दक्षता हासिल थी।

नवयुवकों के लिए आदर्श डॉ. अम्बेडकर

डॉ. अम्बेडकर उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, किंतु इसके लिए उन्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ा और समय-समय पर अन्याय का सामना करना पड़ा। जब हम उनके शिक्षा काल की ओर देखते हैं तो हमें उनकी अप्रतिम निष्ठा के सामने नत-मस्तक होना पड़ता है। उनके शैक्षणिक संघर्ष के समय हिन्दुओं ने उनके साथ असमानता बर्ती। उन्होंने एलफिन्स्टन कॉलेज, बंबई में बी.ए. में 03.01.1908 को प्रवेश लिया। अंग्रेजी साहित्य तथा फारसी' भाषा उनकी बी. ए. की डिग्री के विषय थे। बड़ौदा राज्य के शासक सयाजीराव गायकवाड की ओर उन्हें 25/- की छात्रवृत्ति मिलती थी, जब वे एलफिन्स्टन कॉलेज में पढ़ते थे।

बी.ए. करने के बाद महाराजा सयाजीराव गायकवाड ने उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने का अवसर दिया। विदेश में अध्ययन के लिए महाराजा सयाजीराव गायकवाड ने उन्हें 11.5 पाउण्ड प्रतिमाह की छात्रवृत्ति तीन वर्ष के लिए 15 जून, 1913 से 14 जून 1916 तक स्वीकृत हुई। अमेरिका जाने से पहले उन्होंने तीन महीने की छात्रवृत्ति अग्रिम रूप में ली, उसमें से कुछ राशि उनके 10-12 सदस्यों के परिवार के

लिए अलग रखी गई। वे उच्च शिक्षा के लिए एक समुद्री जहाज से रवाना हुए और 12 जुलाई, 1913 की दोपहर में न्यूयार्क बंदरगाह पर उतरे।

डॉ. अम्बेडकर ने कोलम्बिया विश्वविद्यालय' से एम.ए. किया और 2 जून, 1915 को अपने शोध 'एशियन इंडियन कामर्स' पर डिग्री प्राप्त की। एक वर्ष बाद जून 1916 में उनके शोध 'नेशनल डिविडेण्ड फॉर इण्डिया: ए हिस्टोरिकल एण्ड एनालिटिकल स्टडी' को कोलम्बिया विश्वविद्यालय में पी-एच.डी. के लिए स्वीकृत किया। 9 मई, 1916 को डॉ. ए.एन. गोल्डेनर्जर द्वारा जो नृवंश सेमीनार आयोजित किया गया, उसमें डॉ. अम्बेडकर ने एक विद्वान के रूप में 'कास्ट्स इन इंडिया: देयर मेकेनिज्म, जेनिसिस एण्ड डेवलपमेंट' (भारत में जातियां: उनकी व्यवस्था उद्भव और विकास) शीर्षक पत्रक पढ़ा। यह पत्रक 'इंडियन एण्टीक्यूरी', मई 1917, खण्ड-12 में प्रकाशित हुआ तथा उनका पी-एच. डी. शोध प्रबंध नए शीर्षक 'इवोल्यूशन ऑफ प्रोविन्शिलय फाइनान्स इन ब्रिटिश इण्डिया' पी.एस. किंग एण्ड कम्पनी 'लंडन ने प्रकाशित किया और इसकी प्रति कोलम्बिया विश्वविद्यालय को भेजी गई। उसके बाद, 8 जून, 1927 को विश्वविद्यालय ने उन्हें तद्नुसार उपाधि प्राप्त की। इस प्रकार उन्होंने तीन वर्षों में कोलम्बिया विश्वविद्यालय से जुलाई 1913 से जून 1916 में दो उपाधियां हासिल कीं। महान इच्छाशक्ति, समर्पण और अध्यवसाय से उन्होंने यथार्थ में तीन वर्ष में अपना अध्ययन पूरा कर लिया, जैसा कि उन्होंने जुलाई, 1915 को किया और पी-एच.डी. शोध प्रबंध कोलम्बिया विश्वविद्यालय द्वारा जून 1916 में स्वीकृत हुआ। यह शोधार्थियों के लिए एक अनुपम उदाहरण है जो कि विदेशों में

एक दिन खाना खाने के लिए जाते समय उनको दुकान पर एक ऐसी किताब मिल गई जिसकी थिसिस के लिए उन्हें जरूरत थी। किताब देखकर वे इतना खुश हो गए कि उन्होंने झट से किताब खरीद ली और वहीं से किताब पढ़ते-पढ़ते रेस्टोरेंट पहुंच गए। वहां बैठकर भी वे किताब पढ़ने में लगे रहे। इस बीच वेटर उनके सामने खाना रख गया। खाना खाने के लिए जब उन्होंने हाथ बढ़ाया तब उन्हें ध्यान आया कि खाने के पैसों से तो वे किताब खरीद लाए हैं और उनकी जेब में पैसे नहीं है। डॉ. अम्बेडकर ने वेटर से क्षमा मांगी और वगैर खाना खाए अपने कमरे पर लौट आए और दो दिनों तक भूखे रहे क्योंकि किताब की कीमत उनके दो दिन के खाने के बराबर थी और उनका महीने का खर्च का बजट न बिगड़ने पाए इसलिए वे दो दिन तक भूखे ही रहकर पढ़ाई करते रहे।

अपनी शोध अपेक्षित समय में पूरी करना चाहते हैं। डॉ. अम्बेडकर विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श प्रेरक हैं और कोई भी विद्यार्थी उनकी जीवनी को पढ़कर प्रेरणा ले सकता है और ज्ञान साधना के मार्ग पर कठिनाईयों का सामना करते हुए भी सतत आगे बढ़ सकता है।

कोलंबिया विश्वविद्यालय में रहते हुए, डॉ. अम्बेडकर 16 से 18 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई करते थे। पुस्तकालय में वे सुबह-सुबह सबसे पहले पहुंच जाते थे और रात को सबसे अंत में निकलते थे। खाना खाने के लिए वे एक रेस्टोरेंट में जाया करते थे। रास्ते में एक किताबों की दुकान पड़ती थी जहां से वे किताबें खरीदा करते थे। एक दिन खाना खाने के लिए जाते समय उनको दुकान पर एक ऐसी किताब मिल गई जिसकी थिसिस के लिए उन्हें जरूरत थी। किताब देखकर वे इतना खुश हो गए कि उन्होंने झट से किताब खरीद ली और वहीं से किताब पढ़ते-पढ़ते रेस्टोरेंट पहुंच गए। वहां बैठकर भी वे किताब पढ़ने में लगे रहे। इस बीच वेटर उनके सामने खाना रख गया। खाना खाने के लिए जब उन्होंने हाथ बढ़ाया तब उन्हें ध्यान आया कि खाने के पैसों से तो वे किताब खरीद लाए हैं और उनकी जेब में पैसे नहीं है। डॉ. अम्बेडकर ने वेटर से क्षमा मांगी और वगैर खाना खाए अपने कमरे पर लौट आए और दो दिनों तक भूखे रहे क्योंकि किताब की कीमत उनके दो दिन के खाने के बराबर थी और उनका महीने का खर्च का बजट न बिगड़ने पाए इसलिए वे दो दिन तक भूखे ही रहकर पढ़ाई करते रहे।

कोलंबिया विश्वविद्यालय के बाद डॉ. अम्बेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर सन् 1921 में डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। ग्रेज इन से कानून की पढ़ाई कर सन् 1923 में बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। भारतवर्ष लौटने के बाद भी वे पढ़ते रहे और लिखते रहे। 6 दिसंबर 1956

को डॉ. अम्बेडकर ने अंतिम सांस ली और अंतिम सांस लेने से पहले वे अपनी कालजयी कृति "भुगवान बुद्ध और उनका धम्म" पूरा करके गए। डॉ. अम्बेडकर के लेखन और विद्वता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके द्वारा लिखित पुस्तकों को महाराष्ट्र शासन ने इक्कीस खंडों में प्रकाशित करवाया है और अभी भी बहुत कुछ प्रकाशित किया जाना शेष है। डॉ. अम्बेडकर ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा को हर व्यक्ति की पहुंच के अंदर लाया जाना चाहिए। शिक्षा ज्ञान एवं करूणा का भंडार है। शिक्षा एक प्रभावकारी धुरी है जो किसी भी व्यक्ति को ऊपर उठा सकती हैं। 5 अक्टूबर, 1927 को मुंबई विधान परिषद में बाम्बे विश्वविद्यालय अधिनियम के संशोधन बिल पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा ही सभ्यता का सबसे बड़ा तात्विक लाभ है, बिना शिक्षा के हमारा वजूद सुरक्षित नहीं है।

शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए डॉ. अम्बेडकर ने **सन् 1928 में डिप्रेस्ट क्लासेस एजूकेशन सोसायटी की स्थापना करके छात्रवास स्थापित किए और** सन् 1928 में डिप्रेस्ट क्लासेस एजूकेशन सोसायटी की स्थापना करके छात्रवास स्थापित किए और सन् 1945 में पीपुल्स एजुकेशन सोसायटी की स्थापना की जिसके तहत मुंबई में सन् 1946 में बुद्ध भवन और आनंद भवन कॉलेजों का निर्माण कराया और औरंगाबाद में उच्च शिक्षा के लिए सन् 1950 में मिलिंद कॉलेज की स्थापना की। डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि उस कॉलेज का नाम मिलिंद कॉलेज इसलिए रख रहे हैं क्योंकि राजा मिलिंद एक बहुत ही अच्छे विद्यार्थी थे। राजा मिलिंद और आचार्य नागसेन के बीच जो प्रश्न और उत्तर के रूप में चर्चा हुई थी उसको मिलिंद प्रश्न के नाम से जाना जाता है। डॉ. अम्बेडकर कहते थे कि आचार्य नागसेन जैसा शिक्षक और राजा मिलिंद जैसा आदर्श विद्यार्थी हर किसी को बनने की कोशिश करना चाहिए। मिलिंद कॉलेज की दीवारों पर डॉ. अम्बेडकर ने बड़े-बड़े अक्षरों में अंकित करवाया था कि विद्यार्थियों का उद्देश्य उच्च शिक्षा होना चाहिए न कि केवल शिक्षा। उनका कहना था कि उच्च शिक्षा सामाजिक समस्या दूर करने का सबसे कारगर उपाय है। डॉ. अम्बेडकर कहते थे कि युवकों के सर्वागींण विकास और जीवन स्तर सुधारने के लिए उच्च शिक्षा आवश्यक है और यह सारे सामाजिक कष्टों को दूर करने का कारगर उपाय है।

> **विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए डॉ. अम्बेडकर कहते थे कि छात्र-छात्राओं को अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान केवल शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और राजनीति से दूर रहना चाहिए। डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि राजनीति तो पढ़ाई के बाद भी की जा सकती है लेकिन पढ़ाई का मौका बार-बार नहीं मिलता।**

विद्यार्थी और राजनीति

विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए डॉ. अम्बेडकर कहते थे कि छात्र-छात्राओं को अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान केवल शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और राजनीति से दूर रहना चाहिए। डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि राजनीति तो पढ़ाई के बाद भी की जा सकती है लेकिन पढ़ाई का मौका बार-बार नहीं मिलता।

शिक्षा का उद्देश्य

डॉ. अम्बेडकर ने नैतिक शिक्षा पर बहुत जोर दिया। उनका कहना था कि शिक्षा का काम लोगों को नैतिकता सिखाना है और उनको समाज में रहने लायक बनाना है। शिक्षा का उद्देश्य व कार्य ऐसे होने चाहिएं जिनसे पता चले कि वहां दी जाने वाली शिक्षा युवकों के लिए उपयुक्त है, कि वह अपनी सोच में वैज्ञानिक, और चरित्र से निष्काम और पक्षपात रहित हो। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के मस्तिष्क में केवल तथ्य और सिद्धांतों को भरना नहीं होना चाहिए अपितु उसके व्यक्तित्व और मानसिक स्थिति को सुदृढ़ करने वाला होना चाहिए। शिक्षा विद्यार्थी को प्रधान सत्ताधारी के समीक्षात्मक अध्ययन का आदी बनाती है तथा उसके मस्तिष्क में एक संपूर्णता का स्तर बनाती है, और उसे कठिनाई की दिशा से जूझते हुए सत्य तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करती है।

विद्यार्थी को क्या सीखना चाहिए?

डॉ. अम्बेडकर कहते थे कि प्रशिक्षित विद्यार्थी यह अंतर करना सीख जाता है कि सही ढंग से तथ्यपूर्ण मामला क्या है और मात्र विचारपूर्ण मामला क्या है? उसे मूल प्रश्नों के विभेद की जानकारी होनी चाहिए और बिना किसी पूर्व प्रचलित सिद्धांत के प्रत्येक प्रश्न को गुणों के अनुसार जानने की क्षमता पैदा होनी चाहिए और बिना किसी पूर्व प्रचलित सिद्धांत के प्रत्येक प्रश्न को गुणों के अनुसार जानने की क्षमता पैदा होनी चाहिए। उसे सही व सहानुभूतिपूर्वक उन बातों को जानना चाहिए जिनके बारे में व्यावहारिक निष्कर्षों को वह तीव्रतापूर्वक विरोध करता रहा है। उसमें किसी सुझाई गई बात के परीक्षण की योग्यता होनी चाहिए और उसे त्यागने औश्र स्वीकार करने से पहले उसके प्रतिफल को जानना चाहिए। अनिवार्यत: एक मौलिक विद्यार्थी बनने के बजाए उसे उन स्थितियों के प्रति

अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जानी चाहिए, जिसमें मौलिक अनुसंधान किया जा रहा है। उसे तथ्यों को पहचानना आना चाहिए, उनका अनुगमन करना और तर्क-वितर्क के आधार पर विवेचना करना तथा अपनी नैतिकता स्थापित करना आना चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर चरित्र निर्माण पर बहुत बल देते थे उनका कहना था कि शिक्षा की अपेक्षा चरित्र अधिक महत्व का है। चरित्रहीन और विनयहीन सुशिक्षित मनुष्य पशु से भी भयंकर होता है। अगर सुशिक्षित मनुष्य की शिक्षा गरीब जनता के कल्याण के खिलाफ होती है तो वह समाज के लिए शाप बन जाएगा। ऐसे सुशिक्षितों को धिक्कार है इसलिए शिक्षा की अपेक्षा चरित्र अधिक महत्व का है।

भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित करने में डॉ. अम्बेडकर का योगदान

डॉ. अम्बेडकर जाने माने अर्थशास्त्री थे। जून 1916 में अम्बेडकर ने पी-एच.डी. के लिए थीसिस प्रस्तुत की जिसका शीर्षक था 'नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया; ए हिस्टोरीक एंड एनालिटिकल स्टडी'। अर्थशास्त्र में डी.एस. सी. के लिए मार्च 1923 में उन्होंने अपनी थीसिस 'द प्रोब्लेम ऑफ द रूपी-इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सोल्यूशंस' प्रस्तुत की। इस थीसिस को लंदन की पी एस किंग एंड कंपनी ने दिसम्बर 1923 में 'द प्रोब्लेम ऑफ द रूपी' के नाम से प्रकाशित किया। पुस्तक की भूमिका मशहूर अर्थशास्त्री प्रोफेसर कैनन ने लिखकर डॉ. अम्बेडकर की भूरि-भूरि प्रशंसा की। इस पुस्तक में डॉ. अम्बेडकर ने मुद्रा समस्या का अत्यंत विद्वतापूर्ण विवेचन किया है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार टकसाल बंद कर देने से मुद्रास्फीति तथा आंतरिक मूल्य असंतुलन दूर हो सकता है। उनका कहना था कि सोना मूल्य का मापदंड होना चाहिए और इसी के अनुसार मुद्रा में लचीलापन होना चाहिए। डॉ. अम्बेडकर का निष्कर्ष था कि भारत को स्वर्ण विनिमय मानक की मौद्रिक नीति अपनाने से बहुत नुकसान हुआ है। उनका निष्कर्ष था कि भारत को अपनी मुद्रा विनिमय दर स्वर्ण विनिमय मानक की जगह स्वर्ण मानक अपनाना चाहिए जिससे की मुद्रा विनिमय दर में बहुत अधिक उतार चढ़ाव न हो और सट्टेबाजी को अधिक बढ़ावा न मिले। मौद्रिक नीति के विषय में उन्होंने जे एम केन्स जैसे नोबल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री से भी टक्कर ली जो कि स्वर्ण विनिमय मानक स्वर्ण विनिमय मानक के पक्षधर थे। रुपये के संबंध में यह पुस्तक अब तक लिखी गयी सभी पुस्तकों से श्रेष्ठ थी। पुस्तक की समीक्षा करते हुए 'द टाइम्स' (लंदन) ने लिखा; 'अति श्रेष्ठ रचना है, अंग्रेजी की शैली सुगम है। अपने विषय में उनकी सम्पूर्ण पैठ है।

द इकनोमिस्ट (लंदन) ने लिखा; 'सुस्पष्ट और सुयोग्यतापूर्ण लिखी गयी पुस्तक है। अन्य अनेक रचनाओ में से मुद्रा समस्या का कोई अन्य पहलू निश्चित रूप में इतना पठनीय नहीं है'।

कुछ समय पश्चात रॉयल कमिशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस जिसको हिल्टन युवा आयोग के नाम से भी जाना जाता है भारत आया। इस आयोग के हर सदस्य के पास 'द प्रोब्लेम ऑफ द रूपी' पुस्तक संदर्भ ग्रंथ के रूप में मौजूद थी। भारत की मुद्रा समस्या के बारे में डॉ. अंबेडकर ने हिल्टन युवा आयोग के सामने जो विचार प्रस्तुत किए वे उनकी मुद्रा समस्या के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सन् 1926 में प्रस्तुत की। इसी रिपोर्ट के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई।

श्रमिकों के कल्याणकारी डॉ. अम्बेडकर

2 जुलाई 1942 को वाइसरॉय की एक्जिक्यूटिव कौंसिल में डॉ. अम्बेडकर को श्रम सदस्य (वर्तमान समय में लेबर मिनिस्टर) शामिल किया गया। मालिक मजदूरों के तमाम संघर्षों में उन्होंने मजदूरों का साथ दिया। 7 मई 1943 को उन्होंने त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन द्वारा संस्थापित स्थायी श्रम समिति की अध्यक्षता की और संयुक्त श्रम समितियां और रोजगार कार्यालय स्थापित करने के लिए पहल किया। आज जो हम हर जिले में रोजगार कार्यालय (इम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंज) देख रहे हैं वो डॉ. अम्बेडकर की देन है। श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्होंने भविष्य निधि योजना (प्रोविडेंट फंड) लागू शुरू करवाया। अप्रैल 1944 में डॉ. अम्बेडकर ने एक संशोधन बिल पेश किया कि निरंतर काम करने वाले मजदूरों को सवेतन अवकाश दिया जाए।

डॉ. अम्बेडकर चरित्र निर्माण पर बहुत बल देते थे उनका कहना था कि शिक्षा की अपेक्षा चरित्र अधिक महत्व का है। चरित्रहीन और विनयहीन सुशिक्षित मनुष्य पशु से भी भयंकर होता है। अगर सुशिक्षित मनुष्य की शिक्षा गरीब जनता के कल्याण के खिलाफ होती है तो वह समाज के लिए शाप बन जाएगा। ऐसे सुशिक्षितों को धिक्कार है इसलिए शिक्षा की अपेक्षा चरित्र अधिक महत्व का है।

डॉ. अम्बेडकर ने मजदूरों से कहा कि वे पूँजीपतियों से यह सवाल पुंछे कि उन्होंने मजदूरों का रहन-सहन ऊंचा उठाने के लिए पैसा क्यों नहीं खर्च किया? डॉ. अम्बेडकर के अनुसार औद्योगिक शांति स्थापना के लिए एक समझौता व्यवस्था, श्रम-विवाद-कानून में संशोधन और न्यूनतम वेतन कानून आवश्यक थे। उन्होंने कहा कि औद्योगिक शांति कानून के आधार पर स्थापित हो सकती है, पर यह आवश्यक नहीं कि ताकत के बल पर ही यह संभव हो। इसके लिए त्रिपक्षीय मार्ग ही अनुकूल रहेगा। उनका कहना था कि शोषण समाप्त करके, श्रम कल्याण द्वारा और सही औद्योगिक संबंधों के जरिए ही औद्योगिक शांति स्थापित हो सकती है। औद्योगिक शांति के लिए यह आवश्यक है कि मालिक और मजदूरों के बीच के झगड़े सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर सुलझाए जाएं।

सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री के रूप में किए गए उल्लेखनीय कार्य

वाइसरॉय की एक्जिक्यूटिव कौंसिल में डॉ. अम्बेडकर को बाद में केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) का मंत्री बनाया गया। इस पद पर रहते हुए डॉ. अम्बेडकर ने अगस्त 1945 में बंगाल और बिहार के लिए एक बहुउद्देशीय दामोदर घाटी विकास योजना प्रस्तुत की जो अमेरिका के तेन्नेसी वैली प्रोजेक्ट से मिलती जुलती थी। इस योजना के तहत सिंचाई के लिए पानी, जल मार्ग से यातायात, बिजली का उत्पादन आदि जैसे काम किए गए जिससे करोड़ों लोगों को लाभ मिला। नवंबर 1945 में उन्होंने उडीसा में वहां की नदियों के विकास के लिए एक बहुउद्देशीय योजना शुरू की जो अंतत: हीराकुंड बांध के रूप में कारगर हुई। डॉ. अम्बेडकर ने हीरा कुंड बांध योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि जल मार्गों का विकास कर सस्ते यातायात को बढ़ावा दिया जा सकता है, उनका कहना था कि बिजली का उत्पादन और सिंचाई योजनाओं का विकास भारत के औद्योगिकरण के लिए और आर्थिक विकास के लिए अति आवश्यक है। भारत की खनिज संपदा के विकास और उत्खनन के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की और जोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पुनर्गठन किया।

मानवाधिकारों के संरक्षक

डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि सरकार एक ऐसा संगठन है जो (1) जनता की जीवन रक्षा, स्वतंत्रता, सुख, भाषा और धर्म पालन के अधिकारों की रक्षा करता है, (2) दलित वर्गों को समान अवसर प्रदान करके सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक समानताओं को दूर करता है और (3) अपने हर नागरिक को अभाव और भय से मुक्ति प्रदान करता है। स्वतंत्रता-पूर्व भारत में उन्होंने भारतीयों की आजादी और अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता मात्र राजनैतिक नहीं, यह सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक भी होनी चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर कहते थे कि सरकार की सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता में संतुलन होना चाहिए। उनका विचार था कि यदि वैयक्तिक स्वतंत्रता छीन लेने से समाज के हितों को आघात पहुंचता है तो यह अधिकार हरण नहीं होना चाहिए। वे कहते थे कि सरकार तो केवल मानव कल्याण का साधन मात्र है। वे कहते थे कि अच्छी सरकार वही है जो एक समुदाय को दूसरे समुदाय के शोषण के बचाए और देश में आंतरिक उपद्रवी, हिंसा और अव्यवस्था पर नियंत्रण करे और प्रत्येक व्यक्ति को उसके मूलभूत अधिकारों का उपयोग करने में सहायता करे।

महिला सशक्तिकरण में डॉ. अम्बेडकर का योगदान

डॉ. अम्बेडकर का सपना था कि भारत को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाया जाय। 4 अगस्त, 1913 को न्यूयार्क से अपने एक मित्र को लिखे एक पत्र में डॉ. अम्बेडकर ने इस सिद्धांत की आलोचना की है कि मनुष्य को इस संसार में जन्म के आधार पर या पूर्व कर्मो के अनुसार सब कुछ प्राप्त होता है। डॉ. अम्बेडकर ने इसी पत्र में लिखा:

"हमें कर्म सिद्धांत को त्याग देना चाहिए। यह गलत है कि माता-पिता बच्चे को केवल जन्म ही देते हैं, भविष्य नहीं। माता-पिता अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं यदि हम इस सिद्धांत पर चलने लग पड़ें तो हम अति शीघ्र शुभ दिन देख सकते हैं और यदि हम लड़कों के साथ-साथ लड़कियों की शिक्षा की ओर भी ध्यान देने लग जाएं तो हम शीर्घ प्रगति कर सकते हैं। आप अपनी पुत्री को शिक्षा देकर इसका लाभदायक परिणाम स्वयं देख सकते हैं। इसलिए आपका मिशन, जो भी आपके अड़ोस-पड़ोस में है, उन्हें यह समझाना चाहिए कि पढ़ो औश्र विद्वान बनो।"

डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि किसी भी देश की आबादी का आधा हिस्सा महिलाओं का होता है और इसलिए कोई भी देश तभी तरक्की कर सकता है जब उसकी महिलाओं को तरक्की का समान अवसर मिले। नागपुर में महिलाओं के एक अखिल भारतीय सम्मेलन में डॉ. अम्बेडकर ने कहा था 'मैं किसी समुदाय की प्रगति को इस पैमाने पर देखता हूं कि उसकी महिलाओं में कितनी प्रगति की है। महिलाओं के संगठन में मेरा अत्यधिक विश्वास है। मैं जानता हूं कि यदि वे आश्वस्त हो जाएं तो समाज को सुधारने के लिए क्या नहीं

कर सकती है? मैं स्त्रियों के उत्थान और मुक्ति का सबसे बड़ा समर्थक रहा हूं और अपने समुदाय में स्त्रियों की स्थिति सुधारने का मैंने भरसक प्रयास किया है और मुझे इस पर गर्व है'।"

ऐसा नहीं है कि भारत में महिलाओं की हमेशा ही दुर्दशा रही हो। एक समय था जब कहा जाता था कि जहां पर नारी की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते हैं (यत्र नारियस्ति पूज्यते, तत्र रमन्ते देवता)। प्राचीन भारत में गौतम बुद्ध ने महिलाओं को दीक्षा का अधिकार देकर और स्वतंत्र भिक्षुणी संघ की स्थापना करके महिला सशक्तीकरण में ऐतिहासिक योगदान किया था। लेकिन बुद्ध के कुछ शताब्यिों बाद मनुस्मृति जैसे विधान बनाए गए जिसमें स्त्रियों से बराबरी का अधिकार छीन लिया गया और उनके लिए एक ऐसे कानून की व्यवस्था की गई जिससे कि महिलाएं जीवन के किसी क्षेत्र में पुरूषों की बराबरी न कर सके। मनुस्मृति के श्लोक 5.147 में प्रावधान किया गया: लड़की को, नवयुवती को या वृद्धा को भी अपने घर में भी कोई काम स्वतंत्रतापूर्वक नहीं करना चाहिए।

इसी तरह श्लोक 5.148 में प्रावधान किया गया: स्त्री का बवचपन में अपने पिता, युवावस्था में अपने पति और जब उसका पति दिवसंगत हो जाए तब अपने पुत्रों के अधीन रहना चाहिए। स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए।

श्लोक 9.2 में प्रावधान है कि स्त्रियां उनके परिवारों के पुरुषों द्वारा दिन-रात अधीन रखी जानी चाहिए और यदि वे अपने को विषयों में आसक्त करें तो उन्हें अपने नियंत्रण में अवश्य रखें।

इतना ही नहीं, श्लोक 9.46 में प्रावधान किया गया कि बेचने और त्याग देने पर भी कोई स्त्री अपने पति से मुक्त नहीं होती। पति का अधिकार उस पर सदैव रहेगा।

ऐसे प्रावधानों का महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर बहुत नुकसानदायक प्रभाव पड़ा जिसके कारण महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार कठिन हो गए और विधवाओं को विधवा आश्रम जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अधिकतर महिलाओं ने भी अपनी दुर्दशा को भाग्य का खेल समझकर स्वीकार कर लिया था। डॉ. अम्बेडकर महिलाओं की इस स्थिति से बहुत दु:खी थे और हमेशा इस कोशिश में रहते थे कि महिलाओं की स्थिति में कैसे सुधार लाया जाए और उनको वे सभी अधिकार दिलाए जाएं जो किसी भी समाज में आम नागरिक को प्राप्त होने चाहिए।

1928 में साइमन कमीशन के समक्ष दिए गए अपने साक्ष्य में डॉ. अम्बेडकर ने वयस्क मताधिकार की जोरदार वकालत की और कहा कि इक्कीस वर्ष के ऊपर के सभी भारतीयों को चाहे वो महिला हो या पुरुष मताधिकार का अधिकार मिलना चाहिए। वयस्क मताधिकार के विरोधियों का कहना था कि वयस्क मताधिकार के लिए जितनी मानव संसाधनों की आवश्यकता है उतने लोग सरकार के पास नहीं है। डॉ. अम्बेडकर ने दलील दी कि जिस तरह जनगणना के लिए कॉलेज के शिक्षकों और विद्यार्थियों की सहायता ली जाती है उसी प्रकार निर्वाचन के समय उनकी सहायता ली जा सकती है और दीर्घकाल के लिए आवश्यकतानुसार भर्ती भी की जा सकती है। लेकिन वयस्क मताधिकार को कुछ लोगों तक किसी भी हालत में सीमित नहीं रखा जा सकता और वयस्क मताधिकार में स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही मताधिकार मिलना चाहिए।

सन् 1942 में डॉ. अम्बेडकर को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। डॉ. अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए भारत के इतिहास में पहली बार प्रसूति अवकाश की व्यवस्था की। आगे चलकर जब डॉ. अम्बेडकर को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया तो डॉ. अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 14, और 15 में ऐसा प्रावधान रखा कि लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और समानता का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया। इतना ही नहीं, कानून मंत्री के रूप में डॉ. अम्बेडकर ने हिन्दू कोड बिल संसद में पेश किया जिसका उद्देश्य था कि अलग-अलग पंथों में बंटे हिन्दू समुदाय के लिए एक समान आचार संहिता तैयार करना जिसमें महिलाओं को

वैवाहिक मामलों में, पति से तलाक के मामले में, उत्तराधिकार के मामले में, गोद लेने के मामले में, गुजारा भत्ता के मामले में और परिवार में हिस्सेदारी के मामले में समान अधिकार मिले।

लोकतंत्र के बारे में डॉ. अम्बेडकर के विचार

डॉ. अम्बेडकर लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। डॉ. अम्बेडकर का कहना था कि लोकतंत्र की आत्मा है, एक आदमी, एक मूल्य का सिद्धांत। लंदन में गोलमेज सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन में 20 नवम्बर 1930 को अपने भाषण में उन्होंने कहा:

हमें ऐसी सरकार चाहिए जिसमें सत्ता में बैंठे व्यक्ति इस बात को समझते हों कि कब सरकार की आज्ञाकारिता समाप्त हो जाती है और प्रतिरोध आरंभ हो जाता है, फिर वे न्याय और समय की आवश्यकताओं को देखते हुए सामाजिक और आर्थिक जीवन की आचार संहिताओं में परिवर्तन करने में नही हिचकिचाएं। यह काम केवल वही सरकार कर सकती है जो जनता की सरकार हो, जनता के लिए हो तथा जनता द्वारा चुनी गई हो। हम महसूस करते हैं कि हमारे अतिरिक्त हमारे दुख-दर्द को कोई भी दूर नहीं कर सकता और जब तक राजनीतिक सत्ता हमारे हाथों में नहीं आती, हम भी उसे दूर नहीं कर सकते।

नए संविधान का निर्माण करते समय भारत की सामाजिक व्यवस्था के कुछ ठोस तथ्यों को ध्यान में अवश्य रखा जाना चाहिए। इस बात को मानकर चलना होगा कि यहां की सामाजिक व्यवस्था उच्च वर्ग के लिए आदर और निम्न वर्ग के लिए घृणा की अन्याय-पूरक मान्यताओं पर आधारित हैं। इसलिए वर्ग और जाति पर आधारित इस व्यवस्था में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए आवश्यक समता और बंधुत्व की मानवीय भावनाओं के विकास की कोई संभावना नहीं है। इस बात को भी मानना होगा कि यद्दपि बुद्धिजीवी वर्ग भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है किंतु यह सभी उच्च वर्ग से आते हैं। यद्यपि यह देशहित की बात करते हैं और राजनीतिक आंदोलनों का नेतृत्व करते हैं, किंतु वे जातिगत सकीर्णताओं का परित्याग नहीं कर पातें। हमें बार-बार याद दिलाया जाता है कि दलित वर्गो की समस्या एक सामाजिक समस्या है और उसका समाधान राजनीति में नही है। हम इस विचार का जोरदार विरोध करते हैं।

नए संविधान का निर्माण करते समय भारत की सामाजिक व्यवस्था के कुछ ठोस तथ्यों को ध्यान में अवश्य रखा जाना चाहिए। इस बात को मानकर चलना होगा कि यहां की सामाजिक व्यवस्था उच्च वर्ग के लिए आदर और निम्न वर्ग के लिए घृणा की अन्याय-पूरक मान्यताओं पर आधारित हैं।

हम महसूस करते हैं कि जब तक दलित वर्गो के हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आती, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यह सत्य है और हमारे विचार से इसके अलावा और कुछ सत्य हो ही नहीं सकता कि दलित वर्गों की समस्या मुख्य रूप से एक राजनीतिक समस्या है आर उसे ऐसा ही माना जाना चाहिए। यह सर्वविदित हैं कि जिस व्यक्ति के साथ सत्ता होती है, वह उस व्यक्ति की अपेक्षा अधिक ताकतवर होता है, जिसके पास यह नहीं होती। हम सभी जानते हैं कि जिनके पास सत्ता होती है, वे उनके पक्ष में यह सत्ता छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होते जो सत्ता के बाहर होते हैं। अत: हमें आशा नहीं है कि हमारी सामाजिक समस्या का समाधान होगा। आज हम जिन्हें सत्ता और सम्मान के सिंहासन पर आरूढ़ करने के लिए सहायता कर रहें हैं, उन्हें हटाने के लिए हमें एक और क्रांति करनी होगी तभी सत्ता हमारे हाथों में आ सकेगी। इस बात पर बल देना उचित है कि हमारी समस्या के समाधान के लिए एक ऐसा अनुकूल राजनीतिक तंत्र हो, जिससे हमारा भी उस पर कुछ अधिकार हो। हम उनकी इच्छा पर निर्भर नहीं रह सकते, जो उस तंत्र पर अपना निरंकुश अधिकार जमाने के लिए जोड़ तोड़ कर रहें हैं।"

24 जनवरी 1936, को सोलापुर में अपने भाषण में डॉ. अंबेडकर ने कहा कि आप अपने वोट की कीमत नमक-मिर्च के बराबर मत समझिए, इस वोट की कीमत आपके जान से भी ज्यादा है इस बात को आप को भूलना नहीं चाहिए, गलत प्रतिनिधियों को चुनकर आप अपनी गर्दन कसाई के हाथ में ना दें। 29 जनवरी 1936 को ठाणे में अपने भाषण में डॉ. अंबेडकर ने कहा कि वोट को बेचना गुनाह तो है ही, साथ ही साथ यह आत्मघात भी है।

15 मई 1938, को कन्कवली में अपने भाषण में डॉ. अंबेडकर ने कहा कि हमारा मकसद क्या है इसका ठीक से समझ लो, इस देश की शासनकर्ता जमात बनना यह हमारा मकसद है, यह मकसद आपके दिलों-दिमाग में जतन कर लो, आपके घर की दीवारों पर इसको लिख कर रखें ताकि रोज आपको इसकी याद आएगी जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, वह कोई छोटा-मोटा मकसद नहीं है। हमारा संघर्ष चंद नौकरियों तथा आरक्षण के लिए नहीं है, हमारे दिल की

आंकांक्षाएं बहुत बड़ी है, इस देश की शासनकर्ता जमात बनना ही हमारा ध्येय और हमारी आकांक्षा है। इस देश का बहुसंख्यक समाज ही देश का हुक्मरान वर्ग बनना चाहिए।

4 अक्टूबर 1945 को पुणे में ऑल इंडिया शेडयूल्ड कास्ट्स फेडरेशन वर्किंग कमिटी की मीटींग में डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि राजनीतिक सत्ता के बिना हम ज्यादा कुछ नही कर सकते इसलिए हमें राजनीतिक सत्ता के लिए संघर्ष करना चाहिए। हमारा आज तक जो विनाश हुआ है उसका कारण है राजनीतिक सत्ता हाथ में न होना।

असली लोकतंत्र तभी आएगा जब बहुसंख्यक समाज देश का हुक्मरान वर्ग बने, जनता की सरकार हो, जनता के लिए हो तथा जनता द्वारा चुनी गई हो। इस तरह से हम देखते हैं कि डॉ. अम्बेडकर लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे।

संविधान निर्माता

जब भारत देश आजाद हो रहा था और भारत का संविधान लिखने की जिम्मेदारी आई तो संविधान सभा ने डॉ. अम्बेडकर को संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष चुना और डॉ. अम्बेडकर ने उस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए चुनी गई लेखा समिति पर डॉ. अम्बेडकर की अध्यक्षता में कुल सात सभासदों की संविधान समिति चुनी गई थी लेकिन प्रत्यक्षतया एक सभासद की मौत हो गई थी, दूसरे सभासद अमेरिका चले गए और वहीं रह गए, तीसरे सभासद ने इस्तीफा दे दिया था। उन तीन जगहों को भरा नहीं गया। चौथे सभासद संस्था के कार्यों में लगे रहे। इसलिए उनका भी संविधान लेखन में कोई भी उपयोग नहीं था। वे सिर्फ नाम के ही सभासद थे। एक-दो सभासद दिल्ली से दूर थे और अस्वास्थ्य की वजह

से वह अनुपस्थित ही रहे। इस वजह से प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर को अकेले ही संविधान लेखन का संपूर्ण भार अपने कंधों पर उठाना पड़ा। दिन के 18-18 घंटे वह कार्यरत रहते थे। राष्ट्र द्वारा सौंपा गया कार्य करने के लिए उन्होंने अपने प्राकृतिक स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं कि और बहुत ही कष्ट झेले। डॉ. अम्बेडकर ने अपने विचारों को संविधान के मूलभूत अधिकारों में अनुच्छेद-17 और 23 में रखा। भारतीय संविधान की नीव लोकतंत्र पर टिकी है। इसलिए डॉ. अम्बेडकर को भारतीय संविधान के प्रधान शिल्पकार के रूप में जाना जाता है और कुछ विद्वान लेखक उनको भारतीय संविधान का पिता भी मानते हैं। डॉ. अम्बेडकर द्वारा किए गए कार्यों के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने सन् 1952 में उन्हें, एल.एल.डी. की मानद डिग्री प्रदान की। हैदराबाद स्थित उस्मानिया विश्वविद्यालय ने सन् 1953 में डॉ. अम्बेडकर को एल.एल.डी. की मानद डिग्री प्रदान की।

भविष्य दृष्टा अंबेडकर

संविधान सभा में संविधान के गुणविशेष के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि संविधान में बुने गए तत्व विद्यमान पीढ़ी के मत हैं। संविधान कितना भी अच्छा या बुरा हो, तो भी वह अच्छा या बुरा है यह आखिर में राज्यकर्ताओं के संविधान के इस्तेमाल करने पर ही निर्भर होगा। राष्ट्र की भविव्य को सोच विचार कर उन्होंने चिंता व्यक्त की और कहा, मेरे दिल को बड़ा दु:ख होता है, वह इस बात की वजह से कि भारत को इससे पहले अपनी स्वतंत्रता गंवाने की बारी एक ही बार आ गयी हो ऐसा नही है, किन्तु भारत की जनता के खुद के ही विश्वासघात से, देशद्रोह करने से ही उसे स्वतंत्रता गंवानी पड़ी। जब मुहम्मदबिन कासिम ने सिंघ पर हमला किया तब राजा दाहर के सेनापति ने मुहम्मदबिन कासिम के मुनीम से रिश्वत लेकर अपने राजा की ओर से लड़ने से साफ इन्कार कर दिया। मुहंमद गोरी को हिन्दुस्तान पर हमला करने का आमंत्रण देकर पृथ्वीराज के खिलाफ लड़ने का आमंत्रण देने वाला पुरूष जयचन्द था। उसने मुहंमद गोरी को सोलंकी राज्य की और अपनी सहायता देने का वचन दिया था। जब शिवाजी महाराज

स्वतंत्रता के लिए युद्ध कर रहे थे, तब अन्य मराठा सरदार और राजपूत, मुगल बादशाह की ओर से लड़ रहे थे। जब सिख राज्यकर्ताओं के खिलाफ ब्रिटिश लड़ रहे थे तब उनके सेनापति चुप बैठे थे। सिखों की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए उन्होंने बिलकुल प्रयास नही किए। 1857 में भारत के बड़े भाग ने ब्रिटिशों के खिलाफ स्वतंत्रता युद्ध पुकारा, तब बहुत से लोग वह युद्ध शांति से प्रेक्षक वृत्ति से देखते रहे। क्या इतिहास अपने आप का दोहराएगा? सभागृह से यह पूछकर उन्होंने कहा कि हिंदू लोगों के जातिभेद और पंथभेद जैसे पुराने दुश्मनों के अलावा, अनेको न, क्षेत्रीय दलों का उद्‌गम हो रहा है, इस एहसास से मेरी चिंता दुगुनी हो गयी है। इसलिए भारतीय जनता को डॉ. अम्बेडकर ने यह इशारा किया कि अगर क्षेत्रीय दलों ने अपने दल का मत राष्ट्रहित की अपेक्षा श्रेष्ठ माना, तो भारतीयों की स्वतंत्रता दूसरी बार खतरे में पड़ जायेगी और शायद वह स्थायी रूप से नष्ट हो जाएगी। अत: शरीर में खून की आखिरी बूंद होने तक आपको अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। ये अमूल्य बोल सुनकर सदन ने डॉ. अम्बेडकर का बड़ा जयघोष किया। तत्पश्चात डॉ. अम्बेडकर इस विचार की ओर मुडे कि किस मार्ग से लोकतंत्र का समर्थन किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को पहली बात यह करनी चाहिए कि असहयोग, कानूनभंग, और सत्याग्रह के मार्ग वे छोड़ दे: क्योंकि संविधान वाह्य मार्ग केवल अराजकता का व्याकरण हैं।

स्वतंत्रता को दूसरा खतरा लोगों की विभूतिपूजा से पैदा हुआ है। यह कहकर उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल नामक ब्रिटिश दार्शनिक के मत की सदन को याद दिलायी। उस ब्रिटिश दार्शनिक ने लोकतंत्र के संरक्षको को यह इशारा किया है कि कोई व्यक्ति कितना भी महान हो, तो भी उसके चरणों में वे अपनी स्वतंत्रता अर्पित न करें, या अपनी संस्था का विनाश करने के लिए वह सक्षम हो सके, इतनी बड़ी सत्ता उसको न सौपें। देश में प्रचलित निर्बुदध और अंधी विभूतिपूजा के खिलाफ डॉ. अम्बेडकर ने इशारा करते हुए कहा कि जिन महान व्यक्तियों ने आजीवन राष्ट्र की सेवा की, उनके प्रति कृतज्ञता रखने में कोई हर्ज नहीं, किन्तु उस कृतज्ञता की भी कुछ सीमा होती है। आयरिश देशभक्त ओकानेल के

कथन के अनुसार अपनी आत्मप्रतिष्ठा की बलि देकर कोई भी पुरूष कृतज्ञ नहीं रह सकता, कोई भी नारी अपना सतीत्व भंग करवाकर कृतज्ञ नहीं रह सकती, और अपनी स्वतंत्रता की बलि देकर कोई भी राष्ट्र कृतज्ञ नहीं रह सकता। अन्य किसी भी देश की अपेक्षा भारत में यह सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भारत की राजनीति में विभूतिपूजा का इतना जबर्दस्त असर पड़ता है कि वैसा असर विश्व के किसी भी अन्य देश की राजनीति पर नही पड़ता। हो सकता है कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखा सकती हो, किन्तु राजनीति में भक्ति या विभूतिपूजा अधोगति का और अन्त में तानाशाही का निश्चित मार्ग है, यह ध्याान में रखें।

भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करते समय भारतीयों को तीसरी बात यह करनी चाहिए कि वे राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट न रहें। उनको राजनीतिक लोकतंत्र का सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में रूपांतरण करना चाहिए। अगर राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र पर अधिष्ठित नही किया गया, तो वह टिक ही नहीं सकता क्योंकि सामाजिक लोकतंत्र स्वतंत्रता, समता और बंधुभाव का एक अखण्ड और अभंग त्रिमूर्ति है। अगर सामाजिक समानता न होगी तो स्वतंत्रता का अर्थ मुट्‌ठीभर लोगों का आम जनता पर राज्य करना होगा। अगर स्वतंत्रता समताविहीन होगी तो वह व्यक्ति के जीवन की स्वयंप्रेरणा नष्ट करेगी। अगर बंधुभाव न होगा तो स्वतंत्रता और समता की वृद्धि सहजता से नहीं होगी। भारतीय जनता को एक बात स्वीकार करनी चाहिए कि भारतीय समाज में दो बातों का अभाव है। ये दो बाते हैं- सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। अपने आवेशयुक्त भाषण में देश को खतरे की सूचना देते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि 26 जनवरी, 1950 को हम विरोधाभास की स्थिति में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमें राजनीतिक समानता प्राप्त होगी, किन्तु सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता रहेगी। अगर यह विसंगति यथासंभव तुरन्त दूर करने का प्रयास हमने नहीं किया, तो जिन्हें विषमता की ऑच लगी हुई है, वे लोग संविधान समिति द्वारा बड़े परिश्रम से बना, इस राजनीतिक लोकतंत्र की मीनार मिट्‌टी में मिला, बिना नहीं रहेगें। और आखिर में उन्होंने भारतीयों को यह आवाहन

किया कि जिस जातिभेद की वजह से सामाजिक जीवन में अलग-अलग गुट बन गए है और जाति-जाति में विद्वेष और दुश्मनी पैदा हुई है, उस जातिभेद का त्याग कर भारतीय, सामाजिक और मानसिक अर्थ में एक राष्ट्र बनाएं।

राष्ट्रीय एकता के लिए जाति उन्मूलन आवश्यक

डॉ. अम्बेडकर का विचार था कि जब तक भारत में जाति प्रथा रहेगी, भारत मजबूत नहीं हो सकता। वे जातिप्रथा को राष्ट्र विरोधी मानते थे तथा जाति को सामाजिक जीवन में अलगाव व भेदभाव पैदा करने वाला तत्व मानते थे जो लोगों के बीच ईर्ष्या, घृणा और विद्वेष पनपाती और फैलाती है। अत: यदि हम पूरी वास्तविकता में एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हमें इन सारी कठिनाइयों पर विजय पानी ही होगी, क्योंकि बंधुता केवल तभी हकीकत बन सकती है जब हम एक राष्ट्र हो। बंधुता के बिना समानता और स्वतंत्रता रंग की पुताई वाली परतों से ज्यादा गहरी नहीं हो सकती। इसलिए डॉ. अम्बेडकर ने युवकों का आवाह्न किया कि वो अंर्तजातीय भोज और अंर्तजातीय विवाह को प्रोत्साहन दे।

अम्बेडकर के बारे में अब गंभीरता से सोचने का मतलब है कि हमें अपने समाज की संरचना पर भी पूर्ण विचार करना चाहिए। हमें जाति पर पूर्ण विचार करना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए कि यह भारत आज वह करने के लिए तैयार है जो अम्बेडकर ने 1936 में करने को कहा था: 'आपको यह नही भूलना चाहिए कि अगर आपको इस व्यवस्था को तोड़ना है तो आपको वेदों व शास्त्रों को डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए जिनमें न कोई तार्किकता है और न कोई नैतिकता। आपकों श्रुतियों और स्मृतियों कें धर्म को नप्ट कर देना चाहिए। अन्य किसी बात का कोई फायदा न होगा'।

(अनाहिलेशन ऑफ कास्ट) लाहौर के जातिपात तोडक मंडल के एक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया अध्यक्षीय भाषण था, जो दिया नही गया। वह 1936 में प्रकाशित और कई भारतीय भाषओं में अनुदित हुआ। यह जाति को समाप्त करने के आहवान के साथ समाजिक क्रांति की भाषा का आगाज करता है। इसमें अम्बेडकर हिंदुओं के लिए एक कार्य योजना की रुपरेखा बनाते हैं: जाति व्यवस्था को खत्म करने का असली तरीका अंतर्जातीय खान-पान और अंतर्जातीय विवाह नही हैं, बल्कि उन धार्मिक अवधारणाओं को नष्ट करना है, जिनपर जाति प्रथा आधारित है। दूसरे शब्दों में, अम्बेडकर के सामाजिक सुधार के लिए हिंदू समाज का पुनर्गठन और पुनर्निर्माण जरुरी था।

अम्बेडकर हिंदू समाज के निर्माण में जाति की केन्द्रीय भूमिका को स्पष्ट करते हुए उस पर प्रहार करते हैं। वह कहते हैं कि हिंदू समाज की अवधारणा एक भ्रम है और वह मात्र 'जातियों का संग्रह' है। प्रत्येक जाति एक स्वतंत्र समूह है और उसे एक व्यवसाय सौंपा गया है, जो उसकी मूल क्षमताओं पर नही बल्कि माता-पिता की जातिगत पहचान पर आधारित है। लेकिन सबसे ऊंचे पुरोहित वर्ग को किसी कानून या नैतिकता के अधीन नही रखा गया है और उसे कोई कर्तव्य नही बल्कि सिर्फ अधिकार और विशेषाधिकार दिए गए हैं। वह जाति को ताकत के एक स्त्रोत के रुप में देखतें हैं जो ब्राह्मणों और अन्य उच्च जातियों को सशक्त बनाता है। अम्बेडकर ने जाति को एक अलोकतांत्रिक संस्था के रुप में देखा। उसकी भावना समाज विरोधी है और वह अक्षमता, अकर्मण्यता और एकता के अभाव की भावना को प्रेरित करती है। वह जातिगत नियमों के उल्लंघन पर निचली जातियों के बहिष्कार और उत्पीड़न को प्रचलित करती है।

डॉ. अम्बेडकर निष्कर्ष देते हैं: 'जाति ने जन भावना और लोकोपकार की भावना को नष्ट कर दिया है। जाति ने लोक मत को असंभव बना दिया है।' जाति के लोक के आह्वान का संबंध आजादी, समानता और भाईचारे पर आधारित एक लोकतांत्रिक समाज बनाने के उनके महान उद्देश्य से हैं। वह मानते थें, 'लोकतंत्र शासन का एक रुप मात्र नही है। वह मुख्य रुप से सहयोगी जीवन की एक पद्धति है। हिंदू समाज और लोकतंत्र एक दूसरे से संगत नही है। समाजिक तानाशाही राजनीतिक तानाशाही से भी बुरी चीज है; इसलिए समाज सुधार और

डॉ. अम्बेडकर का विचार था कि जब तक भारत में जाति प्रथा रहेगी, भारत मजबूत नहीं हो सकता। वे जातिप्रथा को राष्ट्र विरोधी मानते थे तथा जाति को सामाजिक जीवन में अलगाव व भेदभाव पैदा करने वाला तत्व मानते थे जो लोगों के बीच ईर्ष्या, घृणा और विद्वेष पनपाती और फैलाती है। अत: यदि हम पूरी वास्तविकता में एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हमें इन सारी कठिनाइयों पर विजय पानी ही होगी, क्योंकि बंधुता केवल तभी हकीकत बन सकती है जब हम एक राष्ट्र हो।

हिंदू समाज का पुनर्निर्माण राजनितिक सुधार से अधिक जरुरी है।'

सांप्रदायिकता और राष्ट्रीयता

अंबेडकर के अनुसार मानवता के इतिहास में राष्ट्रीयता एक बहुत बड़ी शक्ति रही है। यह एकत्व की भावना है, किसी विशेष वर्ग से संबंधित होना नहीं। यही राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय भावना का सार कहा जाता है। अम्बेडकर की दृष्टि में सही राष्ट्रवाद है जाति भावना का परित्याग और जाति भावना गहन सांप्रदायिकता का ही रूप है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब मानव के बीच जाति, नस्ल और रंग का अंतर भुलाकर उसमें सामाजिक भ्रातत्व को सर्वोच स्थान दिया जाए। राष्ट्रवाद के संदर्भ में अल्पसंख्यक और बहुमत के विषय में डॉ. अम्बेडकर कहते हैं; 'अल्पमत द्वारा जब सत्ता में कुछ अधिकार मांगे जाते हैं तो वह सांप्रदायिक हो जाता है परंतु बहुमत के बल पर जब सत्ता पर एकाधिकार जमा लिया जाता है उसे राष्ट्रीयता कहा जाता है। डॉ. अम्बेडकर व्यक्ति कि स्वतन्त्रता चाहते थे। संविधान सभा में कुछ सदस्यों ने प्रस्तावना में 'भारत के लोग' के स्थान पर 'भारत राष्ट्र' लिखने कि मांग की। अंबेडकर ने पूंछा; 'हजारों जातियों में बंटे लोग एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं'? उन्होंने कहा कि 'जितनी जल्दी हम यह समझ जाएँगे कि सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अभी हम एक राष्ट्र नहीं हैं, उतना ही अच्छा है'।

डॉ अम्बेडकर ने कहा कि शासक जातियाँ यह बात जानती हैं कि वर्ग सिद्धान्त, वर्ग हित और वर्ग संघर्ष उनका विनाश कर देगा इसलिए सताये हुये वर्ग का ध्यान बांटने के लिए उसे राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता का नाम लेकर बहका दिया जाए। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार राष्ट्र के संदर्भ में राष्ट्रीयता का सामाजिक एकता कि द्रढ़ भावना, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में इसका आधार भाईचारा। उन्होंने कहा कि ऐसा राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए जो दूसरे समुदाय या राष्ट्र के प्रति निर्दयता या भय प्रकट हो। उन्होंने कहा कि उस समय तक राष्ट्रवाद निरर्थक है जब तक राष्ट्रीयता की भावना विद्यमान न हो। उन्होंने कहा कि सवर्ण जातियाँ राष्ट्रवाद के नाम पर पिछड़ी जातियों को धोखा दे सकती हैं।

डॉ. अम्बेडकर और बौद्ध धर्म का पुनरूत्थान

डॉ. अम्बेडकर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। 12 मई

1956 को बीबीसी लंदन से वार्ता करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा, 'मैं बुद्ध धर्म को प्राथमिकता देता हूँ क्योंकि यह एक साथ संयुक्त रूप से तीन सिद्धांत प्रतिपादित करता है, जो कोई और नहीं करता। अन्य सभी धर्म ईश्वर, आत्मा या मरने के बाद के जीवन की चिंता में लिप्त है। बुद्ध धर्म प्रज्ञा की शिक्षा देता है। यह करूणा की शिक्षा देता है। यह समता की शिक्षा देता है। इस धरती पर कुशल व सुखी जीवन के लिए मनुष्य को यही चाहिए। बुद्ध धर्म की इन्हीं तीन शिक्षाओं से मुझे प्रेरणा मिली। इन्हीं शिक्षाओं से पूरी दुनिया को प्रेरित होना चाहिए। समाज को न तो ईश्वर और न आत्मा ही बचा सकती है।' बुद्ध के व्यक्तित्व की एक खासियत से वे बहुत प्रभावित थे जो है उनके कथनी और करनी में कोई भेद न होना। बुद्ध ने वही सिखाया जिस पर वे स्वयं चले। 'यथावादी तथाकारी, यथाकारी तथावादी'। बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर, 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा लेकर भारत में लुप्तप्राय हो गए बौद्ध धर्म को पुनःस्थापित किया और एक नई धम्म दीक्षा विधि द्वारा 22 प्रतिज्ञाएं दिलाकर धम्म की जड़ें मजबूत कीं।

25 नवबंर, 1956 को डॉ. अम्बेडकर ने अपना अंतिम भाषण सारनाथ में उसी मृगदाय वन में दिया जहां गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया था। विभिन्न देशों से पधारे 150 भिक्षुओं के समक्ष डॉ. अम्बेडकर ने कहा- 'प्रत्येक बौद्ध के लिए अनिवार्य है कि वह रविवार को बुद्ध विहार में जाए और वहां उपदेश सुने। यदि ऐसा न होगा तो नव-दीक्षित बौद्धों को धर्म की जानकारी न हो सकेगी।' प्रत्येक क्षेत्र में, ऐसे बुद्ध विहारों का निर्माण किया जाए जिनमें सभा करने के लिए काफी स्थान रहे। बौद्ध विहारों को सभा मंदिर होना चाहिए। भारत के दलितों का कल्याण बौद्ध धर्म अपनाने से ही संभव है। उन्होंने दलितों का आवाह्न किया कि वे ऐसे धर्म को अपनाएं जिसमें मानव-मानव में कोई भेद न हो और समता एवं भ्रातृत्व के अधिकार प्राप्त हों। यह उच्च आदर्श बौद्ध धर्म में ही है। जिस प्रकार विभिन्न नामों तथा विभिन्न दिशाओं से आई हुई नदियां समुद्र में मिलकर एक हो जाती है, उनका समुद्र ही नाम हो जाता है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म को अपनाकर सभी समान हो जाते हैं, किसी प्रकार की विषमता नहीं रह जाती। बुद्ध के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए बाबा साहेब ने 'भगवान बुद्ध और उनका

धम्म' नामक कालजयी ग्रंथ की रचना की जिसमें बुद्ध की समस्त शिक्षाओं का समावेश किया।

डॉ. अम्बेडकर कहते थे कि बुद्ध की शिक्षाओं में अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। कालाम सुत्त में जिसको स्वतंत्र चिंतन का प्रथम घोषणा पत्र कहा जाता है, बुद्ध ने कहा कि किसी बात को इसलिए मत मानों कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, या कि ऐसा बहुत पहले से हो रहा है या विद्व ान और बड़े लोग ऐसा कहते हैं। हर बात को अपने अनुभव की कसौटी पर कसो और जब यह लगे कि यह बात आपके लिए व दूसरों के लिए कल्याण ाकारी है तभी मानो। मानसिक गुलामी से मुक्ति का मार्ग इसी में है जिसके शरा समतामूलक समाज, देश व लोक की गुंजाइश है।

अपनी 55वीं वर्षगॉठ पर मद्रास के जय भीम पत्रिका को दिए गए एक संदेश में डॉ. अम्बेडकर ने कहा- 'व्यक्तिगत तौर पर मैं वर्षगॉठ मनाना पसंद नहीं करता। भारत के नेता को पैगम्बरों के बराबर सम्मान दिया जाता है जो लोकतंत्र के लिए खराब है। मैं व्यक्ति पूजा के खिलाफ हूँ। बाबाओं, देवी-देवताओं, पुनर्जन्म की अवधारणा, आत्मा का दूसरे शरीर में प्रवेश करना, वशीकरण, तंत्र-मंत्र और ज्यातिष में डॉ. अम्बेडकर का बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उनका कहना था कि ये सब तो अंधविश्वास मात्र हैं, जो सदियों से मनुष्यों में चले आ रहे हैं, जिन्होंने कितने ही घरों का विनाश कर दिया है और जिन्हें आज भी किसी न किसी रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। वह मनुष्य और मनुष्य के बीच जाति, धर्म, जन्म और धन-दौलत की भिन्नता का विचार कि, बिना एक सम्यक संबंध स्थापित करना चाहते थे और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के तीन शब्दों में समाहित सिद्धांतों पर आधारित समाज की स्थापना करना चाहते थे। उनके दर्शन की जड़े राजनीतिक शास्त्र में नहीं बल्कि धर्म में थीं और इस दर्शन को उन्होंने अपने शास्ता भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्राप्त किया था। डॉ. अम्बेडकर का दर्शन स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के न्यायपूर्ण स्तम्भों पर आधारित था और इसके स्रोत थे- शिक्षा आंदोलन, संगठन, बौद्ध धम्म, संघ और लोकतंत्र में आस्था।

महापुरूष किसे कहा जा सकता है?

विभिन्न विद्वानों द्वारा किसी व्यक्ति को महापुरूष बताने की अलग-अलग कसौटियों की चर्चा करने के बाद डॉ. अम्बेडकर ने कहा :

"एक महापुरूष में सच्चाई तो होनी ही चाहिए, क्योंकि समूचे नैतिक गुणों के संगम के बिना कोई भी व्यक्ति महान नहीं कहला सकता। परन्तु एक व्यक्ति को महान बनने के लिए केवल सच्चाई के अलावा भी कई गुण होने चाहिए। एक व्यक्ति सच्चा हो सकता है, परन्तु फिर भी वह मूर्ख हो सकता है। एक मूर्ख व्यक्ति एक महान व्यक्ति के ठीक विपरीत होता है। एक व्यक्ति इसलिए महान होता है कि वह समाज को संकट की घड़ी में से उबारने के लिए मार्ग ढूंढ लेता है, परन्तु मार्ग को ढूंढने में उसकी सहायता क्या चीज कर सकती है? वह ऐसा केवल प्रतिभा की सहायता से कर सकता है। प्रतिभा प्रकाश है, इसके अलावा और कोई चीज काम नहीं करती। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सच्चाई के बिना कोई व्यक्ति महान नहीं हो सकता। हमें एक प्रसिद्ध व्यक्ति और एक महान व्यक्ति में अंतर समझना चाहिए। मेरा निश्चय है कि एक महान व्यक्ति एक प्रसिद्ध व्यक्ति से बहुत ही भिन्न होता है। एक व्यक्ति की सच्चाई, ईमानदारी या निष्कपटता तथा प्रतिभा जैसे गुण उसे अपने साथियों की तुलना में प्रसिद्ध व्यक्ति होने के लिए पर्याप्त होते हैं। परंतु वे उसे एक महान व्यक्ति के पद व सम्मान तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं होते। एक महान व्यक्ति में मात्र एक प्रसिद्ध व्यक्ति की अपेक्षा कुछ अधिक होना चाहिए। वह अधिक चीज क्या होनी चाहिए? यहां पर दार्शनिकों द्वारा दी गई महान व्यक्ति की परिभाषा का महत्व सामने आता है। एक महान व्यक्ति को सामाजिक उद्देश्य की गतिशीलता से प्रभावित होना चाहिए और उसे समाज के अंकुश तथा चाबुक और सारथी के रूप में काम करना चाहिए। ये वे तत्व हैं, जिनसे एक महान व्यक्ति की एक प्रसिद्ध व्यक्ति से अलग पहचान की जा सकती है और इन्हीं में सर्वोत्तम कार्यों के सम्मान तथा आदर के उसके अधिकार निहित हैं।

डॉ. अम्बेडकर ने नवयुवकों से कहा: मेरा संदेश है संघर्ष और अधिक संघर्ष, त्याग और अधिक त्याग। त्यागों और संघर्षों को न गिनें तो यह संघर्ष और केवल संघर्ष ही है, जिससे उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी और किसी अन्य चीज से नहीं। धन्य हैं वे, जो उन लोगों को ऊपर उठाने के अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हैं, जिनके बीच वे पैदा हुए हैं, धन्य हैं वे लोग, जो दासता के प्रतिरोध के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपने दिनों का पुष्प, अपनी आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति और अपना अल्पांश देने की शपथ लेते हैं। धन्य हैं वे, जो यह संकल्प लेते हैं कि चाहे अच्छा हो या बुरा, चाहे धूप हो या तूफान, चाहे सम्मान मिले या अपमान-वे तब तक नहीं रूकेंगे जब तक लोग पूर्ण रूप से अपने पौरूष को पुनर्प्राप्त नहीं कर लेते।' आपके लिए मेरे परामर्श के अंतिम शब्द हैं - 'शिक्षित बनो, आंदोलित बनो और संगठित बनो, अपने आप में विश्वास रखो और कभी भी निराश मत होओ। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा।

(लेखक भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं एवं डॉ. अम्बेडकर की सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत के अध्येता हैं।)

दूरदृष्टा बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

■ डॉ. आर.एस. कुरील

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का मूल नाम भीमराव था। उनके पिता श्री रामजी वल्द मालोजी सकपाल महू में ही मेजर सूबेदार के पद पर एक सैनिक अधिकारी थे। अपनी सेवा के अंतिम वर्ष वह और उनकी धार्मपत्नी भीमाबाई वर्तमान में काली पलटन स्थित जन्मस्थली स्मारक की जगह पर विद्यमान एक बैरेक के घर में निवास करते थे। सन् 1891 में 14 अप्रैल के दिन जब रामजी सूबेदार अपनी ड्यूटी पर थे, 12 बजे यहीं भीमराव का जन्म हुआ। कबीर पंथी पिता और धर्मपरायण माता की गोद में बालक का आरंभिक काल अनुशासित रहा।

शिक्षा:

बालक भीमराव का प्राथमिक शिक्षण दापोली और सतारा में हुआ। बंबई के एलफिन्स्टोन स्कूल से वह 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास किए। इस अवसर पर एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया और उस में भेंट स्वरुप उनके शिक्षक श्री कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर ने स्वलिखित पुस्तक "बुद्ध चरित्र" उन्हें भेंट की। बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड की फेलोशिप पाकर भीमराव ने 1912 में मुबई विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की। संस्कृत पढ़ने पर मनाही होने से वह फारसी लेकर उत्तीर्ण हुये। बी.ए. के बाद एम.ए. के अध्ययन हेतु बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ की पुन: फेलोशिप पाकर वह अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हुये। सन 1915 में उन्होंने

स्नातकोत्तर उपाधि की परीक्षा पास की। इस हेतु उन्होंने अपना शोध "प्राचीन भारत का वाणिज्य" लिखा था। उसके बाद 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से ही उन्होंने पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की, उनके पीएच.डी. शोध का विषय था, "ब्रिटिश भारत में प्रातीय वित्त का विकेन्द्रीकरण"। फेलोशिप समाप्त होने पर उन्हें भारत लौटना था अत: वे ब्रिटेन होते हुये लौट रहे थे। उन्होंने वहां लंदन स्कूल आर्फ इकोनामिक्स एण्ड पोलिटिकल सांइस में एम.एससी. और डी.एससी. तथा ग्रेज इन नामक विधि संस्थान में बार-एट-लॉ की उपाधि हेतु स्वयं को पंजीकृत किया और भारत लौटे। सब से पहले छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार बड़ौदा नरेश के दरबार में सैनिक अधिकारी तथा वित्तीय सलाहकार का दायित्व स्वीकार किया। पूरे शहर में उनको किराये पर रखने को कोई तैयार नहीं होने की गंभीर समस्या से वह कुछ हफ्तों के बाद ही मुंबई वापस आये। वहां परेल में डबक चाल और श्रमिक कॉलोनी में रहकर अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी करने हेतु पार्ट टाईम अध्यापकी और वकीली कर अपनी धर्मपत्नी रमाबाई के साथ जीवन निर्वाह किया। सन् 1919 में डॉ. अम्बेडकर ने राजनीतिक सुधार हेतु गठित साउथबरो आयोग के समक्ष राजनीति में दलित प्रतिनिधित्व के पक्ष में साक्ष्य दी। मूक और अशिक्षित तथा निर्धन लोगों को जागरुक बनाने के लिये मूकनायक और बहिष्कृत भारत साप्ताहिक पत्रिकायें संपादित किये और अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिये वह लंदन और जर्मनी जाकर वहां से एम. एससी., डी.एससी., और बैरिस्टर की उपाधियाँ प्राप्त की। उनके एम.एससी. का शोध विषय "साम्राज्यीय वित्त के प्राप्तीय विकेन्द्रीकरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन" तथा उनके डी.एससी. उपाधि का विषय "रूपये की समस्या, उसका उद्भव और उपाय" और "भारतीय चलन और बैकिंग का इतिहास" था। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने एल. एल. डी. और उस्मानिया विश्वविद्यालय ने डी. लिट्. की मानद उपाधियों से सम्मानित किया था। इस प्रकार डॉ. अम्बेडकर वैश्विक युवाओं के लिये प्रेरणा बन गये क्योंकि उनके नाम के साथ बीए, एमए, एमएससी, पीएचडी, बैरिस्टर, डीएससी,

डी.लिट्. आदि कुल 26 उपाधियां जुड़ी हैं।

योगदानः

भारत रत्न डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने अपने जीवन के 65 वर्षों में देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनमें से मुख्य-मुख्य निम्नानुसार है:-

सामाजिक एवं धार्मिक योगदान :

- मानवाधिकार जैसे दलितों एवं दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जातिपाति, ऊंच-नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए मनुस्मृति दहन (1927), महाड़ सत्याग्रह (1928), नाशिक सत्याग्रह (1930) एयेवला की गर्जना (1935) जैसे आंदोलन चलाये।
- बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जगाने के लिए वर्ष 1927 से 1956 के दौरान मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक पांच साप्ताहिक एवं पाक्षिक पत्र-पत्रिकाओं का संपादन किया।
- कमजोर वर्गों के छात्रों को छात्रवासों, रात्री स्कूलों, ग्रंथालयों तथा शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से अपने दलित वर्ग शिक्षा समाज (स्था. 1924) के जरिये अध्ययन करने और साथ ही आय अर्जित करने के लिए उनको सक्षम बनाया। सन् 1945 में उन्होंने अपनी पीपुल्स एजुकेशन सोसायटी के जरिए मुम्बई में सिद्धार्थ महाविद्यालय तथा औरंगाबाद में मिलिन्द महाविद्यालय की स्थापना की।
- बौद्धिक, वैज्ञानिक, प्रतिष्ठा, भारतीय संस्कृति वाला बौद्ध धर्म की 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख लोगों के साथ नागपुर में दीक्षा ली तथा भारत में बौद्ध धर्म को पुर्नस्थापित कर अपने अंतिम ग्रंथ "द बुद्धा एण्ड हिज धम्मा" के द्वारा निरंतर वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया।
- जाति-पाति तोडक मंडल (1937) लाहौर, के अधिवेशन के लिये तैयार अपने अभिभाषण को "जातिभेद निर्मूलन" नामक उनके ग्रंथ ने भारतीय समाज को धर्मग्रंथों में व्याप्त मिथ्या, अंधविश्वास एवं अंधश्रद्धा से मुक्ति दिलाने का कार्य किया।
- हिन्दू विधेयक संहिता के जरिए महिलाओं को तलाक, संपत्ति में उत्तराधिकार आदि का प्रावधान कर उसके कार्यान्वयन के लिए वह जीवन पर्यन्त संघर्ष करते रहे।

आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक योगदान :

- भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना डॉ. अम्बेडकर द्वारा लिखित शोध ग्रंथ "रूपये की समस्या-उसका उदभव तथा उपाय" और "भारतीय चलन व बैकिंग का इतिहास" ग्रन्थों तथा "हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनकी साक्ष्य'' के आधार पर 1935 में हुई।
- उनके दूसरे शोध ग्रंथ ''ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास'' के आधार पर देश में वित्त आयोग की स्थापना हुई।
- कृषि में सहकारी खेती के द्वारा पैदावार बढ़ाना, सतत विद्युत और जल आपूर्ति करने का उपाय बताया।
- औद्योगिक विकास, जलसंचय, सिंचाई, श्रमिक और कृषक की उत्पादकता और आय बढ़ाना, सामूहिक तथा सहकारिता से प्रगत खेती करना, जमीन के राज्य स्वामित्व तथा राष्ट्रीयकरण से सर्वप्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना।
- सन 1945 में उन्होंने महानदी का प्रबंधन की बहुउद्देशीय उपयुक्ता को परख कर देश के लिये जलनीति तथा औद्योगिकरण की बहुउद्देशीय आर्थिक नीतियां जैसे नदी एवं नालों को जोड़ना, हीराकुण्ड बांध, दामोदर घाटी बांध, सोन नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय जलमार्ग, केन्द्रीय जल एवं विद्युत प्राधिकरण बनाने के मार्ग प्रशस्त किये।
- सन 1944 में प्रस्तावित केंद्रीय जल मार्ग तथा सिंचाई आयोग के प्रस्ताव को 4 अप्रैल 1945 को वाइसराय द्वारा अनुमोदित किया गया तथा बड़े बांधों वाली तकनीकियों को भारत में लागू करने हेतु प्रस्तावित किया।
- उन्होंने भारत के विकास हेतु मजबूत

सबसे पहले बड़ौदा छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार बड़ौदा नरेश के दरबार में सैनिक अधिकारी तथा वित्तीय सलाहकार का दायित्व स्वीकार किया। पूरे शहर में उनको किराये पर रखने को कोई तैयार नहीं होने की गंभीर समस्या से वह कुछ हफ्तों के बाद ही मुंबई वापस आये। वहां परेल में डबक चाल और श्रमिक कॉलोनी में रहकर अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी करने हेतु पार्ट टाईम अध्यापकी और वकीली कर अपनी धर्मपत्नी रमाबाई के साथ जीवन निर्वाह किया।

तकनीकी संगठन का नेटवर्क ढांचा प्रस्तुत किया।

- ➢ उन्होंने जल प्रबंधन तथा विकास और नैसर्गिक संसाधनों को देश की सेवा में सार्थक रुप से प्रयुक्त करने का मार्ग प्रशस्त किया।

संविधान तथा राष्ट्र निर्माण :

- ➢ समता, समानता, बन्धुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को 02 वर्ष 11 महीने और 17 दिन के कठिन परिश्रम से तैयार कर 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को सौंप कर देश के समस्त नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा की जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति को अभिभूत किया।
- ➢ वर्ष 1951 में महिला सशक्तिकरण का हिन्दू संहिता विधेयक पारित करवाने में प्रयास किया और पारित न होने पर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।
- ➢ वर्ष 1955 में अपना ग्रंथ "भाषाई राज्यों पर विचार" प्रकाशित कर आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को छोटे-छोटे और प्रबंधन योग्य राज्यों में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव दिया था, जो उसके 45 वर्षों बाद कुछ प्रदेशों में साकार हुआ।
- ➢ निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला पुरुष के लिये समान नागरिक हिन्दू संहिता, राज्य पुनर्गठन, बड़े आकार के राज्यों को छोटे आकार में संगठित करना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, कांट्रोलर व ऑडीटर जनरल, निर्वाचन आयुक्त तथा राजनीतिक ढांचे को मजबूत बनाने वाली सशक्त, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं विदेश नीति बनाई।
- ➢ प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य के तीनों अंगों न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका को स्वतंत्र और पृथक बनाया तथा समान नागरिक अधिकार के अनुरूप एक व्यक्ति, एक

मत और एक मूल्य के तत्व को प्रस्थापित किया।

- ➢ विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोंगों की सहभागिता संविधान द्वारा सुनिश्चित की तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की विधायिकता जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायती राज इत्यादि में सहभागिता का मार्ग प्रशस्त किया।
- ➢ सहकारी और सामूहिक खेती के साथ-साथ उपलब्ध जमीन का राष्ट्रीयकरण कर भूमि पर राज्य का स्वामित्व स्थापित करना तथा सार्वजनिक प्राथमिक उद्यमों तथा बैकिंग, बीमा आदि उपक्रमों को राज्य नियंत्रण में रखने के लिए पुरजोर सिफारिश की तथा कृषि की छोटी जोतों पर निर्भर बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए उन्होंने औद्योगीकरण की सिफारिश की।

शिक्षाए सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम कल्याण :

- ➢ वायसराय की कौंसिल में श्रम मंत्री की हैसियत से श्रम कल्याण के लिए श्रमिकों की 12 घण्टे से घटाकर 8 घण्टे कार्य-अवधि, समान कार्य समान वेतन, प्रसुति अवकाश, संवैतनिक अवकाश, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा, कर्मचारी भविष्य नीधि अधिनियम 1952 बनाना, मजदूरों एवं कमजोर वर्ग के हितों के लिए तथा सीधे सत्ता में भागीदारी के लिए स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन कर 1937 के मुम्बई प्रेसिडेंसी चुनाव में 17 में से 15 उम्मीदवार की सीट चुनाव में जीते।
- ➢ कर्मचारी राज्य बीमा के तहत स्वास्थ्य, अवकाश, अपंग-सहायता, कार्य करते समय आकस्मिक घटना से हुये नुकसान की भरपाई करने और अन्य अनेक सुरक्षात्मक सुविधाओं को श्रम कल्याण में शामिल किया।
- ➢ कर्मचारियों को दैनिक भत्ता, अनियमित कर्मचारियों को अवकाश की सुविधाए कर्मचारियों के वेतन श्रेणी की समीक्षा, भविष्य निधि, कोयला खदान तथा माईका खनन में कार्यरत कर्मियों को सुरक्षा संशोधन विधेयक सन 1944 में पारित करने

में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- ➢ सन 1946 में उन्होंने निवास, जल आपूर्ति, शिक्षा, मनोरंजन, सहकारी प्रबंधन आदि से श्रम कल्याण नीति की नींव डाली तथा भारतीय श्रम सम्मेलन की शुरूआत की जो अभी निरंतर जारी है, जिसमें प्रतिवर्ष मजदूरों के ज्वलंत मुद्दों पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति में चर्चा होती है और उसके निराकरण के प्रयास किये जाते है।
- ➢ श्रम कल्याण निधि के क्रियान्वयन हेतु सलाहकार समिति बनाकर उसे जनवरी 1944 में अंजाम दिया।
- ➢ भारतीय सांख्यिकी अधिनियम पारित कराया ताकि श्रम की दशा, दैनिक मजदूरी, आय के अन्य स्त्रोत, मुद्रास्फिति, ऋण आवास, रोजगार, जमापूंजी तथा अन्य निधि व श्रम विवाद से संबंधित नियम सम्भव कर दिया।
- ➢ 8 नवंबर, 1943 को उन्होंने 1926 से लंबित भारतीय श्रमिक अधिनियम को सक्रिय बनाकर उसके तहत भारतीय श्रमिक संघ संशोधन विधेयक प्रस्तावित किया और श्रमिक संघ को सख्ती से लागू कर दिया।
- ➢ स्वास्थ्य बिमा योजनाएं भविष्य निधि अधिनियम, कारखाना संशोधन अधिनियम, श्रमिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और विधिक हडताल के अधिनियमों को श्रमिकों के कल्याणार्थ निर्माण किया।

विरासत:

आज उनके नाम से विश्व में जयभीम के नारे लगते है। उनके अनुयायी उनसे पूनीत स्थल महू, मुंबई, नागपुर, बडौदा, दिल्ली, लंदन, न्यूयार्क, महाड़, नाशिक, पूणे आदि तीर्थों के दर्शनार्थ आवागमन करते हैं। उन पर शोध और प्रचुर साहित्य उपलब्ध है। संविधान के पिता की हैसियत से शासन उनका अभिवादन करते हैं। उनका अंतिम ग्रंथ "बुद्ध और उनका धर्म" देश विदेश में भिन्न-भिन्न भाषाओं में अनूदित व पठनीय है।

महू में गत 14 अगस्त को म.प्र. विधान सभा ने असामान्य गजट में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अध्यादेश 2015 पारित किया है, जो देश का प्रथम सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय है जो देश में व्याप्त सामाजिक बुराईयों के निर्मूलनार्थ महापुरुषों के विचार और विद्यमान आधुनिक तकनीकी के संयुक्त योग से प्रत्येक जिले में सामाजिक विज्ञान केन्द्र बनाकर बाबासाहेब के सपनों के भारत को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। आप उसे अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें तो वह दिन दूर नहीं जब महू जन्मस्थली और विश्वविद्यालय दुनिया के लिये एक प्रेरणा स्थली बनेगी।

(लेखक डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू, इंदौर के संस्थापक कुलपति हैं।)

सागर में मिलकर अपनी पहचान खो देने वाली पानी की एक बूँद के विपरीत, इंसान जिस समाज में रहता है वहां अपनी पहचान नहीं खोता। इंसान का जीवन स्वतंत्र है, वो सिर्फ समाज के विकास के लिए नहीं पैदा हुआ है, बल्कि स्वयं के विकास के लिए पैदा हुआ है।

राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है और एक सुधारक जो समाज को खारिज कर देता है वो सरकार को खारिज कर देने वाले राजनीतिज्ञ से कहीं अधिक साहसी हैं।

- डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

दर्शनशास्त्री, अर्थशास्त्री एवं पत्रकार डॉ. अम्बेडकर

■ प्रो. श्यौराज सिंह बेचैन

डॉ. डी.आर. जाटव ने डॉ. अम्बेडकर का सामाजिक दर्शन, राजनैतिक दर्शन व नैतिक दर्शन इन अलग-अलग ग्रंथों में उन्हें बुद्ध और मार्क्स से आगे का दर्शनशास्त्री साबित किया है जबकि डॉ. देवेंद्र कुमार वैसंत्री व हिमांशु राय उन्हें केवल सामाजिक क्षेत्र में ही दार्शनिक मानते हैं। अम्बेडकर के कुछ लेख 'हिन्दू दर्शन' पर हैं लेकिन वह अपने आप में 'धर्म दर्शन' हैं। विशुद्ध दर्शन नहीं स्वयं डॉ. अम्बेडकर भी दर्शन के बारे में निश्चित मान्यता बना पाए हों ऐसा नहीं लगता। इसलिए वे लिखते हैं-

"दर्शन-शास्त्र और तत्वज्ञान में किन-किन बातों का समावेश किया जाए यह निश्चित नहीं"[12] वास्तव में दर्शन को परिभाषित करना सहज कार्य नहीं है, क्योंकि दूसरी व्यापक परिभाषा समस्त ज्ञान को अपने अंदर अंतर्निहित कर लेती है। लेकिन रूढ़ अर्थ में मुख्यत: कुछ बुनियादी प्रश्नों जैसे- मैं क्या हूं? जगत क्या है? मेरा और प्रकृति का संबंध क्या है? दूसरे तरीके से यह ईश्वर, आत्मा, जीवन, जगत का मूल्यांकन इत्यादि प्रश्नों का समाधान करता है। इन प्रश्नों पर डॉ. अम्बेडकर को एक परंपरागत दार्शनिक की तरह हम चर्चा करते हुए नहीं पाते। इसलिए वे रूढ़ अर्थों में दार्शनिक नहीं थे। किन्तु दर्शन की व्यापक परिभाषा में वे धर्म दर्शन, समाज दर्शन के क्षेत्रों की गहराइयों को स्पर्श करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। और इन अर्थों में उन्हें दार्शनिक रूप में संज्ञापित करने से इंकार

नहीं किया जा सकता। लेकिन उनका दार्शनिक सामाजिक प्रश्नों पर सर्वाधिक चिंतन करता है। धर्म दर्शन के बारे में भी समाजशास्त्रीय ढंग से विचार करता है। यहां तक वे आर्थिक प्रश्नों को भी समाज के दायरे में ही विवेचित करते हैं। इसलिए यहां हम उनके 'अर्थशास्त्री' स्वरूप का भी सार रूप में मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। और दार्शनिक पक्ष को इन तथ्यों के साथ विराम देंगे, कि एक दर्शनशास्त्री अतीत का अध्ययन, वर्तमान में हस्तक्षेप और भविष्य के निर्माण की तस्वीर कितनी स्पष्ट और प्रामाणिक रूप में लोगों के सामने उजागर करता है। नवनिर्माण इसी पर निर्भर करता है। अम्बेडकर का दर्शनशास्त्री युगीन समाज-व्यवस्था की तार्किक कल्पना करता है जो वास्तविकता से परे नहीं है। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता' जैसी विडंबनात्मक सर्वहारा स्थिति में हस्तक्षेप कर नारी के सांपत्तिक अधिकार की पक्षधरता के द्वारा कथनी को करनी के व्यावहारिक धरातल पर उतारने का प्रयास, वर्ण-व्यवस्था के कर्मानुसार तर्क की शल्य-चिकित्सा करके ऋषि 'शंबूक' हत्या के प्रमाण से इसे जन्माधारित साबित किया। डॉ. धर्मवीर किसी भी सुधारवादी से बात करने को राजी नहीं थे। उन्हें समाज दार्शनिकों द्वारा दिए गए उन सामाजिक सिद्धांतों से भी कोई सरोकार नहीं था कि सामाजिक स्वतंत्रता का ऐतिहासिक कार्य खेमों में किया जाए।"[13] और डॉ. अम्बेडकर के शब्दों में, "एक ऐसा मानदंड जो सबके लिए हो जिसके द्वारा प्रत्येक के आचरण का मूल्यांकन किया जा सके। दर्शन एक मानदंड के सिवाय जिसके द्व ारा आचरण का मूल्यांकन हो और कुछ नहीं है।"[14] अम्बेडकर का दार्शनिक पक्ष ऐसा पक्ष है, जिसमें वे सतही दृष्टि से भारतीय मानस पर यूरोपीय दर्शन के यथावत आरोपक दिखाई पड़ते हैं। जबकि ये यूरोपीय प्रभाव को नकारते हैं और लिखते हैं- "सकारात्मक दृष्टि से मेरा समाज दर्शन तीन शब्दों से बना है। 'स्वतंत्रता' 'समता' और भ्रातृत्व भाव में समिति मेरा दर्शन फ्रांस की क्रांति का अनुकरण नहीं है क्योंकि मेरे दर्शन का मूल ध्सार्म है, राजनीति विज्ञान नहीं। 'बुद्ध' की शिक्षाओं ने मेरा पथ-प्रदर्शन किया है।"[15] गांधी और अछूतों की मुक्ति नामक ग्रंथ में वे भौतिकवादी 'दर्शन' के विरूद्ध खड़े नजर आते हैं- "मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रह सकता उसके पास पेट ही नहीं मस्तिष्क भी है।

जिसे चिंतन रूप भोजन की आवश्यकता है।"[16] नैतिकता के प्रश्न पर वे अपेक्षाकृत अधिक विज्ञानपरक दार्शनिक दृष्टि रखते हैं। उन्होंने लिखा है- "नैतिकता मनुष्य द्वारा मनुष्य के प्रति प्रेम की आवश्यकता है। उसे ईश्वर स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। नैतिकता ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं मनुष्य की भलाई के लिए है।"[17]

डॉ. अम्बेडकर के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण आयाम उनका अर्थशास्त्रीय पक्ष है। अर्थशास्त्री अम्बेडकर को अर्थ-विषय-अभिरुचि-शुरुआती विद्यार्थी जीवन से ही विशेष थी। अर्थशास्त्र विषय के एक गंभीर विद्यार्थी के रूप में उन्होंने विशेष प्रवीणता अर्जित की थी। पी-एच.डी. की उत्कृष्ट उपाधि उन्होंने अर्थशास्त्र में ही प्राप्त की। उनके शोध का शीर्षक "द वेलेयू ऑफ रूपी" था। यह शोध 1947 में हिस्ट्री ऑन इंडियन करेंसी एंड बैंकिंग नाम से प्रकाशित हुआ था। इससे पूर्व जब उन्होंने 1919 के अंत और 1920 के शुरू में मूकनायक के प्रकाशन के साथ समाजोन्मुख पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया था तब वे बंबई के 'सिडनेहम'[18] कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। यदि उनका एम.ए. की उपाधि के लिए तैयार किया गया लघु शोध-प्रबंध द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया देखा जाए तो उसका संबंध भी अर्थशास्त्रीय ज्ञान से ही है। 1915 में ईस्ट इंडिया कंपनी के फाइनेंस पर किए गए इस शोध में ब्रिटिश राज की भारत-विरोधी आर्थिक नीतियों का पर्दाफाश किया गया। यह उनकी देश के प्रति कृतज्ञता का भी प्रमाण है और अम्बेडकर ने ब्रिटिशों को आर्थिक रूप से भारत में षड्यंत्रकारी साबित किया। अर्थशास्त्रके शिक्षक के रूप में भी उन्होंने भारतीय समाज में बंधुत्व के स्थापनार्थ अपने भाषणों-लेखों में कहा कि, "हिंदुओं के शस्त्रागार में सबसे बड़ा हथियार उनकी आर्थिक शक्ति है जिसके बल पर वे दलित जातियों का शोषण करते हैं।"[19] वर्तमान ग्रामीण भारत में 80 फीसदी भूमिहीन या खेतिहर मजदूर और महानगरों में जहां भवनदारी भूमिदारी के आधुनिक रूप में किराएदारों का शोषण कर रही है या झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले दलितों का बढ़ता हुआ दालित्य उन्हें देश की गरीबी की सीमा-रेखा के नीचे स्थायी तौर पर रहने वाला बनाता है। अम्बेडकर को इन स्थितियों का संभावित पूर्व अनुमान था। इसलिए उन्होंने भारत में विशिष्ट राजकीय समाजवाद की स्थापना के पक्ष में अपने विचार रखे। उनका मत था कि, "आर्थिक शोषण को समाप्त करने की दृष्टि में मूल उद्योगों का स्वामित्व और प्रबंध राज्य के हाथ में रहे और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हो। यह सुझाव भी दिया था कि कृषि के क्षेत्र में मालिकों, काश्तकारों आदि को मुआवजा देकर सरकार भूमि का अधिग्रहण करे और उस पर सामूहिक खेती कराए।"[20]

इस प्रकार वे राजकीय सामजवाद के पैरोकार थे। इसी रास्ते वे आर्थिक आजादी में दलितों, पिछड़ों और स्त्रियों की सहभागिता का स्वप्न देखते थे। उन्होंने 1947 में देश की भावी अर्थव्यवस्था के बारे में एक ज्ञापन के माध्यम से अपने विचार रखे थे। यह ज्ञापन एक पुस्तक के (प्रांत और अल्पसंख्यक) रूप में छपा इसमें अपनी योजना के बारे में डॉ. अम्बेडकर ने लिखा है- "इस योजना के दो पहलू हैं। एक यह कि इसमें आर्थिक जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राजकीय समाजवाद का सुझाव दिया गया है। इसकी दूसरी विशेषता है कि इसमें राजीकय समाजवाद का काम विधान-मंडल की इच्छा पर नहीं छोड़ा गया है। इस राजकीय समाजवाद की स्थापना संविधान के कानून के अंतर्गत होगी ताकि विधानमंडल या कार्यपालिका के किसी कदम से उसमें परिवर्तन न किया जा सके। जिन लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आस्था है, उन्हें तानाशाही से जबर्दस्त एतराज है और वे स्वतंत्र समाज के शासन तंत्र के रूप में लोकतंत्र पर जोर देते हैं।... अत: हमारी समस्या है कि हमारे यहां बिना तानाशाही का राजीकय समाजवाद हो, हमारा समाजवाद संसदीय प्रणाली के साथ हो।"[21]

इस प्रकार हम देखते हैं कि डॉ. अम्बेडकर ने एक अर्थशास्त्री के रूप में अपनी प्रतिभा का परिचय न केवल शैक्षणिक क्षेत्र में दिया बल्कि व्यावहारिक रूप में भारतीय राज्य की आर्थिक अधिरचना पर स्वस्थ वैचारिक पक्ष प्रस्तुत किया। इसलिए नि:संदेह वह एक योगय अर्थशास्त्री भी थे लेकिन जहां तक उनके आर्थिक विचारों का सवाल है वे पूंजीवाद के दबाव को धीरे-धीरे कम करती लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और राजकीय समाजवाद में समन्वय का एक दिव्य स्वप्न देख रहे थे लेकिन यथार्थ में इस तरह विचार के चरितार्थ होने की संभावनाएं नगण्य थीं क्योंकि समाजवाद और पूंजीवाद दो भिन्न व्यवस्थाएं होती हैं जिनका संगम उन्हें मान्य नहीं था। वे अपनी शुद्ध समाजवादी कल्पनाओं को अमली जामा कैसे पहनाते, यह तो तभी सामने आता जब उन्हें देश की योजना के निर्माण में हस्तक्षेप करने का मौका मिलता। पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद की मिलीभगत के कारण उनकी अर्थ विशेषज्ञता का इस्तेमाल नहीं हो सका। "1937 में जब वे बंबई विधानसभा में विधायक थे तब उन्होंने जमींदारी उन्मूलन का अभूतपूर्व प्रस्ताव रखा था।"[22] उनका अर्थशास्त्री दलित वर्ग के प्रति विशेष रूप से प्रतिबद्ध था। इसे हम संपादक के रूप में उनके बहिष्कृत भारत के

संपादकीय 'अछूतों की आर्थिक उन्नति का आधार' में देख सकते हैं।

"अस्पृश्यता से बचने के लिए जो महार सरकारी नौकरी से उपजीविका चलाते हैं वे राजपुरुष हैं क्योंकि सरकारी नौकर को किसी से कुछ लेना-देना नहीं होता इसलिए उसे सामाजिक बहिष्कार का भय भी नहीं होता।"[23] सरकारी नौकरी में व्यक्ति सरकारी है ऐसा संज्ञापित होने से वह सामाजिक उपेक्षा का सीधा शिकार होने से बच सकता था किन्तु वह स्वतंत्र हो गया, यह सोचना गलत था। अम्बेडकर ने इसे अनुभव किया और कहा जिन्हें थोड़ी भी जमीन मिल जाए उन्हें नौकरी छोड़कर कृषि करनी चाहिए। तब वे किसी पर अवलंबित न होकर स्वतंत्र रहेंगे।" यह उनकी अर्थदृष्टि मिश्रित समाज-दृष्टि थी जिसमें उन्होंने सामाजिक यथास्थिति में अछूतों का गैर-अछूतों के रहने के मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों की आशंका व्यक्त की थी- दलित बच्चों के कानों में जन्म से ही अछूत है, नीच है जैसे शब्द पड़ते हैं जिससे बच्चे स्वयं को हीन समझने लगते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक कुप्रभाव आजीवन बना रहता है। मन कमजोर हो जाने से उसके द्वारा कोई भी पुरुषार्थ का कार्य नहीं होता। 'अलग बस्ती (कॉलोनी) में बचचे मुक्त रहेंगे। कृषि उसकी आजीविका का समाधान होगी, तब वे आत्मनिर्भर होंगे।"[24] जनवरी, 1938 में 'एसप्लानेड' 'बंबई' में विशाल सभा हुई। डॉ. अम्बेडकर ने इसमें पांच सूत्री आर्थिक सुझाव दिए थे जिनमें जनकल्याण की भावना का पुट मिलता है, जैसे-

1. खेतिहर मजदूरों की मजदूरी का निर्धारण व उसका शक्ति के साथ पालन किया जाए।
2. जमींदारों का बकाया राजस्व माफी के साथ छोटे किसानों का बकाया माफ किया जाए।
3. जमींदारी, बेगारी प्रथा कानून के द्वारा समाप्त की जाए।
4. जमींदारी प्रथा आर्थिक रूप से अपव्ययी, सामाजिक रूप से अत्याचार-मूलक है। इसलिए इसका उन्मूलन किया जाए,
5. छोटे किसानों के लगान सिंचाई करों में 50 फीसदी कटौती की जाए।"[25] इत्यादि

इस प्रकार अर्थशास्त्री अम्बेडकर आयतित पूंजी निवेश में भारत की आर्थिक मुक्ति की कल्पना नहीं करते थे बल्कि स्वदेशी अर्थव्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाकर उसे आधुनिक स्वरूप देना चाहते थे। उन्होंने आलोचनात्मक शैली में कहा था कि, "संसद ने आर्थिक असमानता की ओर ध्यान नहीं दिया।"[26] सोवियत संघ की बोल्शेविक क्रांति को जनता पर सैन्य बल से थोपे जाने के कारण भविष्य में असफल हो जाने की भविष्यवाणी उन्होंने जरूर की थी लेकिन संपत्ति, कृषि व उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से वे पूर्ण सहमत थे। उनका मत था- "सभी को आवश्यक भूमि प्राप्त न होने की स्थिति में सोवियत संघ के ढंग पर सामूहिक कृषि करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।"[27]

डॉ. अम्बेडकर की प्रखर अर्थशास्त्रीय योग्यता के कारण ही 2 जुलाई, 1942 को वायसराय ने अपनी कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में उन्हें श्रम विभाग सौंप दिया था।

एक समाजशास्त्री के रूप में अम्बेडकर ने कोई शैक्षणिक उपाधि तो प्राप्त नहीं की फिर भी उनका समाज-विषयक मौलिक चिंतन, लेखों, शोधात्मक प्रबंधों में उसका प्रकटीकरण हुआ है, जो उन्हें एक समाजशास्त्री के रूप में प्रतिष्ठित करता है। भारतीय समाज की समाजशास्त्रीय विवेचना में वे स्वतंत्रता आंदोलन की सभी विभूतियों में अग्रगण्य समाज की समाजशास्त्रीय दृष्टि केवल भातर के वर्तमान समाज का ही चित्रण पेश नहीं करती अपितु यह अतीत में जाति व वणों की उत्पत्ति से जातिविहीन समाज-निर्माण हेतु भविष्य के लिए ठोस सुझावों तक पहुंचती है। साथ ही भारतीय समाज में विद्यमान स्त्रियों की स्थिति के बारे में भी वे समान रूप से चिंतित और गंभीर दिखते हैं और उनकी समाजशास्त्रीय विवेचना भारत के धर्मों की विशिष्टता को भी उजागर करती है। उनके धर्म, जाति व वर्ण-विषयक चिंतन का अध्ययन हम अलग से कर रहे हैं। यहां हम मात्र यही कहना चाहते हैं कि उनके निम्न विचार जो उनकी सामाजिक आंदोलनात्मक भागीदारी से जन्मे हैं, उनके विद्वत्तापूर्ण समाजशास्त्रीय स्वरूप के ठोस परिचायक हैं।

डॉ. ए.ए. गोल्डन वाइजन की संगोष्ठी में 9 मई, 1916 को 'भारत में जातिप्रथा, संरचना, उत्पत्ति और विकास' नामक जो लेख कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयार्क (अमरीका) में पढ़ा था कदाचित् उनके समाजशास्त्री पक्ष का वह पहला परिचय पत्र था।

डॉ. अम्बेडकर ने 'जातिभेद का डन्मूलन' नामक शोधपूर्ण भाषण में भारतीय समाज-व्यवस्था की जो खोज पूर्ण समाजशास्त्रीय आलोचना की है वह एकल भाषण ही उनको प्रबुद्ध समाजशास्त्री प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है जबकि इस दिशा में उन्होंने अपने पत्रों के संपादकीय व अन्य अनेक लेखों में तथ्यात्मक चर्चा समय-समय पर की है। लाहौर के 'जात-पांत तोड़क मंडल' (1936) के वार्षिक सम्मीन के लिए तैयार किए गए भाषण के बारे में मधु लिमये की राय है कि, "यह भाषण जाति-व्यवस्था पर अम्बेडकर की सबसे प्रभावशाली कृति है। इसमें अतनी आग है कि इसकी तुलना कार्ल मार्क्स और

एंगेल्स द्वारा लिखित कम्युनिस्ट मैनिफैस्टो से भी की जा सकती है। हम भारतीयों के लिए तो यह कम्युनिस्ट मैनिफैस्टो से भी अधिक प्रासंगिक है।"[28]

व्यक्ति समाज की इकाई होता है। इसके समुचित विकास के रास्ते में जातिभेद जनित, छुआछूत आदि बंधनों को वे सर्वप्रथम हटा देना चाहते हैं। वे एक समाजशास्त्री की दृष्टि से भी 'स्वतंत्रता', 'समता', 'बंधुता' के मानवीय सामाजिक मूल्यों की बराबर तलाश करते हैं। 'रोटीबंदी' की समाप्ति के बाद 'बेटीबंदी' भी बंद करने, अंतर्धर्मीय, अंतर्जातीय व अंतर्देशीय विवाह कराने के पक्ष में उन्होंने अपनी पक्की राय बनाई। विधवा-विवाह कराओ, चातुर्वर्ण्य की चौखट से बाहर निकलो। ऐसा आह्वान करते हुए वे अनेक शतकों से पदाक्रांताओं द्वारा देश को गुलाम रखने के कारणों को इन्हीं सामाजिक दुर्बलताओं, बुराइयों में देखते हैं। केवल एक वर्ण विशेष (क्षत्रिय) को ही देश की रक्षा की जिम्मेदारी देना संकीर्ण सोच है, जबकि अपवाद छोड़कर प्रत्येक नागरिक के दिल में देशरक्षण का जज्बा होता है। सामाजिक क्षेत्रों में संत, महंतों की दखलंदाजी को उन्होंने पाखंडीपन से भरे साधुवाद को वंदनीय नहीं माना और आरोप लगाया कि संत लोग मानव-मानव में समानता की बात नहीं करते। वे तो मात्र ईश्वर की दृष्टि में सब को समान मानने के पक्ष में होते हैं। 'किसी भी साधु-संत ने जातिभेद के खिलाफ मुहिम नहीं छेड़ी। उनसे जाति रूपी विशाल वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिला।' बहिष्कृत भारत में उन्होंने बतौर संपादक पेशवा शासनकालीन समाज-व्यवस्था का यथार्थ चित्रण किया। जिसमें बताया कि किस तरह अछूतों के गले में मटके बांध दिए जाते थे ताकि वे थूकें तो उन्हीं में थूकें, उनकी कमर में झाडू बांधा जाता था ताकि स्पृश्य वर्ग के लिए रास्ता साफ होता चले। इन अमानवीय और संवेदनहीन व्यवहारों के भयंकर परिणामों को सामने रखकर डॉ. अम्बेडकर ने उदार मानवीय पक्ष का पोषण किया।

मूकनायक के प्रवेशांक में उन्होंने हिन्दू धर्मग्रंथों पर भी टीका की। सामाजिक निर्योग्यताएं इन्हीं ग्रंथों में दी गई व्यवस्थाओं के आधार पर अछूतों पर लादी गई हैं। यही कारण था कि उन्होंने अछूतों और सछूतों में एक अलगाव पाया और कहा कि हम संस्कृति से एक हैं और जातियों से अनेक व अलग-अलग हैं। 'हिन्दू समाज व्यवस्था' नामक निबंध में उन्होंने 'कालीकाट' प्रांत की नायर जाति में स्त्री की दशा के बारे में विस्तार से लिखकर सामाजिक चेतना का परिचय दिया। वे यहां नायर सी नीची 18 जातियां गिनाते हैं और उसी क्रम में उनके निम्नतर होते पेशे और सामाजिक स्थितियों का विवेचन है। जैसे 'मैनातो क्लेटी' और इससे भी छोटी जाति हैं 'तुइया' (शूद्र), इनमें भी नीची जाति होती है। इनमें 'मेमन', 'कनकू', 'अंगेर', 'मंगोर', ये सब नायर जातियों से नीची व गुलाम जातियां हैं। 'मोलकू' (मल्हा), 'वेतून' हिन्दुओं के इसी क्रम में छोटी जातियां हैं। 'रोबली' के लोग भी नायरों के गुलाम होते हैं। ये गुप्तांगों को गंदे मैले चीथड़ों से ढंककर रहते हैं। 'पोला' जाति इससे भी नीची होती है जिसे बहिष्कृत रखा जाता है। विदेशी समाजशास्त्रियों ने बेशक भारतीय समाज-व्यवस्था के बावत लिखा किन्तु वे एक प्रेक्षक थे। उनका गहरा आत्मीय संबंध भारतीय समाज से नहीं था। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, "विदेशी लोग जाति-व्यवस्था (समाज) की पूर्ण जानकारी नहीं दे सके। यह बात समझी जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक विदेशी के लिए हिन्दुओं का निजी जीवन रहस्यमय था। यदि जाति-व्यवस्था उन्हें भारतीय समाज की विलक्षणता नहीं लगती तो उन्होंने इसे लिखकर नहीं रखा होता।"

व्यक्ति समाज की इकाई होता है। इसके समुचित विकास के रास्ते में जातिभेद जनित, छुआछूत आदि बंधनों को वे सर्वप्रथम हटा देना चाहते हैं। वे एक समाजशास्त्री की दृष्टि से भी 'स्वतंत्रता', 'समता', 'बंधुता' के मानवीय सामाजिक मूल्यों की बराबर तलाश करते हैं।

वर्ण-विभाजन चार भागों में किया गया था किन्तु इस विभाजन को चार हजार जातियों में विस्तृत करके समाजशास्त्रियों ने समाज की एकता को गंभीर चोट पहुंचाई। हमारे शास्त्री आचार्यों ने जातियों के बहिष्कार, संस्तरण को न्यायसंगत कहा है। अम्बेडकर के अनुसार, "श्री भट्टाचार्य ने जाति से बहिष्कृत करने के एक दर्जन कारण बताए हैं इनमें विधवा से विवाह, विदेश गमन, अंतर्जातीय विवाह, अंतर्जातीय सहभोजन मुख्य हैं।"29 यह प्रतिबंध बहुत पुराने हैं। अब विदेश गमन, विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह इत्यादि हो रहे हैं और उतनी आपत्तियां भी नहीं हैं किन्तु जाति और भी मजबूत हो रही है। भारतीय समाजशास्त्री टी.एन. मदान के शब्दों में, "साठ के दशक ने हमें सिखाया कि जात-पांत भारतीय राजनीति के मुख्य कारकों में से एक है।"[30]

अम्बेडकर ने कानून के क्षेत्र में औपचारिक उच्चकोटि की शिखा प्राप्त की। उनकी मूल शिक्षा एम.ए., पी-एच. डी. (कोलंबिया), डी.एस.सी. (लंदन), एल.एल.डी. (कोलंबिया), डी. लिट्

(उस्मानिया), वार एट ला (लंदन) इत्यादि इसमें कानून संबंधी उपाधियां अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। कानून के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता का लोहा जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रखर राजनेता ने भी माना और सकारात्मक रूप से उसका उपयोग देश के पक्ष में किया जाने की पहल की। डॉ. अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। यह न तो निरे कानूनविद् होने के नाते उन्हें मिला और न केवल दलितों का प्रतिनिधि होने के नाते, बल्कि इसलिए कि कांग्रेस के पास अंग्रेजों के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वकीली व्यवसाय उन्होंने कदाचित् अधिक समय नहीं किया। किंनतु 'लॉ कॉलेज बंबई' के प्रिंसिपल के रूप में उन्होंने अपनी योग्यता से काफी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। इसके अतिरिक्त भारत में प्रचलित धार्मिक कानूनों-स्मृतियों इत्यादि का तर्कसंगत अध्ययन किया। रूढ़ियों, ग्रंथों, परंपराओं के अच्छे-बुरे प्रभावों पर गंभीरता से चिंतन किया। दक्ष व्यक्तियों को जिम्मेदारियों का सामना करने से ही अधिक दक्षता मिलती है। संविधान निर्माण और दुनिया के संविधानों का अध्ययन, कानून से भी मजबूत भारतीय धर्मग्रंथों के प्रभावों की चिकित्सा उन्होंने की, इन सबने उन्हें वर्तमान कानूनों में पारंगत होने की परिस्थितियां पैदा कीं। यह संभावना निराधार या अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगी कि कानून के क्षेत्र में संभवत: वह भारत के अपने समकालीन विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ थे। इस ठोस कारण से नेहरू जी ने उन्हें अपनी सरकार में सहर्ष 'कानून मंत्री' बनाने का प्रस्ताव रखा और पटेल की पहल पर उन्होंने उसे स्वीकार किया। इससे पूर्व भी ब्रिटिशा सरकार ने उनकी कानून संबंधी योग्यता देखकर बंबई हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा था लेकिन अम्बेडकर के सामने वैयक्तिक कैरियर की दिशा में ही बढ़ते जाना अथवा पत्रकारिता आदि से जागरूक किए गए लोगों के बीच अपने सामाजिक क्रिया-कलापों में से एक को चुनना था। मधु लिमये के अनुसार उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकराकर कार्यकारी परिषद में शामिल होना स्वीकार किया था।"[31] कानून के क्षेत्र में उनकी विस्तृत देन को सार रूप में हम उनकी कानून-विषयक विद्वता को सर्वोपरि रख सकते हैं।

कुल मिलाकर डॉ. अम्बेडकर के बहुआयामी व्यक्तित्व पर दृष्टिपात शोधक दृष्टि से हमें यह दिखाता है कि एक साधारण घर और अछूत जाति का व्यक्ति भी सोद्देश्य लगन, कठोर परिश्रम, सतत अभ्यास के बल पर स्वयं में राष्ट्रोपयोगी योग्यताएं उत्पन्न कर सकता है और समाज के लिए अनुकरणीय उदाहरण बन सकता है और वह एक ही साथ कई मोर्चों पर भी अपनी सेवाएं अर्पित कर सकता है। रही बात सफलता-असफलता की सो समाज-परिवर्तन का कार्य अविराम चलता रहता है। डॉ. साहब बहुत कुछ नहीं कर पाए जो उनकी विरासत को करना है।

पत्रकार के रूप में अम्बेडकर

भारतीय जनमानस में डॉ. अम्बेडकर की पहचान संविधान शिल्पी, दर्शनशास्त्री, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, प्राध्यापक इत्यादि भूमिकाओं की पर्याप्त ख्याति के रूप में हैं। किंतु उनका पत्रकार रूप अभी भी राष्ट्रीय पहचान नहीं पा सका है।

पत्रकार अम्बेडकर ने अपने जीवनकाल में मूक-नायक, बहिष्कृत भारत, जनता और प्रबुद्ध भारत इन पांच मानस पुत्रों को जन्म दिया। ये पांच पत्र पांच पांडवों की तरह अपने व्यवसायी देशबंधुओं से सहअस्तित्व की नम्र मांग करते रहे। और गुरुगोविंद के पांच प्यारों की भांति दलित सापेक्ष सरोकारों के प्रति समर्पित रहे। दलित अस्मिता और राष्ट्रीयता के सकारात्मक बोध से गहरे में संबद्ध अम्बेडकर की इस पत्रकारिता ने अपनी मातृभाषा मराठी को विशेषकर अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया।

पत्रकार अम्बेडकर और उनके पत्र मुख्यत: बहिष्कृत भारत पर अन्य गैरदलित पत्रों ने अपना अभिप्राय, प्रतिक्रिया, और परामर्श प्रकाशित किए। इनमें से कुछ को संक्षेप में यहां उद्धत करना प्रासंगिक होगा। तरुण भारत (4.4.1927) का सारतत्व है कि - ''उच्च शिक्षा संपन्न करके आए व्यक्ति (अम्बेडकर) द्वारा संपादित यह पत्र (ब.भा.) विशेष भूषणीय है। पत्र की भाषा सुबोध व सुरुचिपूर्ण और विचार राष्ट्रीय स्वरूप के होने के कारण यह पत्र श्रेष्ठ दर्जे का साबित हुआ है।" प्रजापक्ष (24.4.1927) का मत था कि, "अस्पृश्य वर्ग की ओर से लड़ने के लिए ऐसे एक स्वतंत्र पत्र की आवश्यकता थी। वह रिक्ति बहिष्कृत भारत से भर जाएगी। पत्रकार अम्बेडकर की लेखनी तड़पदार और तेजस्वी है। हम अपने इस नूतन बंधु (पत्रकार) का स्वागत करते है।" परीक्षक (28.4.1927) ने लिखा- "संपादक (अम्बेडकर) बहुत बड़े विद्वान हैं। देश के बारे में उनके विचार अत्यंत उपयोगी हैं। उनकी भाषा-शैली और विषय-प्रतिपादन वाचकों के मन को गहराई तक प्रभावित करने वाले हैं। उनका युक्तिवाद सीधा और स्पष्ट है और सभ्यता का कहीं भी अतिक्रमण नहीं हुआ है।" 'निजाम विजय' (22.4.1927) के अनुसार- "हिंदू अस्पृश्यों को समाज से दूर रखते हैं। मुसलमानों, बाह्मणेत्तर सभी को एक ही चक्की में पीसने का प्रयास करते हैं। इसलिए सरकार से लड़ना पड़ेगा, यह बात संपादक के ध्यान में पूरी तरह से है ऐसा लगता है।"

इन सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के

भारतीय जनमानस में डॉ. अम्बेडकर की पहचान संविधान शिल्पी, दर्शनशास्त्री, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, प्राध्यापक इत्यादि भूमिकाओं की पर्याप्त ख्याति के रूप में हैं। किंतु उनका पत्रकार रूप अभी भी राष्ट्रीय पहचान नहीं पा सका है।

विपरीत स्वर गोग्रास (8.5.1927) पत्र में सुनाई पड़ता है, "डॉ. अम्बेडकर ने परकीय समाज को उसके दोष दिखाकर हजारों वर्ष पुराने स्मृतिकारों द्वारा धर्म के जो नियम स्थापित किए गए हैं उनको 'शैतान' वगैरह के विशेषण लगाए हैं और रूढ़ियों को सुरंग लगाकर (बारूदी गोलों से) उड़ा देंगे।' उनका यह कहना ठीक नहीं है। जो बातें आचार-व्यवहार, पढ़ाई-लिखाई से कालांतर में अपने आप दूर होंगी उनमें दुराग्रह और उतावलेपन से हिंदुओं में और अधिक फूट पड़ेगी।'' परस्पर विरोधी प्रतिक्रियाओं से इस लंबे सिलसिले में 'मौज' (18.5.1927) कहता है कि - "रूढ़ियां खत्म करनी हैं इससे हमें आपत्ति नहीं। परंतु 2 हजार वर्ष पूर्व के भगवान 'मनु' पर टीका करना मूर्खपन है।''

पत्र और पत्रकार के बारे में 1927 में बनी अनुकूल-प्रतिकूल रायें हमने उद्धत की हैं। डॉ. एम.एस. मौर्य के अनुसार पत्रकार अम्बेडकर ने अग्रलिखित सामग्री का सृजन किया - मूकनायक में 12 प्रतिनिधि लेख।

बहिष्कृत भारत में 33 प्रतिनिधि लेख, 14 अन्य लेख तथा जनता में 006 प्रतिनिधि व अन्य लेख हैं। और 15 पत्रों के अलावा केसरी में धर्मांतर क्यो? कुछ व्यावसायिक लेख (केसरी में) 'समता और नवाकाल' व पत्रिकाओं में व्यक्तिगत और सार्वजनिक पत्र लिखे। पत्रकार के रूप में अम्बेडकर की तर्कयुक्त वैचारिकता में 'क्यों' शब्द की आवृत्ति बार-बार हुई मिलती है। उनके पत्रकार रूप में समाहित है प्रखर विधिवेत्ता, परिवर्तनकारी, समाज चिंतक, वर्ण और जातिभेद से जन्य यथास्थिति के विरुद्ध संतुलित विद्रोही स्वभाव, साहित्यिक गहराइयों का सतत अन्वेशी, भारतीय दर्शन के कच्चे माल को यूरोपीय अध्ययन के ढांचे में ढालकर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वमूलक सूत्रत्रयी, उच्च मूल्यों के आधार पर आधुनिक भारतीय रूप की मान्यताएं स्थापित करना। पत्रकार अम्बेडकर के युगबोध का परिचायक है। और उसमें उनका भविष्यदृष्टा रूप सतत प्रतिबिंबित होता रहा है। भारतीय प्रतिनिधि साहित्य में उद्धत कथाओं, कहानियों, श्लोकों, सूक्तियों, मुहावरों 'गीता', महाभारत इत्यादि पौराणिक प्रसंगों के माध्यम से काल्पनिकता को यथार्थ की आंच पर तपाकर उसमें पारदर्शी सत्य को उजागर किया है। बात को समझाकर कहने की प्राध्यापकीय प्रवृत्ति के कारण उनका पत्रकार नई पत्रकार पीढ़ी का निर्माण भी करता है। कुल मिलाकर करीब तीन दशक (1920-1956) तक वे बौद्धिक ओजस्विता, दायित्वपूर्ण संपादन, लेखकीय कौशल और सक्षम विवेक सूझ-बूझ, विभूति-पूजा और दबावों से मुक्त पत्रकार की भूमिका में दलितोन्मुख पत्रकारिता के फलक पर दैदीप्यमान सितारे की भांति चमकते रहे। समाज-सापेक्ष दृष्टि, निश्चित व घोषित सरोकार, मूल्य व आचार-संहिता में गहरी निष्ठा तथा समकालीन पत्रकारों के साथ संवाद स्थापित करने की नम्र पहल की तथा उनका मूल्यांकन भी किया। राजनीतिक स्वतंत्रता की अपेक्षा सामाजिक समता के विचार को प्राथमिकता दी। वे पत्रकारिता में सामाजिक न्याय, दलित प्रबोधन, दलित कल्याण समग्रत: दलित चर्चा के लिए अखबार को प्रमुख स्थान मानते हैं। स. मु. पठान के अनुसार-उनके टीकाकार उन्हें निरीश्वरवादी, नास्तिक व हिंदू संस्कृति का प्रबल शत्रु कहने लगे। उनके पत्रों के परिशील से ये आरोप निराधार व पूर्वाग्रह-युक्त लगते हैं। उनकी पत्रकारिता परलोक का मार्ग या सुधार का साधन नहीं, ऐहिक लोकोन्नति, दलितोपकार, दलितहित, दलितकल्याण उनके पड़ाव हैं। वह मूक नायक हैं किन्तु सामाजिक यथास्थिति के मूकदर्शक नहीं। पत्रकार के प्रति जन स्मृति भाव के बावत 25 मार्च, 1916 को राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और बंबई क्रानिकल के संपादक फिरोजशाह मेहता की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में उनकी प्रतिमा स्थापन के संबंध में उन्होंने लिखा- "भारत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर बदतर स्थिति में खड़ा है। जिसे आज की सर्वोपरि आवश्यकता ईमानदार नेताओं की है। ऐसे नेता सर्वश्री गोखले और पी.एस. मेहता थे। इन दोनों ने हमारी पीड़ाओं का प्रतिनिधित्व किया। प्रतिमा के रूप में दिया गया उनको सम्मान उनके योगदान की तुलना में तुच्छ, अनुपयुक्त और नगण्य है। सर मेहता का स्मारक जन पुस्तकालय (Public library) के रूप में स्थापित किया जाए। एक वैचारिक पत्रकार की यही सच्ची स्मृति होगी।"

किसी भी रचनाशील पत्रकार की स्मृति बौद्धिक उपयोग की दृष्टि से प्रतिमाओं की अपेक्षा पुस्तकालयों की स्थापना, अध्ययन, लेखन के प्रेरक संस्कारों की जननी हो सकती है जबकि मूर्तिपूजा अंततोगत्वा एक सीमा से आगे जाने पर अंधश्रृद्धा में तब्दील हो जाती है। पत्रकार मेहता के बारे में अम्बेडकर की

राय दुरुस्त है। लेकिन स्वयं अम्बेडकर की स्मृति में पुस्तकालयों आदि पठन-लेखन की प्रेरणाओं के बजाय मूर्ति स्थापनाओं की जो देशभर में होड़ लगी है वह सोचनीय तो है ही, अम्बेडकर की मान्यताओं के विरूद्ध भी हैं। ■

संदर्भ

1. प्रताप सोमवंशी-यह अम्बेडकर का सीजन है, दैनिक नवभारत टाइम्स, 12.2.1992
2. वसंत मून - बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर, पृ. 6
3. विजय सुरवाडे-डॉ. अम्बेडकर पत्र व्यवहारातून, मराठी, पृ. 202
4. वही
5. डॉ. धर्मवीर-डॉ. अम्बेडकर की प्रभाववादी व्याख्या, संगीत प्रकाशन, शाहदरा, दिल्ली, पृ. 32
6. सत्यबोध हुदलीकर द्वारा डॉ. अम्बेडकर का साक्षात्कार-नवयुग, 13 अप्रैल, 1947
7. बसंत मून-बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर, पृ. 159
8. भगवानदास (वरिष्ठ विधि वेत्ता सर्वोच्च न्यायालय), प्रतिपक्ष, पृ. 20, 21, अम्बेडकर विशेषांक, अप्रैल, 1990
9. अम्बेडकर-जनता मराठी साप्ताहिक, बंबई, 26 फरवरी, 1949
10. मधु लिमये-संविधान की प्रतिष्ठा का ह्रास, असली भारत, मासिक, पृ. 56, जून 89
11. प्रभाष जोशी- संविधान पर त्रिशूल, जनसत्ता, दिल्ली, 2 जनवरी, 1993
12. डॉ. अम्बेडकर-हिन्दुत्व का दर्शन, अनु. मोहनदास नैमिशराय, पृ. 9
13. डॉ. धर्मवरी-अम्बेडकर की प्रभाववादी भूमिका, पृ. 1
14. धनन्जयकीर-डा.बा.सा. अम्बेडकर: जीवन और मिशन, पृ. 455, 1962
15. वही
16. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर-गांधी और अछूतों की मुक्ति, पृ. 55, 1943
17. डॉ. अम्बेडकर-बुद्ध और उनका धर्म, पृ. 323, 1957
18. नवयुग मराठी अम्बेडकर विशेषांक, 13 अप्रैल, 1947, पृ. 27
19. डॉ. अम्बेडकर-अस्पृश्यता और भारतीय संविधान-दलित मासिक, अप्रैल 1975, पृ. 14
20. मधु लिमये-डॉ. अम्बेडकर एक चिंतन पृ. 96
21. वही
22. डॉ. डी.के. वैसंत्री-कालजयी अम्बेडकर-कुरुक्षेत्र, पृ. 22, जुलाई, 90
23. संपादकीय-बहिष्कृत भारत, संयुक्तांक, 23 दिसंबर, 1927
24. संपादकीय-अग्रलेख अलग वसाहत करें-बहिष्कृत भारत, 23 दिसंबर, 1927
25. डॉ. डी. के. वैसंत्री-अम्बेडकर का सामाजिक दर्शन-योजना, 15.1.1992
26. डॉ. अम्बेडकर सोर्स मैटेरियल- वाल्यूम-प्रथम, पृ. 275
27. डॉ. डी. के. वैसंत्री-अम्बेडकर का सामाजिक दर्शन-योजना, 15.1.1992
28. मधु लिमये-डॉ. अम्बेडकर एक चिंतन, पृ. 18
29. डॉ. अम्बेडकर-हिन्दुओं ने कैसी समाज-व्यवस्था बनाई, खंड 5, प्रकरण 16, अनु. डी.के. खापर्डे-बहुजन संघर्ष, 1 सितंबर, 1991
30. वही
31. टाइम्स ऑफ इंडिया, 11 जनवरी, 1970
32. मधु लिमये-डॉ. अम्बेडकर एक चिंतन, पृ. 80
33. डॉ. अम्बेडकर-गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया? अनु. जगन्नाथ करील, पृ. 6
34. आचार्य प्रह्लाद केशव अत्रे-संपादकीय नवयुग, मराठी, 13 अप्रैल, 1947
35. अम्बेडकर का भाषण- अनु. उमाकांत लखेड़ा-न्यायचक्र, 14 जून, 1992, पृ. 14
35. डॉ. अम्बेडकर-जनता साप्ताहिक, मराठी, 3 अगस्त, 1940
36. डॉ. बा.सा. अम्बेडकर-स्वीच एवं राइटिंग, खंड 5, पृ. 376
37. वही
38. डॉ. अम्बेडकर-जनता साप्ताहिक, 19 अक्तूबर, 1940
39. प्रह्लाद केशव अत्ने-नवयुग-13.4.1947
40. बाबूराव बागूल-दलित साहित्य: उद्देश्य और वैचारिकता, पृ. 80, 81, मई, 1975
41. वसंत मून-बा. सा. डॉ. अम्बेडकर, पृ. 63
42. डॉ. एम.सी. जोशी-गांधी, नेहरू, टैगोर तथा अम्बेडकर, पृ. 15
43. M.K. Gandhi-Harijan, [English] 11.2.1933
44. M.K. Gandhi-Gandhi Shikshan, Vol., II, p. 132
45. M.K. Gandhi-Harijan (English) 18.2.1933
46. डॉ. अम्बेडकर-मूकनायक, मराठी, 31.1.1920
47. Harijan (English) 11.2.1933
48. Free Press Journal; dated 14.4.1945-Dr. Ambedkar W. and S. Vol. 9, p. 239
49. Dr. Ambedkar W.S. Vol. 9, p.239, edition 1990
50. Dr. Ambedkar W.S. Vol. 9, pp. 239-240, edition 1990
51. Dr. Ambedkar W.S. Vol. 9, p. 240, edition 1990
52. Dr. Baba Saheb Ambedkar, Writing and Sp., Vol. 9, pp. 240-243, edition 1990
53. Dr. Baba Saheb Ambedkar, Writing and Speeches, Vol. 9. p 224
54. प्रल्हाद केशव (गांधी-अम्बेडकर की पहली मुलाकात), नवयुग, मराठी, 13 अप्रैल, 1947
55. वही
56. Dr. Ambedkar-Preface-Annihilation of Caste, Edition II, Vol. I, pp. 25-26
57. वही
58. म.क. गांधी हिंदू अंग्रेजी 4.3.1933, वाड्.मय 53/496-97
59. Dr. Baba Saheb Ambedkar-W.W.P., Vol. I p. 90, edition 1990
60. वहीं
61. गांधी वाड्.मय 9/498-99
62. Dr. B. S. Ambedkar-W. Speech, Vol. p. 61, Govt, Matharashtra, 1979
63. वही
64. Harijan, 11.2.1993
65. Dr. B.S. Ambedkar-Annihilation of Caste, W.S. Govt. of Maharashtra, Vol. I p. 37, 329, 1990
66. वही
67. Dr. Baba Saheb Ambedkar, Vol 5, p. 29, edition 1990
68. Baba Saheb Ambedkar, Govt. M. Vol. 5, p. 329, edition 1990
69. डॉ. अम्बेडकर गांधी और उनका अनशन, अनुवाद जगन्नाथ प्रसाद कुरील, पृ. 41, 43, 45, 68, 77, 78, 79
70. वही
71. वही
72. वही
73. वही
74. वही
75. वही
76. The March, 4, Harijan, 1993
77. वही
78. संपूर्ण गांधी वाड्.मय 58/102
79. डॉ. अम्बेडकर-गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया? अनु. ज. कुरील, पृ. 289-90
80. Harijan- 18.7.1936
81. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर-जातिभेद का उन्मूलन, अनु. सुंदर लाल सागर, पृ. 89
82. गांधी शिक्षा पुनर्मुद्रण-भाग दो, संख्या 18
83. डॉ. अम्बेडकर-गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, पृ. 316-317ए 326ए 344, अनु. ज. कुरील
84. वही
85. वही
86. डॉ. अम्बेडकर-अग्रलेख जनता मराठी, सां. 19 अक्तूबर, 1940 (गांधी मन के सड़े विचार)
87. प्रह्लाद केशव अत्रे-संपादकीय नवयुग, मराठी, 13 अप्रैल, 1947
88. डॉ. अम्बेडकर-(गांधी मन के सड़े विचार) जनता सा. मराठी, 19 अक्तूबर, 1940
89. M.K. Gandhi, Harijan, 11 Feb. 1933, p. 3
90. डॉ. अम्बेडकर-जनता, मराठी, 19 अक्तूबर, 1940
91. Dr. Ambedkar Writing Speech, Vol. I. p. 352, edition 1990
92. प्रह्लाद केशव अत्रे-भारत का महानमूर्ति भंजक, संपादकीय, नवयुग, मराठी, 13 अप्रैल, 1947
93. प्रह्लाद केशव अत्रे-नवयुग अम्बेडकर विशेषांक, 13 अप्रैल, 1947
94. डॉ. अम्बेडकर-कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया? अनु. कुरील, पृ. 128
95. डॉ. अम्बेडकर और गांधी की पहली मुलाकात-नवयुग मराठी, 13 अप्रैल, 1947
96. अभय कुमार दुबे-अम्बेडकर की समस्याएं, समीक्षा लेख, हंस (मासिक), अगस्त, 1991, पृ. 76-79
97. वसंत मून-डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर, पृ. 163. अनु. प्रशांत पांडे, 1991
98. डॉ. एम.एम. मौर्य-अम्बेडकर का मराठी लेखन-अम्बेडकर शताब्दी सेमिनार-शोधपत्र, साहित्य अकादमी, दिल्ली, 18-20 अगस्त 21
99. स. मु. पठान-निर्भीक पत्रकार थे बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर, नन भारती, अंक 31, 1991, पृ. 30
100. विजय गंगाधर सुरवाडे-बाबा साहब अम्बेडकर, पत्र व्यवहार, खंड प्रथम, पृ. 3

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में प्रोफेसर, दलित साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर, बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर की पत्रकारिता में पीएच.डी. हैं।)

विश्व मानवतावाद एवं डॉ. अम्बेडकर का चिंतन

■ डॉ. प्रभु चौधरी

राष्ट्रीय गौरव विश्वप्रसिद्ध चिंतक एवं विधिवेत्ता हमारे बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि जातिवाद के कारण ही भारत में राष्ट्र भावना नहीं पनप पाई और भारत बार-बार गुलामी का शिकार होता रहा। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जो समृद्ध हो, शक्तिशाली हो, विकसित हो और दुनिया में अग्रणी हो। जाति व्यवस्था को तोड़े बिना भारत को समृद्ध और शक्तिशाली नहीं बनाया जा सकता, उनके शब्दों में यदि यह कहा जाए कि भारत के समृद्ध और विकसित होने में जाति-व्यवस्था बहुत बडी रुकावट रही है तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

हमें एक ऐसी संस्कृति का विकास करना चाहिए जिसमें प्रत्येक देशवासी को एक सम्मानित नागरिक माना जाए और प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर सुनिश्चित हो तथा देश में परस्पर भाईचारे के साथ प्रेम और सौहार्द्र की भावना हो। बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता को उपर्युक्त वाक्यो से बखूबी समझाा जा सकता है। बाबा साहेब मानते थे कि राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगो के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उनमें सामाजिक-भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। राष्ट्र के संदर्भ में राष्ट्रीयता का अर्थ सामाजिक एकता में दृढ भावना एवं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में इसका आधार भाईचारा होना चाहिए।

जाति व्यवस्था श्रम विरोधी है, जाति की प्रकृति ही विखण्डन और विभाजन करना है। जाति का यह अभिशाप है। डॉ. अम्बेडकर का कहना था कि जातीय भावनाअें से आर्थिक विकास रूकता है। इससे वे स्थितिया पैदा हो जाती है जो कृषि तथा अन्य क्षेत्रा में सामूहिक प्रयत्नों के विरूद्ध है। जात-पात के रहते ग्रामीण विकास समाजवादी सिद्धांतों के विरूद्ध रहेगा। इसलिए जातिवाद के कारण ही बड़े-बड़े गढ बन गए है, उन्हें तोड़ा जाए, जिससे शहरों और गांवों में तेजी से विकास हो। इसलिये डॉ. अम्बेडकर का लगातार यह प्रयत्न रहता था कि भारत में एक ऐसी साझी संस्कृति का निर्माण हो जिसमें जात-पात के आधार पर लोगों के साथ अन्याय और शोषण न हो और हर नागरिक अपनी क्षमताओं के अनुसार राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके।

डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कहा था- भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिये यह आवश्यक है कि हम संविधानवाद की भावना विकसित करें और संविधानेत्तर तरीके को जल्दी तिलांजली दे दें।

बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर का सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक चिंतन यथार्थपरक और मानवता के लिये था। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, गरिमा, आत्मसम्मान एवं न्याय उनके दर्शन का मुख्य लक्ष्य रहा है। जिसके लिये उन्होंने ऐसी सामाजिक संरचना की संकल्पना की जिसमें मनुष्य को अपना सर्वांगीण विकास करने का अवसर प्राप्त हो। जिसके बाद एक ऐसर समृद्ध भारत का निर्माण हो ताकि समाज में जाति,सम्प्रदाय या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। सभी को समान अवसर प्राप्त हो, गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का वातावरण हो। यहां यह बताना समाचीन होगा कि समाज के सभी वर्गो के विकास के बगैर किसी राष्ट्र की संकल्पना ही बेमानी है।

तकरीबन 35 वर्षो के बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने सामाजिक-राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कर्म के बियावान में विचरण करते हुए उन्होंने समाज के सभी वर्गो के उत्थान के लिए कार्य किया।

भारत के इतिहासकारो ने डॉ. अम्बेडकर को वह स्थान नहीं दिया जिसके वे हकदार है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसका कारण एक ही है और वह है उनका दलित वर्ग में जन्म लेना। मुझे इसमें इतिहासकारों की सवर्ण मानसिकता दिखती है। अपवाद स्वरुप एकाध इतिहासकार ने डॉ. अम्बेडकर को दलित नेता और दलितों के संघर्ष के अग्रदूत के रूप में स्थापित करने तथा उन्हें दलितों तक ही सीमित करने की संपूर्ण कोशिश की तथा उन्हें संविधान निर्माता के रूप में ही आज तक दर्शाया जाता है। परन्तु बाबा साहेब के अंदर बहुत से ऐसे गुण थे, जिसे समाज के सामने लाया ही नहीं गया और वह

है उनका आर्थिक चिंतक होना। क्योंकि यहां फिर उनका दलित होना उनके लिए अभिशाप बन जाता है क्योंकि भारतीय समाज में जाति प्रथा लोगों के रग-रग में खून के कतरे की तरह बह रही है।

वैसे तो इतिहास की किसी भी घटना के बारे में किसी भी प्रकार का तर्क दिया जा सकता है। इतिहास में घटित घटनाओं की मीमांसा अनेक प्रकार से ही सकती है यदि ऐसा होता तो क्या होता यदि वैसा होता तो क्या होता? यह मूलत: व्यर्थ की वैचारिक जुगली के अलावा कुछ नहीं। परन्तु बाबा साहेब का सवाल है कि कुछ बुनियादी तथ्यों को याद रखा जाना आवश्यक है।

आर्थिक पहलुओं पर उनके विचारों को इतिहासकारों ने ज्यादा महत्व नहीं दिया। फिर भी उन्होंने समय-समय पर अपनी अर्थव्यस्था संबंधी लेखो को लोगों के सामने लाये। बाबा साहेब की अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति का पूरा ज्ञान था कि केवल सामाजिक प्रतिष्ठा से ही नही आर्थिक तौर से भी पूर्णतया वंचित है।

बाबा साहेब ने सन् 1940 में सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण तथा सामूहिक एवं सरकारी खेती की बात की थी। वो चाहते थे कि सामाजिक और आर्थिक क्रांति के साथ-साथ राज्य निर्माण का काम भी एक साथ चले। इस विचार को मूलभूत अधिकार में तो स्थान नहीं मिला पर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में जरुर शामिल किया गया। अत: संविधान में इसका व्यावहारिक दृष्टि से कोई विशेष असर नहीं है। बाबा साहेब मानते थे कि भूमि बंटवारे से दलितों की समस्या हल नहीं होगी इसलिए वो भूमि का राष्ट्रीयकरण चाहते थे।

बाबा साहेब ने 1947 में एक लेख प्रांत और अल्पसंख्यक प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने लिखा हमारी समस्या है कि हमारे यहां बिना तानाशाही का राजकीय समाजवाद हो, हमारा समाजवाद संसदीय प्रणली के साथ हो, और सुझाव दिया कि आर्थिक शोषण को समाप्त करने की दृष्टि से मूल उद्योगो का स्वामित्व और प्रबंध राज्य के हाथ में रहे और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हो। इसके साथ-साथ ये भी कहा कि खेती में मालिकों, काश्तकारों आदि को मुआवजा देकर राज्य भूमि का अधिग्रहण करें और उस पर सामूहिक खेती की जाए जिससे ना कोई जमींदार होगा, ना कोई काश्तकार और ना कोई भूमिहीन मजदूर।

आर्थिक पहलुओं पर उनके विचारों को इतिहासकारों ने ज्यादा महत्व नहीं दिया। फिर भी उन्होंने समय-समय पर अपनी अर्थव्यस्था संबंधी लेखो को लोगों के सामने लाये। बाबा साहेब की अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति का पूरा ज्ञान था कि केवल सामाजिक प्रतिष्ठा से ही नही आर्थिक तौर से भी पूर्णतया वंचित है।

1938 में बंबई विधानसभा में उन्होंने कहा था कि मुझे अक्सर गलत समझा जाता है जिसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मैं अपने देश से प्यार करता हूं लेकिन मैं सदन में पूरे जोर शोर से कहना चाहता हूं कि जब कभी देश हित और अस्पृश्यो के हितों के बीच टकराव होगा तो मैं अस्पृश्यों के हितों को तरजीह दूंगा। मेरे अपने हितों और देश हित के साथ टकराव होगा तो मैं देश हित को तरजीह दूंगा।

बाबा साहेब मानते थे कि राज्य तभी लोकतांत्रिक है। पर राज्य की प्रणाली अलोकतांत्रिक है इसलिए हमारा लोकतंत्र कुछ अर्थों में असफल हो रहा है अगर लोकतांत्रिक प्रणाली को सफल बनाना है तो राष्ट्र मानस और लोक मानस को भी लोकतांत्रिक बनाना होगा। बाबा साहेब राजकीय समाजवाद के पक्षधर थे उन्होंने एक बार रेल्वे के मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारे दो ही दुश्मन है एक ब्राम्हणवाद और दूसरा पूंजीवाद। गरीब का क्या भविष्य है? क्या इन्हें विधायिका में चुने जाने की आशा है? उनकी आर्थिक उन्नति के लिए कोई ध्यान देने वाला है?

बाबा साहेब ने पूंजीवाद का पूर्ण विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि आज देश में बड़ी जातियों के 100-200 लोग अरब-खरबपति है जो देश की 50 करोड़ की आबादी का शोषण करके पूंजीपति बने है वह चाहे सवर्ण हो या कोई अन्य। कल इसमें से 5-10 दलित लोग पूंजीपति बन जाए तो क्या 12 करोड़ दलितों का उत्थान हो जाएगा? इससे पता चलता है कि बाबा साहेब आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक समानता चाहते थे वे समाजवाद चाहते थे जो सभी के लिये हो। उनके मानवतावादी दर्शन में भारतीय संस्कृति को नहीं, बल्कि समानता को स्थान प्राप्त है। उन्होंने मानव और समाज के हितो को सर्वोपरि रखा।

इस बात से दिखता है कि बाबा साहेब में भारतीयता और भारतीय आर्थिक व्यवस्था की जानकारी गहराई तक थी वे जानते थे कि परिवर्तनशीलता का गुण विकास के लिये जरुरी है इसलिये उन्होंने कहा कि स्थिरता गधे का गुण है घोडे का नहीं। यह दिलचस्प है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान पारित होने के तत्काल बाद अपने पहले साक्षात्कार में कहा था कि आज

हम अंतर्विरोध के एक नये युग में प्रवेश कर रहे है। जिसमें राजनैतिक समानता तो होगी यानी एक व्यक्ति-एक वोट पर आर्थिक व सामाजिक समानता नहीं होगी।

डॉ. अम्बेडकर साहेब जी सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक बुनियादी उद्योग खोलने के पक्षधर थे। बाबा साहेब ने अपने आर्थिक चिंतन में समाजवादी समाज, योजनाबद्ध विकास, कृषि उद्योग, औद्योगिक और सीमित राष्ट्रीयकारण पर जोर दिया, पर आने वाली संतानो को किसी एक विचारधारा से बांध कर नहीं रखा है क्योंकि बाबा साहेब का मानना था कि समय-समय पर सामाजिक और आर्थिक स्थितियां परिवर्तित होती रहती है। किसी भी स्थिति को स्थाई रूप देना आजादी का हनन है। बाबा साहेब के प्रयासो से ही ऐसा संविधान बना जिसके अंतर्गत सभी समाज का भी गहरा ज्ञान था। उनकी किताबे-शूद्रो की खोज, अछूत कौन और कैसे, जाति उत्पत्ति का स्वरूप, रूपये की समस्या, जाति प्रथा का उन्मूलन, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, मि. गांधी और अछूतों का उद्धार, सांप्रदायिक गतिरोध और उनका समाधान, भाषाई राज्य और अंत में भगवान बुद्ध और उनका धम्म आदि इसका प्रतीक है।

आजादी के बाद जो नीतियां रही उनमें बाबा साहेब की विचारधारा उभर कर सामने आती है कुल मिलाकर बाबा साहेब मानव विकास के पक्षधर है। इस विकास व उत्थान के लिए मानव स्वयं जिम्मेदार होगा और अपने विकास का मार्ग स्वयं प्रशस्त करेगा। मानव को अपनी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत की सुरक्षा करते हुए सहयोग, सद्भाव, समता, करुणा, मैत्री, शांति, परोपकारिता, बंधुत्व और सहभागिता को लेकर चलना होगा।

पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का सामना करते हुए वे सदैव अध्ययनरत रहे। इसके परिण ाामस्वरूप वे एक अच्छे वैचारिक लेखक साहित्यकार और तत्ववादी विचारक होकर पूरी दुनिया के सामने आये। और फिर संपूर्ण विश्व को मानवता का संदेश दिया। बाबा साहेब ने एक ऐसे समाज की कामना की जिसमें मान-मानव के नये समाज के अग्रदूत होंगे, जहां श्रम पूजनीय और सेवा प्रतिष्ठित होगी। जो झूठी तथा दम्भी जातीय प्रतिष्ठा की भावना से मुक्त हो।

डॉ. अम्बेडकर साहेब जी में देश प्रेम और राष्ट्रीययता कूट-कूट कर भरी हुई थी। वे प्रान्तीयता और क्षेत्रवाद के कटु आलोचक थे। 4 अप्रैल 1938 को बम्बई विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब कुछ लोग कहते है कि हम पहले भारतीय है और बाद में हिन्दु अथवा मुसलमान। मुझे यह स्वीकार नहीं। धर्म, जाति भाषा आदि की प्रतिस्पर्धा निष्ठा के रहते हुए भारतीयता के प्रति निष्ठा पनप नहीं सकती है। मैं चाहता हूं कि लोग पहले भी भारतीय हो और अन्त तक भारतीय रहे, भारतीय के अलावा कुछ नहीं। डॉ. अम्बेडकर के अन्तः करण से निकले यह शब्द उनकी राष्ट्रीय निष्ठा की अभिव्यक्ति थी जो बड़े-बड़े राष्ट्रवादियों में भी मिलना मुश्किल है। बाबा साहेब का जीवन आदि से अंत तक प्रेरणादायक और स्फूर्तिदायक है। उनके जीवन के प्रसंगो को काव्य में उद्धत किया जा सकता है। उनका सम्पूर्ण जीवन अपने आप में एक महाकाव्य है।

आज कल दलित संगठनों का एजेन्डा भी सिर्फ बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर की जयंती मनाना, आरक्षण की मांग करना और सुख सुविधाओं की बढोतरी की मांग ही रह गई है। सामाजिक परिवर्तन दलितों को मानवाधिकार दिलवाना, मानवीय गरिमा से युक्त समाज निर्माण की ललक कही पीछे छूट गई है। यह दुखद है। आज देश में कुद संगठन बन गये है जो बाबा साहेब के नाम को अपने सामाजिक समूह का बड़ा व्यक्ति मानकर उनका नाम लेते है। पर उनके विचारों को दूर-दूर तक पालन नहीं करते है। उनका केवल एक ही काम रहता है बस बाबा साहेब की मूर्ति के सामने फोटो खिंचवाना और फिर उसका प्रचार करना। ऐसे मित्र बाबा साहेब के अनुयायी नहीं, बल्कि दुश्मन है। जितनी जल्दी हो सके इस समस्या पर विचार कर इसे दूर करना होगा। पिछले 50-60 वर्षो से समाज की बढ़ी हुई ताकत को एक बार पुनः बटोरकर एकजुट करके बाबा साहेब के सपनों का भारत जिसमें न कोई उंचा-नीचा हो, न कोई भूखा-नंगा हो, न कोई अशिक्षित हो, न कोई भेदभाव वाला जाति विहीन समाज बनाने के लिए लग जाना होगा अन्यथा इतिहास हमें एक नकारा और गैर जिम्मेदार पीढ़ी के रूप में याद करेगी।

संविधान निर्माण उनकी राष्ट्र की साधना का प्रतीक है उसके लिए सबका सहयोग चाहिए। सिर्फ दलितो-पिछडो का नहीं। डॉ. अम्बेडकर का मिशन देश की एकता, अखण्डता और खुशहाली का है, सारे भारतीय समाज की भलाई का है। उनका मिशन भारतीय समाज को रूढियों, अंधविश्वासों और जड़ताओं से मुक्त कर उदार, बौद्धिक और वैज्ञानिक समाज बनाने का है। उनके मिशन को पूरा करने की दिशा में किया जाने वाला प्रयत्न ही बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजली होगी।

शिक्षा जीवन की तैयारी,
शिक्षा जीवन का प्रकाश है।
शिक्षा है निर्माण चरित्र का,
शिक्षा समता का विकास है।।

(लेखक सम्पादक मंडल के सदस्य हैं।)

जीवन चरित - इक्कीसवीं किस्त

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर - जीवन चरित

■ धनंजय कीर

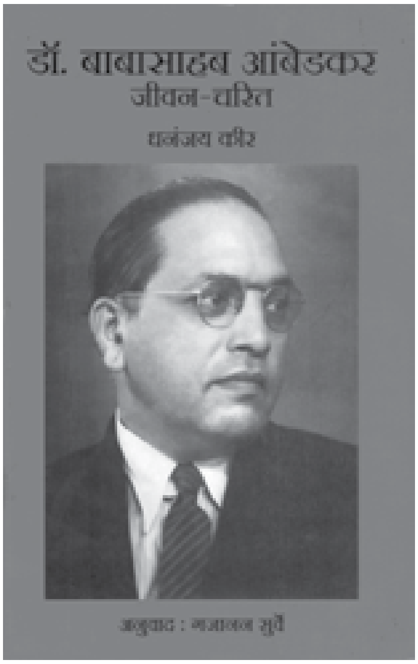

जनता की सरकार के खिलाफ भारत में मजदूर नेताओं द्वारा संघटित विरोध का मुकाबला करते हुए यह हड़ताल की गई थी। परन्तु पूंजीवाद द्वारा पाले-पोसे और कांग्रेस भक्तों द्वारा चलाए गए समाचार-पत्र हड़ताल वे खिलाफ थे। उन्होंने सरकार को समर्थन दिया। नया सुधार करने की दृष्टि से कांग्रेस दल अधिकार पर रहे ऐसा जिन्हें लगता था वे ऐंग्लो दृष्टि से और मजदूर जगत में अम्बेडकर की बढ़ रही प्रतिष्ठा के प्रति द्वेष के कारण हड़ताल के संबंध में बनावटी समाचार प्रसिद्ध किए।

डिलाईल रोड़ था मजदूरों का शक्ति केन्द्र, उनका बालाई किला। वह विभाग दोनों दलों के संग्राम का केन्द्र होना स्वाभाविक ही था। वहां पथराव की वजह से कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं। एक पुलिस अधिकारी और कुल पुलिस के जख्मी होने से पुलिस ने गोलीबारी की। उसमें दो व्यक्ति जख्मी हुए। परेल रास्ते पर एक बुरी घटना घटित हुई। एक व्यक्ति ने मुन्शी की गाड़ी पर हमला किया। गाड़ी के कांच के टुकड़े-टुकड़े हो गए। सरदार पटेल, मथुरामदास त्रिकमजी और भवानजी अर्जुन खिमजी मुन्शी जी की गाड़ी में थे। सौभाग्वश उनमें से किसी को भी जक्ष्म नहीं हुआ। कुल 72 लाग जख्मी हुए। 11 लोगों को प्राणांतिक जख्म हुए। 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सारा शहर प्रदर्शनों से गरज उठा।

बंबई के मजदूर नेताओं के आह्वान के अनुसार पूरे प्रांत के औद्यागिक शहरों में कुछ मात्रा में हड़ताल हुई। उन जगहों पर जुलूस निकले। विरोध और प्रदर्शन हुए। अहमदाबाद, अमलनेर, जलगांव, चालीसगांव, पुणे, धुले आदि स्थानों तक हड़ताल फैल गई थी।

हड़ताल के कार्य की तो बड़ी रंगीली भैरवी हुई। शाम को मजदूर मैदान पर मजदूरों की प्रचंड सभा संपन्न हुई। सभा के अध्यक्ष जमनादास मेथा ही थे। सभा में रणदिवे, निमकर, डांगे, मिरजकर प्रभृति कम्यूनिस्ट नेताओं ने उस काले कानून का कड़ा विरोध किया। काले कानून का एक प्रतीक और गृहमंत्री का दूसरा प्रतीक - इस तरह पुतले सभा की समाप्ति के बाद जलाए गए। वहां अम्बेडकर का एक तीखा भाषण हुआ। भाषण के प्रारंभ में उन्होंने हड़ताल को सफल बनाने के लिए मजदूरों का हार्दिक अभिनंदन किया। जिन सायंकालीन समाचारपत्रों में हड़ताल विफल हो जाने के बारे में विपर्यस्त जानकारी दी गई थी, उनका उन्होंने सरकार के पिट्ठू के रूप में वर्णन करके विरोध किया। हड़ताल पूरी तरह से सफल होने की उन्होंने गवाही दी। उन्होंने मजदूरों से कहा, 'सिर्फ सभाओं में उपस्थित रहकर, गला फट जाने तक काले कानून का विरोध करके या निषेध व्यक्त करके आपका कार्य नहीं होगा। अपने प्रतिनिधि चुनकर आपको राज्यसत्ता प्राप्त करनी चाहिए।' अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा, 'अगर कांग्रेस ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ सचमुच संग्राम खड़ा किया, तो मैं कांग्रेस से जरूर मिल जाऊंगा।

हड़ताल के बारे में अपने निवेदन में सरदार पटेल ने कहा कि, 'हड़ताल के नेताओं ने जबरदस्ती का मार्ग स्वीकार किया' इस पर अम्बेडकर ने कहा 'पटेल का निवेदन यानी अथ से इति तक असत्य से बुना हुआ जाल है।'

इस हड़ताल से दो बातें निष्पन्न हुई; पहली बात यह कि अम्बेडकर मजदूर क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा सके। उनकी संघटना ने महत्वपूर्ण कार्य किया और वह ऊंचे स्तर की साबित हुई। प्रथम श्रेणी के मजदूर नेता के रूप में अम्बेडकर की कीर्ति पैल गई। इसलिए अखिल भारतीय मजदूरों की समस्या से भविष्यकाल में उनका जो नाता जुड़ने वाला था, उसकी वह नींव बन गई। दूसरी बात यह कि मजदूरों के कल्याण के लिए कम्यूनिस्टों

और अम्बेडकर ने एक संगठन बनाया। तथापि अम्बेडकर ने अपने दल और संघटना को धूर्तता और सतर्कता से कम्यूनिस्टों से अलग रखा और उस क्षेत्र में उन्होंने अपना प्रभाव तो डाला ही।

7 नवम्बर की हड़ताल विशेष महतव की घटना मानी गई। उसका महत्व इतना बढ़ गया कि संयुक्त प्रांत के विख्यात किसान नेता स्वामी सहजानंद अम्बेडकर से बंबई में उनके निवास स्थान पर आकर मिले। बंबई के मजदूरों की समस्याओं और सर्वसाधारण भारत के किसानों की समस्याओं पर उन्होंने अम्बेडकर के साथ चर्चा की। उन्होंने अम्बेडकर के पास यह आग्रह रखा कि वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध पुकारा होता, तो मैं उस दल से मिल जाता, लेकिन यथार्थ वैसा नहीं है। कांग्रेस दल अपने हाथ में आये संविधानात्मक शासनतंत्र को पूंजीवादी और निरंतर स्वार्थ में लिप्त लोगों के कल्याण के लिए ही कार्यान्वित कर रहा है। उसने किसान और मजदूर के कल्याण की बलि दे दी है। इस तरह की संघटना में मैं शामिल नहीं हो सकूंगा।[6]

संदर्भः

1. The Time of India, 4 January 1938
2. जनता, 15 फरवरी 1938
3. जनता, 15 फरवरी 1938
4. The Time of India, 4 January 1938
5. केलकर न. चिं, गतगोष्टी, पृ. 734
6. जनता, 31 दिसम्बर 1938

संघराज्य या पाकिस्तान

जनवरी 1939 के प्रथम सप्ताह में किसानों की बड़ी परिषद् हुई। उस परिषद् में भाषण करते समय अम्बेडकर ने किसानों के मनपटल पर यह प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया कि किसानों के दुःख दूर करने में कांग्रेस मंत्रिमंडल असफल सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री खेर तो केवल गोबर गणेशहैं और अन्य मंत्री सरदार पटेल के कुत्ते हैं।' सरदार पटेल की भी उस भाषण में खबर ली। बंबई राज्य के मुख्यमंत्री बाल गंगाधर खेर के गुजरात में हुए एक सत्कार के समय पटेल ने कहा था कि, 'खेर का सत्कार इसलिए किया जा रहा है कि वे गांधीभक्त हैं; मुख्यमंत्री हैं इसलिए नही। अगर ऐसा न होता तो उन्होंने खेर को सत्कार किए बिना वापस भेज दिया होता।' इस बात का उल्लेख कर अम्बेडकर ने कहा, 'एक महाराष्ट्रीय का इस तरह अपमान किए जाने के कारण मैं पटेल से बदला लूंगा। अगर पटेल ने इस तरह मेरा अपमान किया, तो मैं जूते से मारूंगा।' यह जाहिर भाषण था। वह स्वागत या रवानगी नहीं था। ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेताओं के उद्धत बर्ताव का तिरस्कार करने वाले बाबसाहेब ने जैसे अपने मुंह का तोपखाना छोड़ दिया हो। यह क्रोध का तीव्र उद्रेक था। लेकिन जिस पर था वह ठहरा गोबर गणेश! हम उसे श्रेष्ठ कैसे मानें! ऐसी बात नहीं कि अम्बेडकर को यह मालूम नहीं था; लेकिन, कांग्रेस दल के बारे में जैसे को तैसा बर्ताव करना उनका ढंग था।

बंबई वापस लौटने पर अम्बेडकर ने अपने स्वतंत्र मजदूर दल की स्वयंसेवक टुकड़ी की सेवा और उसके द्वारा जिम्मेदारी से किए गए कार्य के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि सरदार पटेल और मुख्यमंत्री खेर ने भी स्वयंसेवक दल के बारे में प्रशंसाद्गार निकाले। विरोध और दुश्मनी का फर्क जो जानते हैं, वे ही होते हैं सच्चे बुद्धिमान! खेर कोई बाबासाहेब के दुश्मन नहीं थे। सरदार पटेल भी नहीं थे।

नियोजित संघराज्य की प्रस्थापना करने के प्रश्न को भारतीय राजनीति में प्रथम दर्जे का महत्व प्राप्त हो गया था। महाराज्यपाल (वाइसराय) लंदन से वापस लौटे। राजनीतिक खेमे में कहा जा रहा था कि वे ब्रिटिश राज्यकर्ताओं से संघराज्य की संस्थापना की दृष्टि से कुछ सूचनाएं लेकर आए होंगे। ब्रिटिश कूटनीतिज्ञों के दिल का झुकाव यह दर्शाने लगा था कि अगर भारतीय रियासतदारों ने अपनी रियासतों का प्रजातंत्र में रूपांतरण नहीं किया तो भी उन्हें संघराज्य में समाविष्ट किया जाए। संक्षेप में कहें तो कांग्रेस का दायां गुट भारतीय रियासतों में जिम्मेदार पद्धति की राज्ययंत्रणा अस्तित्व में लाकर भावी संघराज्य में अपना बहुमत प्रस्थापित करने के लिए संघर्षरत था। कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाषचंद्र बोस साफ तौर पर संघराज्य पद्धति के खिलाफ थे। मुसलमानों ने

7 नवम्बर की हड़ताल विशेष महत्व की घटना मानी गई। उसका महत्व इतना बढ़ गया कि संयुक्त प्रांत के विख्यात किसान नेता स्वामी सहजानंद अम्बेडकर से बंबई में उनके निवास स्थान पर आकर मिले। बंबई के मजदूरों की समस्याओं और सर्वसाधारण भारत के किसानों की समस्याओं पर उन्होंने अम्बेडकर के साथ चर्चा की। उन्होंने अम्बेडकर के पास यह आग्रह रखा कि वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध पुकारा होता, तो मैं उस दल से मिल जाता, लेकिन यथार्थ वैसा नहीं है।

तो संघराज्य योजना का सख्त विरोध शुरू किया। मुसलमानों की फूट वृत्ति को काबू में रखते हुए भारत अविभाज्य और एकसंघ बने, इस उद्देश्य से संघराज्य तुरंत प्रत्यक्ष में साकार होना चाहिए, ऐसा हिन्दूमहासभा के नेताओं को लगा रहा था।

जिस तरह संघराजय भारत में आने वाला था, उस तरह की संघराज्य पद्धति के प्रति अम्बेडकर का विरोध था। उनके मतानुसार संघराज्य का संविधान अधूरा होकर उसमें कुछ स्वाभाविक दोष थे। रियासतों को दिया गया फिजूल प्रतिनिधित्व, संघराज्य-विधानमंडल के अप्रत्यक्ष चुनाव, महाराज्यपाल को दिए गए विशेष अधिकार, सार्वभौमत्व के आरक्षित अधिकार और लश्कर तथा खजाने पर कब्जा प्राप्त करने की असंभाव्यता आदि दोष थे। दिसंबर 1938 में एक दो बार उन्होंने उसके बारे में अपना मत व्यक्त किया था। अब उन्होंने यह तय किया था कि उनकी आवाज संघराज्य के खिलाफ जितनी ज्यादा तीव्र करना संभव होगा, उतनी तीव्र करना और कांग्रेस के गर्म दल को इस संदर्भ में समर्थन देना। संघराज्य संबंधी अपने विचार प्रकट करने का उन्हें एक स्वर्ण मौका प्राप्त हुआ। पुणे की अर्थशास्त्र और राजनीति की शिक्षा देने वाली गोखले अर्थशास्त्र संस्था ने व्याख्यान देने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। 29 जनवरी, 1939 को उन्होंने वहां दो घंटे तक भाषण दिया। अपने इस भाषण में अम्बेडकर ने मत व्यक्त किया कि संघराज्य की संस्थापना से देश स्वतंत्रता की ओर तो बढ़ेगा ही नहीं, अपितु वह उसके मार्ग में स्थायी रूकावट बन जाएगी। उसका कारण उन्होंने यह बताया कि 'संघराज्य संविधान के अनुसार ब्रिटिश भारत के लोग कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे, पर भारतीय रियासतों में जिम्मेदार पद्धति का राज्य न होने से वहां से केन्द्रीय विधिमंडल में ब्रिटिश कूटनीतिज्ञों द्वारा रियासतदारों के माध्यम से चुने गए पिट्ठू ही आ जाएंगे।

नियोजित संघराज्य में सबको नागरिक के समान अधिकार नहीं होंगे; क्यों कि रियासतों के लोग रियासतों के ही नागरिक रहेंगे। उन पर संघराज्य का सीधा अधिकार नहीं चलेगा। यद्यपि हम संघराज्य योजना के खिलाफ नहीं है, फिर भी एकसंघ राज्य की परिकल्पना हमें अधिक पसंद है, क्योंकि एकसंघ राज्य-पद्धति राष्ट्रवाद के साथ सुसंगत ही है। नहीं, वह भारत के लिए संप्रति उचित ही बात है, तथापि नियोजित संघराज्य भारत की एकता के लिए विशेष सहायक नहीं होगा क्योंकि एक तो सभी रियासतों को उस संघराज्य में शामिल होना संभव नहीं और दूसरे यह कि सुरक्षा विभाग और विदेश विभाग को संघराज्य के अर्थात न रखे जाने से यह संघराज्य सच्चे अर्थ से जिम्मेदार पद्धति का राजय नहीं होगा। संक्षेप में, संघराज्य अपने पर स्वराज्य ही जाएगा, ऐसा उन्होंने निष्कर्ष निकाला था।

उसी भाषण में अम्बेडकर ने रानडे युग और गांधी युग की तुलना की। रानडे युग प्रामाणिक और अधिक ज्ञानसंपन्न और अंधकार विनाशक था। रानडे युग में नेताओं ने भारत का आधुनिकीकरण करना तय किया था। नेतागण व्यवस्थित कपड़े पहनने का ध्यान रखते थे। व्यासंग विमुख राजनीतिक नेता उत्पाती व्यक्ति माना जाता था। उस युग में जीवन की समस्याओं का अध्ययन और चिंतन करने में लोग मग्न रहते थे। वे अपने चिंतन से निकले हुए निर्णय के अनुसार अपना जीवन-यापन और चरित्र गठन करने का प्रयास करते थे। गांधी युग में अर्धनग्न रहने में नेताओं को अभिमान लगने लगा। वे अतीतकालीन आदर्शानुसार भारत की प्रतिमा बनाने की कोशिश करने लगे। इस तरह की विचारधारा फैलने लगी कि विद्वत्ता और व्यासंग की आवश्यकता राजनीति में कार्य करने वाले व्यक्ति को जरूरी नहीं। अपने जीवन और देश के भविष्य के बारे में स्वतंत्रता से और वैचारिक पद्धति से विचार करने की प्रवृत्ति गांधी युग के लोगों में नहीं रही। उनकी बुद्धि का दम निकल गया। वह देखकर ही बाबासाहेब को अपने भाषण में यह साफ मत बनाना पड़ा की 'गांधी युग भारत का तमोयुग है।'[1]

फरवरी 1939 में बंबई विधानसभा में अम्बेडकर ने बजट की कड़ी आलोचना की। उस समय उन्होंने कहा कि, 'लगान की दृष्टि से देखा जा तो अर्थसंकल्प बेलगाम और व्यय की दृष्टि से कहा जाए तो मूर्खता का द्योतक है; क्योंकि खुद कांग्रेस दल ने जाहिर रीति से जिस स्टांप कर का विरोध किया था वह कर ही उन्होंने स्वयं बढ़ा दिया है। कांग्रेस दल ने बिजली के इस्तेमाल पर अधिक मात्रा में करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप में बढ़ावा दिया है।'

दूसरी समस्या की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, 'सरकार ने अपनी नशाबंदी के रुख की वजह से हुई हानि की भरपाई के लिए 125 लाख रुपए व्यर्थ गंवाए हैं। अब इस समस्या का स्वरूप मर्यादित बन गया है। क्या मद्यपान वादविवाद का विषय है? अगर ऐसा है तो क्या वह आपतकालिक है? मद्यपान अनिष्ट बात है, यह स्वीकारना यानी मद्यपान वादविवाद का प्रश्न है, यह स्वीकारना नहीं और वह आपतकालीन समस्या है, ऐसी स्वीकृति देने का भी सवाल उद्‌भूत नहीं होता।' यह कहकर उन्होंने इंग्लैंडए आयरलैंडण डेनमार्क, नार्वेआस्ट्रेलिया, कनाडा देशों के आबकारी उत्पादन के आंकड़ों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया और बंबई प्रांत की 180 लाख जनसंख्य से 325 लाख रुपयों की

आबकारी उत्पादन होना कोई बड़ी समस्या नहीं; यह मत व्यक्त किया। अमरीका के संयुक्त संस्थानों की नशाबंदी समस्या का उल्लेख कर उन्होंने फेल्डमन की 'प्रोहिबिशन' किताब में वर्णित अभिप्राय उद्धृत किए। अम्बेडकर का कहना था कि मद्यपान कोई विशेष विचारार्थ समस्या नहीं। देश की समस्या का वह एक विषय नहीं बन सकता, उसके महत्व के दो कारण हैं। पहला महत्वपूर्ण कारण यह है कि मद्यपान पाप है ऐसी सभी धर्मों ने अपने अनुयायियों को आज्ञा दी है। धर्म ने दूसरे अनेक बुरे कार्य किए होंगे; किन्तु भारत के सभी धर्मों ने एक बात अच्छी की है, वह यह कि हिन्दू, मुस्लिम, पारसी धर्मों ने मद्यपान निषिद्ध माना है। इसका लाखों लोगों पर अनजाने में अच्छा असर पड़ा है। मद्यपान के बारे में अपने देश की भिन्नता अन्य देशों से वैशिष्टयपूर्ण है; वह ऐसे कि मद्यपान का व्यवहार सरकार के हाथ में है। आखिर उन्होंने सरकार से एक मुंहतोड़ सवाल किया कि क्या नशाबंदी सचमुच इतनी आपतकालिक समस्या है कि अन्य सभी समस्याओं को दूर रखते हुए इसी एक समस्या की ओर हम अपना सारा ध्यान केंद्रित करें! सारांश, सरकार प्रांत के अन्य कल्याणों की ओर ध्यान देकर नशाबंदी का रूख अब छोड़ दे और सभा के आगे की कामकाज-पत्रिका में कौन-सी समस्याओं को कौन-सा अनुक्रम दिया जाए, इस संबंध में कुछ नियम तय करें।

आगे अठारह वर्षों बाद अम्बेडकर ने यह जाहिर किया कि, 'नशाबंदी की वजह से समाज का अधपतन हुआ। लोग घरों में शराब बनाते हैं, इसलिए पुरूषों के साथ नारियां भी शराब पीने लगीं। एक तरफ सरकारी आय डूब गयी और दूसरी तरफ पुलिस विभाग पर फिजूल व्यय होने लगा। कांग्रेस दल सारे देश में, नशाबंदी करेगा। परमात्मा कांग्रेस का भला करे।'

7 नवम्बर की हड़ताल की प्रतिध्वनि बंबई विधानसभा में अब भी सुनाई पड़ रही थी। हड़ताल के दिन जो गोलीबारी हुई थी, उसकी पूछताछ करने के लिए सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कम्यूनिस्टों और अम्बेडकर को ही उस दिन की शान्ति-भंग का जिम्मेदार माना और गोलीबारी न्याय थी, ऐसा अपना

आगे अठारह वर्षों बाद डॉ. अम्बेडकर ने यह जाहिर किया कि, 'नशाबंदी की वजह से समाज का अधपतन हुआ। लोग घरों में शराब बनाते हैं, इसलिए पुरूषों के साथ नारियां भी शराब पीने लगीं। एक तरफ सरकारी आय डूब गयी और दूसरी तरफ पुलिस विभाग पर फिजूल व्यय होने लगा। कांग्रेस दल सारे देश में, नशाबंदी करेगा। परमात्मा कांग्रेस का भला करे।'

फैसला व्यक्त किया। यह कांग्रेस रचित प्रतिवेदन जब विधानसभा के सममुख विचार-विमर्श के लिए रखा गया तब वहां का वातावरण इतना गर्म हो गया जितना इसके पहले कभी नहीं हुआ था। जमनादास मेथा ने कहा, 'यह रिपोर्ट एकांगी है। समिति ने जो निर्णय व्यक्त किया है वह समिति का अपना पक्ष प्रस्तुत करते समय अम्बेडकर ने अपवेश के साथ कहा, 'मेरे बारे में कहा जाए तो मैं हड़ताल की कार्यसमिति का सदस्य था। इसलिए मैं न्यायालय के सामने गवाही देने के लिए खड़ा होने को तैयार हूँ। जो सबूत पेश किया गया है, उस पर अगर किसी का विश्वास हो, हिम्मत हो तो वह मुझे न्यायासन के सामने खींचे। समिति ने कहा है कि गोलीबारी उचित थी। गोलीबारी करने के लिए वैसे ही कुछ कारण थे। मुझे एक ही सवाल पूछना है कि शांति और सुरक्षा का पालन करते समय व्यक्तिस्वातंत्र्य का विचार आप करने वाले हैं या नहीं? और यदि स्वराज्य का अर्थ – और मुझे भी ऐसा लगता है कि उसका अर्थ – गृहमंत्री जनता पर मनमानी गोलीबारी करें और अन्य लोग सिर्फ उस घटना की ओर देखकर हंसें या उनके विशिष्ट दल के होने पर उन्हें समर्थन देने के लिए खड़े हों, इससे अधिक नहीं है, तो मुझे यह विवश होकर कहना पड़ता है कि स्वराज्य भारत को प्राप्त हुआ अभिषाप है, वरदान नहीं। (तालियों की गूंज)

अम्बेडकर को उत्तर देते समय गृहमंत्री नामदार मुन्शी ने कहा, 'अम्बेडकर उस समिति के सम्मुख जानकारी देने के लिए नहीं आए। हड़ताल के दिन ग्यारह बजे न्यायालय में वे एक अभियोग चला रहे थे। संध्या के समय वे हड़ताल में शामिल हुए।' मुन्शी ने उपहास मिश्रित स्वर में आगे कहा कि, 'आप सब को अम्बेडकर के व्यर्थ शब्दजंजाल अविवेकी आवाहन की पहचान हो गई है। अपनी दस मिनट की उपस्थिति में वे चर्चा को शोभा लाते हैं और ऐसी चुनौतियां देते हैं।' बहुत अधिक गुस्से में आकर मुन्शी ने आखिर कहा, 'यदि अम्बेडकर ने कानून का उल्लंघन करने वाले भाषण दिए और हुतात्मा पद प्राप्त करने जैसे काम किए तो उन्हें न्यायालय में खींचकर हुतात्मा ही बना देंगे।' विधायक देहलीज के उपर्युक्त 'अविवेकी' शब्द पर आपत्ति

करने से मुन्शी ने वह शब्द वापस ले लिया। अम्बेडकर ने बीच में ही कहा, 'आपके पास जो सबूत हैं उसके बल पर जिन मजदूरों ने हड़ताल के दिन काम पर जाने वाले मजदूरों के मस्तक फोड़ डाले ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं, उन पर मुकदमा क्यों नहीं दाखिल करते?' उस पर जमनादास मेथा ने अम्बेडकर से कहा, 'उनकी इस तरह की बात पर आप विश्वास न करें।'

जब अम्बेडकर कांग्रेस दल पर वाद-विवाद विजय प्राप्त करते थे और युक्तिवाद में पीछे नहीं हटते थे तब मंत्री उन्हें ना-उम्मीद करने के लिए एक आखिरी शस्त्र छोड़ते थे कि 'आप विधानसभा में देर से आते हैं और केवल दर्शन देकर गायब हो जाते हैं।' लेकिन वह अस्त्र लूला पड़ता था। लेकिन कुछ वर्षो बाद अम्बेडकर के विधानसभा के कार्य के बारे में बोलते समय स्वयं मुख्यमंत्री खेर ने कहा, "विरोधी दल के नेता अम्बेडकर ने परिणामत: हितकारी आलोचना की, उपयुक्त सूचनाएं की और हमारे कार्य के दोष दिखाएं।' इससे यह ध्यान में जाएगा कि मुन्शी के उत्तरों में आवेश और द्वेष का कितना हिस्सा था। अम्बेडकर आदि विरोधी दल के नेताओं को किस परिस्थिति में काम करना पड़ता था इसकी जानकारी जमनादास के एक भाषण से अच्छी तरह से हो सकती है। राज्यकर्ताओं की विधानसभा में कामकाज करने की पद्धति कैसी थी यह विशद करते समय जमनादास ने कहा, 'हमने सरकार का सीधा-सीधा विरोध किया, तो सरकार कहती है कि विरोधी दल केवल विरोध के लिए विरोध करता है। और यदि हम तत्व का समर्थन करते हैं और उसमें आने वाली कठिनाइयां उनके ध्यान में लाते हैं, तो सरकार कहती है कि यह कोई समर्थन ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यह वृत्ति जितनी कम हो जाएगी उतना अच्छा होगा।'

फरवरी 1939 से राजकोट रियासत में राजनीतिक सुधार के लिए जोरदार आंदोलन शुरू हुआ था। अपनी इच्छा के खिलाफ कांग्रेस द्वारा अध्यक्ष पद की माला सुभाषबाबू के गले में डाल देने से एक दृष्टि से उसने हमें पराभूत किया है ऐसा समझकर त्रस्त होकर गांधी जी राजकोट दौड़े। यद्यपि ऊपरी तौर से उस रियासत की समस्या हल करने के लिए वे वहां गए ऐसा दिखाई देता है, फिर भी उनका सही उद्देश्य यह था कि

जब सुभाशबाबू त्रिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष स्थान पर विराजमान हों तब कठिनाई पैदा की जाए। राजकोट रियासत में राजनीतिक सुधारों के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए नियुक्त समिति में अपना प्रतिनिधि लिया जाए, ऐसी मांग करने के लिए राजकोट की अस्पृश्य जनता ने अम्बेडकर को आमंत्रित किया था। तद्नुसार अम्बेडकर हवाई जहाज से 18 अप्रैल को राजकोट पहुंचे। उन्होंने उसी दिन राजकोट के राजा साहब ठाकुर से भेंट की। रात में अस्पृश्य वर्गीयों की एक सभा हुई। वहां उन्होंने चेतन्यपूर्ण आदेश दिया कि अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए अस्पृश्य वर्ग संघर्ष करे। दूसरे दिन सुबह 'अस्पृश्य वर्गीयों का एक प्रतिनिधि सुधार समिति में लिया जाए' इस संबंध में अम्बेडकर ने गांधी जी के साथ 45 मिनट चर्चा की।

राजकोट में दी गई मुलाकात में अम्बेडकर ने कहा कि हम गांधी जी के साथ सभी विषयों पर सविस्तार चर्चा नहीं कर सके; क्योंकि गांधी जी को यकायक बुखार चढ़ गया। तथापि हमने जो शर्तें प्रस्तुत की थीं वे तेजबहादुर सप्रू जैसे संविधानपटु के सामने विचार विनिमय के लिए रखी जाएं, वह अपनी सूचना गांधी जी को अस्वीकृत हुई। आखिर गांधी जी राजकोट के झगड़ में राजकोट के दीवान वीरावाला का अहिंसक मार्ग से हृदय परिवर्तन नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने दबाव का मार्ग स्वीकार करके महाराज्यपाल को राजकोट के राज्य-कारोबार में हस्तक्षेप करने की विनती की। हृदय परिवर्तन और अहिंसावाद तत्वों के प्रेषित गांधीजी ने ही उस समय जाहिर रीति से यह कबूल किया कि अपना अहिंसावाद पूर्णत्व को नहीं पहुंचा है और इसलिए उनके ही शब्दों में कहें, तो उन्होंने भग्न आशा और दुर्बल शरीर से राजकोट से विदा ली।

राजकोट के झण्डे के विवाद-विषम पर संघराज्य के सरन्यायाधीश पर मॉरिस ग्वायर ने फैसला दिया। उस समय अम्बेडकर ने चुनौती के साथ जाहिर किया कि सर मॉरिस ग्वायर के फैसले के 'सिफारिश' शब्द का अर्थ सही नहीं है। प्रस्तुत प्रश्न के संदर्भ में पहले का कुछ निर्णयात्मक प्रमाण उपलब्ध न होने से सर मॉरिस ग्वायर को वैसा फैसला करना पड़ा है।' और अपने कथन की पुष्टि के लिए अम्बेडकर ने दो अभियोगों का आधार उद्धृत किया।

जुलाई 1939 के प्रथम सप्ताह में

सभा में भाषण करते समय अम्बेडकर ने कहा, 'सारे दलित समाज के उद्धार के लिए मैंने कार्य शुरू किया है। मैंने किसी विशिष्ट जातिवादी या पंथवादी कल्पना का अथवा रूख का आधार अपने कार्य में कभी भी स्वीकार नहीं किया था। मैं इस मत का हूँ कि दलित समाज में निहित जातिभेदों का उन्मूलन हो। मैं उस दृष्टि से कार्य करता रहता हूँ। अस्पृश्यों की जाति-जाति में बेटी व्यवहार की समस्या जबरदस्ती हल नहीं होगी।

अम्बेडकर ने चमार लोगों की एक सभा में भाषण किया। वह सभा रोहिदास शिक्षण समिति की ओर से परेल में आर. एम. भट्ट माध्यमिक स्कूल के सभागृह में हुई थी। अम्बेडकर की इस सभा की उपस्थिति वैशिष्टयपूर्ण थी; क्योंकि चमार समाज के नेता धर्मांतरण के विषय पर अम्बेडकर के साथ मतभिनन होकर अलग हो गए थे। 1937 के रुख को उनका समर्थन नहीं था। अम्बेडकर ने उन्हें साफ जताया था कि, 'आपका एक भी उम्मीदवार मैं खड़ा नहीं करूंगा।' इसलिए अनेक वर्ष अम्बेडकर के आंदोलन में जिन्होंने काफी शारीरिक श्रम किए और जी तोड़कर मेहनत की वे सीताराम नामदेव शिवतरकर जैसे सहयोगी और दत्तोबा जैसे जिगरी दोस्त उनसे दूर हो गए। सभा में भाषण करते समय अम्बेडकर ने कहा, 'सारे दलित समाज के उद्धार के लिए मैंने कार्य शुरू किया है। मैंने किसी विशिष्ट जातिवादी या पंथवादी कल्पना का अथवा रूख का आधार अपने कार्य में कभी भी स्वीकार नहीं किया था। मैं इस मत का हूँ कि दलित समाज में निहित जातिभेदों का उन्मूलन हो। मैं उस दृष्टि से कार्य करता रहता हूँ। अस्पृश्यों की जाति-जाति में बेटी व्यवहार की समस्या जबरदस्ती हल नहीं होगी। महार लड़की का विवाह चमार के बेटे या मातंग के बेटे के साथ जबरदस्ती, मानो जादुई लकड़ी घुमाने जैसा संभव नहीं। जिन लड़कों और लड़कियों में इस तरह का धैर्य है, उन्हें समर्थन देना यह वैसा धैर्य दिखाने वालों का काम है।' राजनीतिक समस्याओं का उललेख करके उन्होंने कहा, 'वुछ अस्पृश्य नेताओं को मेरे दल के खिलाफ खड़ा कर कांग्रेस दल दलित समाज में तरकीब से फूट डाल रहा है। कांग्रेस के इस फंसाने वाले प्रचार की आप बलि न चढ़ें। मैं कांग्रेस में नहीं, इसीलिए अन्य दलित समाजों के नेताओं की कांग्रेस के नेता खुशामद करते हैं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि स्वतंत्र मजदूर दल के बहुसंख्य महार ही हैं किन्तु महार अस्पृश्य समाज में बहुसंख्य हैं, यह कोई मेरा दोष नहीं है।[2] जातिभेद की भावनाओं से मुक्त होना है, तो उस पर एक ही इलाज है और वह है धर्मांतरण करना।' तदनंतर थोड़े ही दिनों बाद नासिक के हंसराज प्रा. ठाकरसी महाविद्यालय में अम्बेडकर के सम्मानार्थ चायपान का समारोह हुआ। उस समय उनसे कुछ लिखित सवाल पूछे गए। उनमें से एक सवाल पर उत्तर देते समय अम्बेडकर ने कहा, 'महसूल के रूप में सरकार जो पैसा प्राप्त कर रही है, उसे किसानों का कर्ज चुकाने, दरिद्रता का डन्मूलन करने और शिक्षा के लिए व्यय करना चाहिए। लेकिन अगर नशाबंदी को अग्रस्थान या अन्य आपातकालीन समस्याओं को ज्यादा महत्व दिया गया, तो वह संभव नहीं होगा। उन्हीं दिनों सर सिंकदर हयातखान ने भारत के सात राजनीतिक विभाग बनाने जैसी एक योजना विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत की थी। उस संदर्भ में बोलते समय अम्बेडकर ने कहा कि 'वह योजना हमें स्वीकार नहीं है। हमें संदेह होता है कि पाकिस्तान की स्थापना करने के मार्ग का वह एक कदम होगा।' ब्रिटिश राज्यसत्ता के बारे में उन्होंने कहा कि उसमें जो दोष है और उसकी वजह से जो दु:ख भारत को भुगतने पड़ते हैं, उनका विचार तनिक दूर रख दिया जाए तो भी उन्होंने दो बातें भारतीयों को दी हैं। पहली बात यानी केन्द्रीय सरकार, दूसरी बात यह कि यद्यपि हम भिनन-भिन्न धर्म के लोग जरूर हों, फिर भी यह भावना कि हम सब एक सरकार के अंग हैं।

इसी समय बंबई विधानसभा में वित्त-विभाग के सुधार के बारे में दूसरे विधेयक के संबंध में बोलते समय उन्होंने सरकार को अच्छी तरह से फटकारा। उन्होंने कहा, जिस मंत्रिमंडल में पांच ख्यातकीर्त कानूनदां हैं, उन्होंने उस विधेयक में पुराने जमाने से दंड लागू करने की मांग करने वाला विधेयक प्रस्तुत किया, जिससे हम अचंभे में पड़ गए हैं।

इसी समय पोलैंड की सुरक्षा की समस्या पर यूरोप में द्वितीय विश्वयुद्ध की आग धधक उठी। ब्रिटिश महाराज्यपाल की एक घोषणा से जर्मनी के खिलाफ हिंदुस्तान को युद्ध में व्यस्त किया गया। प्रमुख भारतीय नेताओं ने विश्वयुद्ध संबंधी अपने मत व्यक्त किए। भारतीय उदार मतवादी पक्ष के नेताओं ने मत प्रकट किया कि युद्धकार्य में सरकार की बिना शर्त सहायता की जाए। ■

(पॉपुलर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित धनंजय कीर की लिखी पुस्तक डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जीवन चरित से साभार)

(क्रमश: शेष अगले अंक में)

सामाजिक समानता के पक्षधर : डॉ. अम्बेडकर

■ डॉ. बी.आर. धर्मेन्द्र

भारतीय समाज-व्यवस्थाएं सामाजिक कुरूपताओं का हरा-भरा आंगन हजारों वर्षों से रही हैं और आज भी मानवता विरोधी आचरणों में गुणात्मक रूप से सुखद अन्तर नहीं आया है। सभ्यता और मानवीय जीवन मूल्यों की यह लम्बी विकास यात्रा कितनी पीड़ादायक रही है, इसकी जाँच-पड़ताल के लिए गौतम बुद्ध और थिरूवल्लूवर से लेकर गुरू नानकदेव, रामानन्द, कबीर, रविदास, एकनाथ, बसवेश्वर, ज्ञानेश्वर, गुरू घासीदास के उदाहरणों के साथ चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, राजा राम मोहन राय, केशवचन्द्र सेन, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी पेरियार, महादेव गोविन्द रानडे, अयन कल्ली, श्री अरविन्द घोष, जी. सुब्रहमण्यम अय्यर, श्रद्धानन्द संन्यासी, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गाँधी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक प्रभति व्यक्तित्वों की एक लम्बी श्रृंखला है। इन सब ने छुआछूत पर तीखे प्रहार किए। डॉ. अम्बेडकर ने इस घनघोर अमानवीयता के विरुद्ध जिस गम्भीरता और गहराई के साथ संघर्ष किया, वह उदाहरण अन्यतम है।

छुआछूत के प्रहार कितने हृदय-बेधक और मर्मान्तक होते हैं, इसकी अनुभूति भीमराव को छात्र-जीवन में अनेक बार हुई। कालान्तर में एक समारोह में के. ए. केलुस्कर ने अम्बेडकर को गौतम बुद्ध की जीवनी भेंट की। इस पुस्तक ने विचारों का तूफान अम्बेडकर जी में उत्पन्न कर दिया। आत्मविश्वास और

आत्मबल की खिड़कियां एक के बाद एक खुलती गई। परिणाम स्वरूप डॉ. अम्बेडकर राष्ट्र-निर्माता और भारतीय संविधान के निर्माता की ऊँचाई तक स्वतःस्फूर्त स्थापित हुए। दुर्भाग्यवश हिन्दू समाज में पाखण्डों और पाखडिण्यों का बोलबाला दीर्घकाल से रहा है और वह आज भी व्याप्त है। गांधी जी ने छुआछूत को मानव समाज का कलंकपूर्ण अध्याय अवश्य कहा लेकिन वे समाज को इससे मुक्त नहीं करा पाए। इसे उनकी सीमा कहा जा सकता है लेकिन अम्बेडकर जी ऐसी किसी सीमा में बंधकर नहीं रह सकते थे।

डॉ. अम्बेडकर वस्तुतः सामाजिक समानता की क्रान्ति के महानायक हैं। वे जानते थे कि जब तक समाज में आर्थिक असमानता मौजूद रहेगी, राजनीतिक शक्तियां समाज में परिव्याप्त नहीं होंगी और शासन-प्रशासन के ढांचे में गुणात्मक परिवर्तन नहीं आएंगे तब तक समानता के सिद्धान्त और आदर्श अपना वास्तविक आकार ग्रहण नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने कृषि के सामूहिकीकरण की वकालत दो टूक की। समाज में असामाजिक भावनाओं की उत्पत्ति रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, इसकी गम्भीर व गहरी समझ उन्हें अनुभव से प्राप्त थी, इसीलिए उन्होंने जाति प्रथा के साथ ही धार्मिक कट्टरता और वर्ग विभाजन की प्रवृत्तियों को राष्ट्र की एकता व अखण्डता के लिए भयानक शत्रु माना। अछूत जातियों को दलित का सम्बोधन उन्हीं की देन है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का व्यक्तिगत पुस्तकालय भी बहुत समृद्ध था वे कहा करते थे– 'मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जिसका समाज में कोई स्थान नहीं, ये पुस्तकें ही अपने मन तक पहुंचाती हैं।' इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, कानून और संविधान जैसे गम्भीर और गुरूतर विषयों पर उनकी गजब की पकड़ थी। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे भारतीय संविधान सभा के सदस्य और फिर अध्यक्ष बने। भारत के संविधान में दलितों और पिछड़ी जातियों को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए जो व्यवस्था की गई, उसके मूल में अम्बेडकर जी मन, वचन और कर्म से विद्यमान हैं। इस प्रकार 26 नवम्बर, 1949 ई. को भारत का जो संविधान स्वीकृत किया गया उसके आमुख अपने आप में विशेष मूल्यवान

है। अर्थात्- 1. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 2. विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 3. प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। भारत के निवासियों को, विशेषकर दलित-दमित समुदायों को अम्बेडकर जी का यह अवदान विलक्षण है। मानव वंश की हजारों वर्षों की अन्तहीन पीड़ा का समाहार जिस जागरूक योद्धा की भांति उन्होंने किया, वह अपने आप में दुर्लभ उदाहरण है। डॉ. अम्बेडकर वर्ग विभाजन को विशेषाधिकार प्राप्त जातियों का उदगम मानते थे। इसके लिए उन्होंने अपने लेखों और पुस्तकों में समय-समय पर भारतीय जन-समाजों को सचेत भी किया है।

डॉ. अम्बेडकर वस्तुतः सामाजिक समानता की क्रान्ति के महानायक हैं। वे जानते थे कि जब तक समाज में आर्थिक असमानता मौजूद रहेगी, राजनीतिक शक्तियां समाज में परिव्याप्त नहीं होंगी और शासन-प्रशासन के ढांचे में गुणात्मक परिवर्तन नहीं आएंगे तब तक समानता के सिद्धान्त और आदर्श अपना वास्तविक आकार ग्रहण नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने कृषि के सामूहिकीकरण की वकालत दो टूक की। समाज में असामाजिक भावनाओं की उत्पत्ति रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, इसकी गम्भीर व गहरी समझ उन्हें अनुभव से प्राप्त थी, इसीलिए उन्होंने जाति प्रथा के साथ ही धार्मिक कट्टरता और वर्ग विभाजन की प्रवृत्तियों को राष्ट्र की एकता व अखण्डता के लिए भयानक शत्रु माना। अछूत जातियों को दलित का सम्बोधन उन्हीं की देन है।

डॉ. अम्बेडकर राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र बनाने के पक्षधर थे। इस धरातल पर उन्हें सर्वथा नई सोच का व्यक्तित्व कहना ही समीचान है। वे कहते थे- 'लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था और शासन प्रणाली है जिसमें आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में बिना रक्तपात के क्रांतिकारी परिवर्तन घट सकते हैं, बशर्ते समाज में कोई विषमता न हो।... कानून और प्रशासन में समानता जरूरी है। संवैधानिक सदाचार का पालन जरूरी है। बहुसंख्यकों का अत्याचार न हो, यह जरूरी है। सामाजिक नैतिकता जरूरी है। जन-चेतना जरूरी है।'

डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक समानता के चिन्तन को जन-मन में पूर्तिमन्त करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। यह वस्तुतः एक सतत क्रिया है।

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार हैं।)

अपने लेख ई-मेल करें

सामाजिक न्याय संदेश में

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर पर शोधपरक,
गंभीर व विश्लेषणात्मक लेख। कविताएं, कहानियां, आदि रचनाएं और दलित-स्त्री-आदिवासी साहित्य व विमर्श पर सामग्री भेजें। अपने लेख, डाक द्वारा भेजें या ई-मेल करें। ई-मेल करने के लिए, वॉकमैन चाणक्य (Walkman-chankya-905) फोंट का इस्तेमाल करते हुए अपने वर्ड ओपन फाईल को hilsayans@gmail.com अथवा editorsnsp@gmail.com पर भेजें। रचनाओं के मौलिक, अप्रसारित व अप्रकाशित होने का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।

-सम्पादक
सामाजिक न्याय संदेश

15 जनपथ, नई दिल्ली-110001, टेलीफोन : 011-23320588

कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया

■ डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

इन बातों के संदर्भ में पूना पैक्ट अस्पृश्यों पर न केवल पहली चोट सिद्ध हुआ और वे हिन्दू जो उसे पसंद नहीं करते थे, एक और वार करने पर आमादा थे। उन्होंने सवर्ण हिन्दुओं ने दो प्रकार के विचार जो हेमंड समिति के सामने उठाए। उससे हिन्दुओं द्वारा रचे गए षड्यंत्र का पक्का सबूत मिल जाता है कि उनका उद्देश्य यदि पूना पैक्ट को अस्वीकार करना नहीं, तो अस्पृश्यों को उससे कोई लाभ न होने देने का था। अस्पृश्यों की राजनीतिक मांगों को कांग्रेस ने किस प्रकार विफल किया, यह कहानी यहीं समाप्त नहीं हो जाती। जो कुछ पहले लिखा जा चुका है, आगे लिखे जाने वाले भागों में उससे भी अधिक प्रकाश पड़ेगा।

X

हम उस चुनाव से संबंधित कहानी को जारी रखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतीय विधान सभाओं के लिए फरवरी 1937 में जो चुनाव हुए थे, वह कांग्रेस के लिए चुनावों में उतरने का अवसर था। यह अस्पृश्यों के लिए भी पहला अवसर था। जब उन्हें अपने प्रतिनिधि चुनने की सुविधा मिली थी, जैसा कि स्व. दीवान बहादुर एम. सी. राजा ने बड़ी खुशी से आशा की थी कि अछूतों के लिए निर्धारित सीटों पर कांग्रेस कोई व्यवधान नहीं डालेगी। परन्तु इन आशाओं की धज्जियां उड़ गईं। अस्पृश्यों के लिए आरक्षित स्थानों पर कांग्रेस के भाग लेने के पीछे उनके दो मकसद थे, पहला यह कि अपना बहुमत बनाने के लिए उन सुरक्षित सीटों को प्राप्त करना जिससे कांग्रेस सरकार बना सके। दूसरा श्री गांधी के इस कथन को साबित करना कि कांग्रेस अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व करती है और अस्पृश्य कांग्रेस में विश्वास करते हैं। इसलिए कांग्रेस पूरी भूमिका निभाने में तनिक भी नहीं हिचकिचाई। मैं तो यह कह सकता हूं कि उसने अस्पृश्यों के अहित की इच्छा से अस्पृश्यों के चुनाव में कांग्रेस टिकट पर अस्पृश्य अभ्यार्थी को खड़ा किया और उन सीटों पर, जो अस्पृश्यों के लिए सुरक्षित थीं, वित्तीय थैलियों के बल पर कांग्रेस ने अच्छा खासा लाभ कमाया।

गार्वनमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत अस्पृश्यों को 151 सीटें सुरक्षित थीं। निम्न तालिका से स्पष्ट है कि कांग्रेस टिकट पर जो अस्पृश्य

तालिका-5

प्रांत	अस्पृश्यों के लिए सुरक्षित कुल सीटों की संख्या	कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें प्राप्त की
संयुक्त प्रांत	20	16
मद्रास	30	26
बंगाल	30	06
मध्य प्रांत	20	07
बम्बई	15	04
बिहार	15	11
पंजाब	08	00
असम	07	04
उड़ीसा	06	04
	151	**78**

अभ्यर्थी थे, उन्हें कितनी अधिक सीटें प्राप्त हुईं- (तालिका 5 देखें)

इससे स्पष्ट है कि अस्पृश्यों के लिए कुल सुरक्षित सीटों की लगभग 51 प्रतिशत सीटें कांग्रेस ने ले लीं। कांग्रेस ने 78 सीटें प्राप्त कर केवल 73 सीटें अस्पृश्यों के सही और स्वतंत्र प्रतिनिधियों के लिए छोड़ी। कम्युनल अवार्ड में उन अस्पृश्यों ने, जो कुछ प्राप्त किया था, पूना पैक्ट में बहुत कुछ गंवा दिया। प्रभावकारी प्रतिनिधित्व की दृष्टि से कम्युनल अवार्ड की अपेक्षा बहुत कम लाभ हुआ जबकि कांग्रेस को पूना पैक्ट से बहुत लाभ हुआ। यद्यपि पूना पैक्ट में दलितों का 151 सीटें दी गई थीं परन्तु 78 कांग्रेस डकार गई जिससे कांग्रेस को अच्छा खासा लाभ हुआ। यह हानि 1937 के चुनाव ने अस्पृश्यों को पहुंचाई। यह कांग्रेस का अस्पृश्यों के मुंह पर दूसरा सबसे जोरदार और करारा तमाचा था। इससे उन्हें कार्यपालिका में स्थान पाने से वंचित कर दिया गया।

मैं आरंभ से ही गोलमेज सम्मेलन में बहस के दौरान इस बात पर बल देता रहा हूँ कि अस्पृश्यों को केवल व्यवस्थापिकाओं में ही अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार न मिले, अपितु उन्हें मंत्रिमंडल में भी प्रतिनिधित्व का अधिकार मिले। अस्पृश्यों की परेशानी केवल कानूनों के कारण ही नहीं, वरन शासन में अस्पृश्यों के विरूद्ध प्राचीन काल से चले आ रहे पूर्वाग्रह के कारण भी है। जब तक सार्वजनिक सेवाओं में हिन्दुओं का प्रभुत्व रहेगा तब तक अस्पृश्य लोग पुलिस से कभी सुरक्षा की आशा नहीं कर सकते, न्यायपालिका से भी न्याय की आशा नहीं कर कसते और वे प्रशासन से भी कुछ नहीं पा सकते। सार्वजनिक सेवाओं में क्रूरता से अस्पृश्यों को तभी मुक्ति मिल सकती है, जब कार्यकारी पदों पर अस्पृश्यों की नियुक्ति की जाए। गोलमेज सम्मेलन में मैंने इसी बात पर बल दिया था कि मंत्रिमंडल में उन्हें प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया जाए, ठीक उसी प्रभावी ढंग से जैसा कि व्यवस्थापिकाओं में उनके प्रतिनिधित्व के अधिकार दिए जाएंगे। गोलमेज सम्मेलन ने इस दावे की वैधता को मान लिया था और उन्हें लागू करने के तरीके भी खोज लिए थे। उस प्रस्ताव को प्रभावी ढंग से लागू करने के दो तरीके थे। प्रथम यह था कि भारत सरकार के अधिनियम में कानूनसम्मत ऐसा उपबंध किया जाए कि उस कानूनी दायरे से बचना असंभव हो। दूसरा तरीका यह था कि ाकनूनसम्मत प्रावधान न होकर इंसानियत और भलमनसाहत से मामला आम सहमति पर छोड़ दिया जाए, जैसा कि प्रथा के अनुसार इंग्लैंड के संविधान में प्रावधान है। मैंने तथा अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों ने कुछ प्रमुख भारतीयों की इच्छानुसार देशवासियों से दूसरे तरीके पर कोई जोर नहीं दिया और इसलिए मध्यम मार्ग पर सहमति हो गई। गर्वनरों के लिए जो निर्देश जारी होने थे और उनमें एक यह धारा जोड़ी जाने वाली थी कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मंत्रिमंडल का गठन करते समय उसमें अल्पसंश्कों का प्रतिनिधित्व अवश्य हो। नियम इस प्रकार था-

मैं आरंभ से ही गोलमेज सम्मेलन में बहस के दौरान इस बात पर बल देता रहा हूँ कि अस्पृश्यों को केवल व्यवस्थापिकाओं में ही अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार न मिले, अपितु उन्हें मंत्रिमंडल में भी प्रतिनिधित्व का अधिकार मिले। अस्पृश्यों की परेशानी केवल कानूनों के कारण ही नहीं, वरन शासन में अस्पृश्यों के विरूद्ध प्राचीन काल से चले आ रहे पूर्वाग्रह के कारण भी है। जब तक सार्वजनिक सेवाओं में हिन्दुओं का प्रभुत्व रहेगा तब तक अस्पृश्य लोग पुलिस से कभी सुरक्षा की आशा नहीं कर सकते, न्यायपालिका से भी न्याय की आशा नहीं कर कसते और वे प्रशासन से भी कुछ नहीं पा सकते।

"मंत्रिमंडल का गठन करते समय गर्वनर निम्नलिखित तरीके से मंत्रिमंडल गठित करने का भरसक प्रयत्न करेगा - वह ऐसे व्यक्ति के परामर्श से जिसे विधानमंडल में स्थिर बहुमत प्राप्त हो, उन व्यक्तियों को नियुक्त करेगा (जिनमें जहां तक व्यवहार्य हो, महत्वपूर्ण समुदायों के अल्संख्यक सदस्य भी सम्मिलित होंगे) जिन्हें विधान-मंडल का सामूहिक विश्वास प्राप्त होगा। ऐसा करते हुए वह इस प्रकार मंत्रिमंडल का गठन करेगा कि उनमें मंत्रियों में सामूहिक दायित्व वहन करने की भावना हो।"

इस व्यवस्था का क्या हुआ इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। कांग्रेस ने घोषणा की कि वे विभिन्न कारणों से जिनका उल्लेख आवश्यक नहीं, भारत सरकार के अधिनियम 1935 को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यह सभी को स्पष्ट था और बहुत से कांग्रेसी भी जानते थे कि इस घोषणा के पीछे कोई गंभीरता नही है। इसका उद्देश्य जनता की निगाहों में कांग्रेस की यह छवि बनाने को छोड़कर और कुछ नहीं था कि कांग्रेस ही एक क्रांतिकारी दल है, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने की क्षमता रखता है। यही वह कथा थी, जिसकी कांग्रेस सदा रट लगाती थी। यह उनकी केवल एक चाल ाीि। कांग्रेस वही अधिकार प्राप्त करना चाहती थी, जो गवर्नर को संविधान को अस्वीकार

करने की घोषणा नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि संविधान ही वह साधन है, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार नई संसदीय व्यवस्था चलाएगी और उसे कांग्रेस का सहयोग लेना होगा। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को दरकिनार करने की धमकी दी थी। ब्रिटिश सरकार ने न केवल 1 अप्रैल 1937 को संविधान के प्रांतीय अंश का शुभारंभ किया, बल्कि वास्तव में गैर-कांग्रेसी अंतरिम मंत्रिमंडल भी बना डाला। कांग्रेसी सिहर उठे, क्योंकि वे सत्ता के भूखे थे और इन्होंने सौतिया डाह वाले राजनीतिज्ञों का जमघट बना रखा था। उन्हें अनुभव हुआ कि वे परिश्रम का फल चखने से वंचित किए जा रहे हैं। ब्रिटिश सरकार तथा कांग्रेस हाई कमान के बीच समझौतों का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस हाई कमान ने मांग की कि यदि ब्रिटिश सरकार यह वचन दे कि मुख्य दायित्व संबंधी धाराओं के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का प्रांतीय शासन में गवर्नर रोजाना हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो कांग्रेस ने जो इस बात के लिए बहुत समय से आस लगाए बैठी थी कि नया संविधान लागू हो, वचन देने की शर्त मान ली। उस समर्थन का आशय आश्चर्यजनक है कि कांग्रेस हाई कमान ने उस वचनबद्धता को ऐसा विस्तृत रूप दिया कि प्रांतीय गवर्नरों को प्रांतीय मंत्रिमंडलों में प्रतिनिधित्व देने के जो निर्देश दिए गए थे और इसके लिए जो अधिकार उन्हें मिले थे, गवर्नर उनका उपयोग न कर सकें। गवर्नर जिन्होंने कांग्रेस को पूरा स्थान दिया और अपने अधिकारों का समर्पण कर दिया एवं कांग्रेस के संविधान द्वारा प्रदत्त व्यवस्थाके अंतर्गत उन्हें सत्तासीन कर दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस ने दिमागी कलाबाजी करके अविलंब अस्पृश्यों औश्र अन्य अल्संख्यकों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने के स्थान पर अंगूठा दिखा दिया।

अस्पृश्यों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व से वंचित करने की योजना कांग्रेस के दुर्भाय की द्योतक है। कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों को शामिल न करने का, जो तर्क दिया था कि एक दलीय मंत्रिमंडल होना चाहिए, क्योंकि उसे सामूहिक दायित्व निभाना होता है और कांग्रेस अल्पसंख्यक समुदायों को मंत्रिमंडल में तभी स्थान दे सकती है, जबकि वे कांग्रेस में मिल जाए और उसकी सदस्यता ग्रहण कर लें।

ब्रिटिश सरकार ने न केवल 1 अप्रैल 1937 को संविधान के प्रांतीय अंश का शुभारंभ किया, बल्कि वास्तव में गैर-कांग्रेसी अंतरिम मंत्रिमंडल भी बना डाला। कांग्रेसी सिहर उठे, क्योंकि वे सत्ता के भूखे थे और इन्होंने सौतिया डाह वाले राजनीतिज्ञों का जमघट बना रखा था। उन्हें अनुभव हुआ कि वे परिश्रम का फल चखने से वंचित किए जा रहे हैं। ब्रिटिश सरकार तथा कांग्रेस हाई कमान के बीच समझौतों का दौर शुरू हुआ।

दूसरे अल्पसंख्यकों के लिए ऐसे तर्कों में कितना भी वजन हो, परन्तु अस्पृश्यों के लिए ऐसे तर्कों का कोई मूल्य नहीं है। कांग्रेस अस्पृश्यों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने से अपने को नहीं बचा सकती थी। इसके दो कारण थे: पहला कारण यह है कि कांग्रेस पूना पैक्ट की शर्तों के अनुसार अस्पृश्यों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने के लिए बाध्य थी और दूसरी बात कांग्रेस यह नहीं कह सकती थी कि कांग्रेस की नीति पर चलने वाली व्यवस्थापिकाओं में अस्पृश्य कांग्रेस के टिकट पर जीत कर पहुंचे थे। तब कांग्रेस ने अस्पृश्यों को प्रांतीय मंत्रिमंडलों में क्यों नहीं लिया? इसका उत्तर केवल यही है कि वह कांग्रेस की नीति का एक भाग था कि अस्पृश्यों को मंत्रिमंडलों में प्रतिनिधित्व न दियाजाए और इस नीति को श्री गांधी का समर्थन प्राप्त था। जिन्हें इस कथन की सत्यता में कोई संदेह हो वे निम्नलिखित प्रमाण पर विचार करें-

प्रमाण के लिए सर्वविदित पहली घटना हमें वहां मिलती है, जब माननीय डॉ. खरे मध्य प्रांत में कांग्रेस के प्रधानमंत्री (प्राइम मिनिस्टर) थे और उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया। इसलिए अपने मंत्रिमंडल में आंतरिक झगड़ों और कठिनाइयां पैदा करने वालों के कारण डॉ. खरे ने उन मंत्रियों से छुटकारा पाने के लिए एक युक्तिसंगत तरीका यह अपनाया कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तथा अन्य मंत्रियों के भीत्यागपत्र प्राप्त कर नई सरकार बनाने केलिए गवर्नर को सिफारिश की। इसके बाद गवर्नर ने वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करते हुए डॉ. खरे को दूसरा मंत्रिमंडल गठित करने के लिए आमंत्रित किया। डॉ. खरे ने आमंत्रण स्वीकार किया औरकुछ पुराने विवादास्पद मंत्रियों को छाड़ते हुए कुछ नए मंत्री शामिल करके मंत्रिमंडल का पुन: गठन किया। डॉ. खरे का नया मंत्रिमंडल इस अर्थ में पुराने मंत्रिमंडल से भिन्न था कि उसमें एक अस्पृश्य मंत्री श्री अग्निभोज को शामिल किया गया था, जो कांग्रेस दल के थे और मध्य प्रांत की व्यवस्थापिका के सदस्य भी थे। इसके साथ-साथ वह मंत्री बनने योग्य पूर्ण शैक्षिक योग्यता प्राप्त सदस्य थे। 26 जुलाई 1938 को वर्धा में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई और प्रस्ताव पास किया गया कि डॉ. खरे ने पुराने मंत्रिमंडल के अपने सहयागियों सहित

त्यागपत्र देकर बहुत गंभीर गलती की और नया मंत्रिमंडल गठित कर उन्होंने अनुशासनहीनता की है। नए मंत्रिमंडल का गठन करने में उन्होंने क्या गलती की, इसके स्पष्टीकरण में डॉ. खरे ने खुले तौर पर कहा कि श्री गांधी के अनुसार एक अस्पृश्य को मंत्रिमंडल में शामिल करना अनुशासनहीनता थी। डॉ. खरे के अनुसारश्री गांधी ने कहा कि यह निर्णय गलत था, क्योंकि उन्होंने अस्पृश्यों की आकांक्षाओं और आशाओं को प्रोत्साहन दिया, जिसके लिए उन्हें क्षमा नहीं यिका जा सकता। यह बयान डॉ. खरे ने कई बार खुलकर राजनीतिक रूप से दिया, जिसका श्री गांधी ने कभी खंडन नहीं किया।

इस बात को सिद्ध करने के लिए और भी स्पष्ट सबूत प्राप्त है। 1942 में अस्पृष्यों की अखिल भारतीय सभा हुई थी। उस सभा में दलितों की कुछ राजनैतिक मांगों के प्रस्ताव पास हुए थे। कांग्रेस पार्टी के एक अस्पृश्य सदस्य ने सभा में भाग लिया था। वह श्री गांधी के पास यह जानने के लिए गया कि वह उन मांगों के बारे में क्या कहते हैं और उनसे निम्नलिखित पांच प्रश्न पूछे–

1. भावी संविधान में हरिजनों की क्या स्थिति होगी?
2. क्या आप सरकार और कांग्रेस को यह राय देंगे कि जनसंख्या के आधार पर पंचायत बोर्ड से राज्य तक पहुंचने के लिए पांच सीटें निश्चत की जाए?
3. क्यर आप कांग्रेस और विभिन्न बहुमत वाले दलों के नेताओं से प्रांतीय विधानमंडलों में अनुसूचित जाति के जिन विधायकों को अनुसूचित जातियों का विश्वासप्राप्त है, उन्हें मंत्रिमंडल में नामजद करने की सलाह देंगे?
4. हरिजनों के पिछड़ेपन के कारण क्या आप सरकार को सलाह देंगे कि नियमें में इस प्रकार का प्रावधान किया जाए कि स्थानीय निकायों और म्युनिसिपिल कांसिलों के कार्यकारी पदों पर ''बारी-बारी से सांप्रदायिक आधार पर हरिजनों को प्रधान और चेयरमैन बनने का अवसर दें?
5. जिला कांग्रेस कमेटी से कांग्रेस वर्किंग कमेटी तक हरिजनों को पहुंचने के लिए सीटों का कुछ प्रतिशत क्यों नहीं निश्चित किया जाता?''

गांधी जी ने 2 अगस्त 1942 के हरिजन पत्र के माध्यम से उनके प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया था–

''1. मेरी सहमति से बन संविधान में इस बात का प्रावधान किया जाएगा कि किसी भी रूप में अस्पृश्यता बरतना अपराध माना जाए और आबादी के अनुपात से अस्पृश्यों के लिए सभी निर्वाचित संस्थाओं में सीटें आरक्षित होंगी।

2. उपरोक्त ही देखें।

3. मैं नही कह सकता। यह सिद्धांत खतरनाक है। उपेक्षित वर्गों का संरक्षण उस सीमा तक ले जाना ठीक नहीं जहां से उनका और देश का नुकसान होता हो। एक मंत्री के रूप में किसी व्यक्ति का चुनाव उसकी उच्च योग्यता और उसकी सर्वव्यापी लोकप्रियता पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति चुनाव जीत कर सीट प्राप्त करता है, वह उसकी स्वाभाविक योग्यता और लोकप्रियता पर निर्भर करता है।

4. पहली बात तो यह है कि मौजूदा संविधान को मैं पसंद ही नहीं करता क्योंकि वह बेजान है। परन्तु मैं उसी आधार पर जिसका उल्लेख ऊपर किया गया हैं, आपके प्रस्ताव का विरोध करता हुं।

5. पहले बताए कारणें से मैं इस सुझाव के भी विरुद्ध हूं। परंतु मैं निर्वाचन कांग्रेस संस्थाओं को विवश करुंगा कि वे कांग्रेस रजिस्टर में हरिजन

उन बोर्डों में अभ्यर्थियों के चुनाव के लिए जो सिद्धांत अपनाए गए थे, मैं उनका उल्लेख कर रहा हूं। बोर्डों में कांग्रेस सांप्रदायिकता की मुख्य भूमिका निभा रही थी। जिस निर्वाचनक्षेत्र में दो अभ्यर्थियों का चुनाव होना था, वहां योग्यता ताक पर रख दी गई। क्या कांग्रेस ने सुयोग्य को चुना? उन्होंने एक सूत्र था। एक गरीब और योग्य प्रत्याशी की अपेक्षा अधिक धनी अभ्यर्थी को था कि उम्मीदवार सरलता से सीट निकाल ले। परंतु अन्य ऐसे भी ध्येय था कि जिससे कांग्रेस की गहरी चाल स्पष्ट हो जाती है। विभिन्न वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की योग्यताएं निर्धारित की गई थीं। सवर्ण हिंदुओं, जैसे ब्राह्ममणें और उनसे मिलती जुलती उच्च जातियों के काफी सुयोग्य प्रत्याशियों को ही चुना जाता था। वे गैर-ब्राह्ममण जिनकी इस मामले में अच्छी योग्यता वालों की अपेक्षा कम योग्यता वालों को वरीयता दी जाती थी। अस्पृश्यों के मामले में अर्धशिक्षित या अंगूठा-टेक लिए जाते थे।

> सदस्यों की संख्या के अनुपात में हरिजनों को अवश्य निर्वाचित करें। अगर हरिजन चार आने की सदस्यता शुल्क देकर कांग्रेस के सदस्य नहीं होना चाहते तो उनका नाम निर्वाचित संस्थाओं में कैसे हो सकते हैं? परंतु मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोर देकर कहूंगा कि वे हरिजनों के पास जाएं और उन्हें कांग्रेस सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित करें।''

अब क्या इसमें और भी कोई संदेह रह गया है कि श्री गांधी और कांग्रेस यह गांठ कर बैठे हुए थे कि मंत्रिमंडल में अस्पृश्यों के प्रतिनिधित्व के अधि कार को मान्यता न मिल जाए। जहां तक योग्यता का प्रश्न है, यदि श्री गांधी समस्त अल्पसंख्यकों पर कुछ शर्तें लागू कर देते, तब भी उनकी कोई तुक होती। क्यर श्री गांधी मुसलमानों की मांग पर यही कहने का साहस कर सकते थे? केवल अस्पृश्यों के लिए ही रास्ते बंद करने का क्या अर्थ था? किसी ने भी इस प्रकार का दावा नहीं किया है कि अयोग्य अस्पृश्य मंत्री बना दिए जाएं। इससे केवल श्री गांधी के मन में पड़ी गांइ ही परिलक्षित होती है।

कांग्रेस ने पूना पैक्ट को पलीता लगाने के लिए जितने पैंतरे अपनाए उनमें से दो मुख्य है। पहले तो कांग्रेस की उस नीति से संबंधित है जो कांग्रेस संसदीय बोर्ड ने चुनाव के लिए उम्मीदवार चुनने के बारे में अपनाई थी। दुर्भाग्यवश इस प्रश्न का उसकी महत्ता के अनुसार गहन अध्ययन नहीं किया गया। इस प्रश्न का विवेचन किया है और मैं उसके नतीजे प्रमाण सहित अलग से प्रकाशित करने की आशा करता हूं। उन बोर्डों में अभ्यर्थियों के चुनाव के लिए जो सिद्धांत अपनाए गए थे, मैं उनका उल्लेख कर रहा हूं। बोर्डों में कांग्रेस सांप्रदायिकता की मुख्य भूमिका निभा रही थी। जिस निर्वाचनक्षेत्र में दो अभ्यर्थियों का चुनाव होना था, वहां योग्यता ताक पर रख दी गई। क्या कांग्रेस ने सुयोग्य को चुना? उन्होंने एक सूत्र था। एक गरीब और योग्य प्रत्याशी की अपेक्षा अधिक धनी अभ्यर्थी को था कि उम्मीदवार सरलता से सीट निकाल ले। परंतु अन्य ऐसे भी ध्येय था कि जिससे कांग्रेस की गहरी चाल स्पष्ट हो जाती है। विभिन्न वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की योग्यताएं निर्धारित की गई थीं। सवर्ण हिंदुओं, जैसे ब्राह्मणें और उनसे मिलती जुलती उच्च जातियों के काफी सुयोग्य प्रत्याशियों को ही चुना जाता था। वे गैर-ब्राह्मण

विभिन्न वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की योग्यताएं निर्धारित की गई थीं। सवर्ण हिंदुओं, जैसे ब्राह्मणें और उनसे मिलती जुलती उच्च जातियों के काफी सुयोग्य प्रत्याशियों को ही चुना जाता था।

जिनकी इस मामले में अच्छी योग्यता वालों की अपेक्षा कम योग्यता वालों को वरीयता दी जाती थी। अस्पृश्यों के मामले में अर्धशिक्षित या अंगूठा-टेक लिए जाते थे। मैं यह नही कहता कि ऐसा सभी मामलों में सही है। परंतु सामान्य रूझान यही था कि कांग्रेस द्वारा जिन प्रत्यशियों का चुनाव होता था, उनमें से ब्राह्मणें तथा सवर्ण हिंदुओं के उम्मीदवार सुयोग्य होते थे जबकि अछूतों में से अशिक्षितों को चुन लिया जाता था। इस प्रकार की साजिश का उद्देश्य केवल यही था कि ब्राह्मणें और उनकी सहयोगी जातियों का ही प्रभूत्व मंत्रिमंडल में रहे और उन्हें गैर-ब्राह्मणें तथा अस्पृश्यों का पूरा समर्थन मिलता रहे और आज्ञाकारी अस्पृश्य तथा गैर-ब्राह्मण कभी भी उस मंत्रिमंडल में उनके विरोधी बनने का स्वप्न न देख सकें, वरन वे इसी से संतुष्ट रहें कि वे विधानमंडलों के सदस्य है और वे सदस्य बन कर आ गए हैं। श्री गांधी मामले के इस पहलू को उस समय नहीं देख सके जब उन्होंने कहा था कि उसी अस्पृश्य को मंत्री बनाया जाए जो सुयोग्य हो। अन्यथा वह समझते कि यदि कांग्रियों में योग्यता प्राप्त नहीं हैं, तो इसका कारण यह था कि कांग्रेस संसदीय बोर्ड अछूतों में से सुयोग्य अभ्यर्थियों को चुनाव ही नहीं। यदि युनाव की वर्तमान व्यवस्था कायम रहती है, तो कांग्रेस भारतीयों को विधानमंडल का सदस्य होने से सदैव रोक सकती है, जो मंत्रिमंडल में पहुंचने की पहली सीढ़ी है। यह बहुत दुखद बात है कि कांग्रेसियों द्वारा अस्पृश्य प्रत्याशियों का इस प्रकार चुनाव करने की योजना बनाना कि उन अस्पृश्यों को मंत्री पद से वंचित किया जाए, यह बहाना बना कर कि वे योग्यता प्राप्त नहीं है, उन पर बहुत बड़ा आघात करना है जो रहस्यमय ढ़ग से भीतर ही भीतर षड्यंत्र का अंग है।

कांग्रेस का दूसरा दोष यह था कि अस्पृश्य कांग्रेसियों को कड़े दलीय अनुशासन का डंडा दिखाया जाता था। वे कांग्रेस कार्यसमिति के नियंत्रण में रहते थे। वे ऐसा विधान नहीं ला सकते थे जिसे कांग्रेस पंसद न करती हो। वे बिना इजाजत कोई प्रस्ताव नही ला सकते थें वे विधानमंडल में यह विधेयक नहीं ला सकते थे, जिस पर उन्हें एतराज हो। वे अपनी पसंद से मतदान नहीं कर सकते थे और उचित बात भी नहीं बोल सकते थे। वे वहां पर खींच कर लाए जाने वाले बेजबान जानवरों के समान थे।

(क्रमशः शेष अगले अंक में)

एडवर्टोरियल

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

सत्यमेव जयते

बाबासाहेब बीसवीं शताब्दी के एक महान राष्ट्रीय नेता थे। वे बुद्धिजीवी, विद्वान तथा राजनीतिज्ञ थे। देश के निर्माण में उनका महान योगदान है। उन्होंने दलितों व शोषितों को अन्य लोगों के समान ही कानूनी अधिकार दिलाने के लिए अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया और समाज के दलित वर्ग के लाखों लोगों को उनके मानवाधिकार दिलाए। उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में एक अमिट छाप छोड़ी। वे सामाजिक न्याय के संघर्ष के प्रतीक हैं।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान की स्थापना प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर शताब्दी समारोह समिति द्वारा की गई सिफारिशों को अमल में लाने के लिए की गई थी।

प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य देश-विदेश में लोगों के बीच बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाना तथा उसके प्रचार के लिए कार्यक्रमों तथा गतिविधियों को लागू करना है। प्रतिष्ठान को भारतरत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के शताब्दी समारोह के दौरान् चिह्नित किए गए कार्यक्रमों तथा योजनाओं का प्रबंधन, प्रशासन तथा उन्हें आगे बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया है।

योजनाएं/कार्यक्रम/परियोजनाएं :-

- **डॉ. अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस/जन्म दिवस के अनुपालन/ समारोह :**

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस 14 अप्रैल को और महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसम्बर को संसद भवन के उद्यान में समारोहपूर्वक मनाया जाता है। इस गरिमापूर्ण दिवस पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति राष्ट्र की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। साधारणतया समारोह में महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष एवं अन्य उच्च पदाधिकारीगण उपस्थित रहते हैं। इसके अतिरिक्त भारी संख्या में साधारण जन भी बाबासाहेब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं।

- **विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में डॉ. अम्बेडकर पीठ :**

इस योजना की शुरुआत 1993 में की गई थी। इसका उद्देश्य विद्वानों, विद्यार्थियों तथा अकादमियों को सभी प्रकार से सुसज्जित अध्ययन केन्द्र उपलब्ध कराना है, जिससे वे डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के विचारों एवं आदर्शों को समझने, उनका मूल्यांकन करने तथा उनका प्रचार-प्रसार करने के लिए आवश्यक उच्च अध्ययन एवं शोध कार्य कर सकें। अब तक कुल दस अम्बेडकर पीठ विभिन्न महत्त्व वाले क्षेत्रों जैसे विधिक अध्ययन, शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, सामाजिक नीति एवं सामाजिक कार्य, समाज कार्य, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव-विज्ञान, दलित आन्दोलन एवं इतिहास, अम्बेडकरवाद एवं सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक न्याय में स्थापित किए जा चुके हैं।

- **डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना**

यह योजना मूलरूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे गरीब मरीजों को वित्तीय सहायता

प्रदान करती है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय रु. 1,00,000/- से कम हो और उसे गम्भीर बीमारियों जैसे किडनी, दिल, यकृत, कैंसर, घुटना और रीढ़ की सर्जरी सहित कोई अन्य खतरनाक बीमारी हो, जिसमें सर्जिकल ऑपरेशन की जरूरत हो।

संशोधित योजना-2014 के अनुसार, आवेदन पत्र को जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की सत्यापित प्रतियों और संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित अनुमानित लागत प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ जमा करना पड़ता है। आवेदन पत्र का अनुमोदन और अग्रसारण डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान की आमसभा के सदस्यों या स्थानीय वर्तमान सांसद (लोकसभा या राज्यसभा) या संबंधित जिला के जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, आयुक्त द्वारा या संबंधित राज्य/संघ क्षेत्र के स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग के सचिव द्वारा किया जाता है। इलाज के लिए अनुमानित लागत का 100 प्रतिशत सर्जरी से पहले ही सीधे संबंधित अस्पतालों को एक किस्त में जारी कर दिया जाता है। विभिन्न बीमारियों के लिए अधिकतम राशि को निश्चित कर दिया गया है जैसे हृदय शल्य चिकित्सा के लिए रुपये 1.25 लाख, किडनी सर्जरी/डाइलिसिस के लिए रुपये 3.50 लाख, कैंसर सर्जरी/कीमोथिरेपी/रेडियोथिरेपी के लिए रुपये 1.75 लाख, मस्तिष्क सर्जरी के लिए रुपये 1.50 लाख, किडनी/अंग प्रत्यारोपण के लिए रुपये 3.50 लाख, रीढ़ की सर्जरी हेतु रुपये 1.00 लाख और अन्य जीवन घातक बीमारियों के लिए रुपये 1.00 लाख। अस्पताल को यह भुगतान चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है।

- **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक (दसवीं कक्षा) परीक्षा हेतु डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना**

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित योग्य विद्यार्थियों को एकमुश्त नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। देश में प्रत्येक बोर्ड के लिए चार पुरस्कार निर्धारित हैं। तीन सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः 60,000/-, रु. 50,000/- और रु. 40,000/- प्रदान किए जाते हैं। यदि इन तीन विद्यार्थियों में से कोई लड़की नहीं होती है, तो इसके अतिरिक्त सर्वाधिक अंक पाने वाली लड़की को रु. 40,000/- का विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाता है। योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, प्रत्येक के लिए, 10,000/- एकमुश्त राशि की 250 विशेष योग्यता पुरस्कारों की परिकल्पना भी की गई है, जो उन छात्रों को प्रदान किए जाते हैं जो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के बाद सर्वाधिक अंक प्राप्त करते हैं।

- **उच्च माध्यमिक परीक्षाओं (12वीं कक्षा) में अनुसूचित जाति से संबद्ध योग्य विद्यार्थियों के लिए डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना :**

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान ने 2007-08 के दौरान् कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों की पहचान करने, उन्हें बढ़ावा देने और उनकी सहायता करने के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को योग्यता पुरस्कार प्रदान करने की योजना तैयार की। पुरस्कार में, किसी भी शैक्षणिक बोर्ड/परिषद द्वारा आयोजित 12वीं स्तर की परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के रूप में तीन सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः चार वर्गों अर्थात् कला, विज्ञान (गणित के साथ), विज्ञान (जीव विज्ञान और या गणित के साथ) तथा वाणिज्य में रु. 60,000/-, रु. 50,000/- तथा रु. 40,000/- के प्रदान किए जाते हैं। योग्यता श्रेणी के प्रथम तीन स्थानों के बाद प्रत्येक वर्ग में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली अगली तीन लड़कियों को प्रत्येक को रु. 20,000/- की दर से विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस तरह प्रत्येक बोर्ड के लिए कुल 12 पुरस्कार होते हैं।

- **अनुसूचित जाति के अत्याचार-पीड़ितों हेतु डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय राहत योजना**

इस योजना की प्रकृति आकस्मिक व्यवस्था के तौर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

(अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के तहत अपेक्षाकृत जघन्य अपराधों के पीड़ितों को तात्कालिक मौद्रिक सहायता प्रदान करने की है। इस योजना के अन्तर्गत सहायता राशि सीधे पीड़ित या उसके पारिवारिक सदस्यों या आश्रितों को प्रतिष्ठान द्वारा तब प्रदान की जाती है, जबकि उपर्युक्त अधिनियम के तहत अपराध की प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है और संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा इस संबंध में सूचित कर दिया जाता है। परिवार के कमाऊ सदस्य की हत्या/मृत्यु पर रु. 5.00 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाती है, गैर कमाऊ सदस्य की मृत्यु/हत्या पर सहायता राशि रु. 2.00 लाख, कमाऊ सदस्य के स्थायी विकलांगता पर सहायता राशि रु. 3.00 लाख, गैर कमाऊ सदस्य के स्थायी विकलांगता पर सहायता राशि रु. 1.50 लाख तथा बलात्कार के लिए सहायता राशि रु. 2.00 लाख है तथा ऐसी आगजनी, जिससे कोई परिवार पूर्णत: बेघर हो जाए तो सहायता राशि रु. 3.00 लाख निर्धारित की गई है।

- **डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता योजना**

प्रतिष्ठान की इस वार्षिक निबंध प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के छात्रों को सामाजिक मुद्दों पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करना तथा मूलभूत सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर डॉ. अम्बेडकर के विचारों के प्रति उनकी रुचि को जगाना है। यह प्रतियोगिता मान्यता प्राप्त स्कूलों (माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक अर्थात् 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक)/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के विद्यार्थियों हेतु है। विद्यालयों से प्राप्त हिन्दी और अंग्रेजी में सबसे अच्छे तीन निबंधों के लिए पुरस्कार की राशि रु. 10,000 से रु. 25,000 तक है और महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए यह राशि रु. 25,000 से रु. 1,00,000 तक है।

- **महान संतों के जन्म दिवस/पुण्य तिथि समारोह हेतु डॉ. अम्बेडकर योजना**

इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/ गैर सरकारी संगठनों को, महान संतों जैसे- संत कबीर, गुरु रविदास, गुरु घासीदास, चोखामेला, नंदनार, नारायणा गुरु, नामदेव, भगवान बुद्ध, महर्षि बाल्मीकि, महात्मा फूले, सावित्री बाई फूले आदि का जन्म दिवस समारोह मनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए अधिकतम अनुदान राशि रुपये 5.00 लाख तथा गैर सरकारी संगठनों के लिए रुपये 2.00 लाख की राशि निर्धारित की गई है। इस वर्ष से इस योजना के अंतर्गत डॉ. अम्बेडकर की जयंती/महापरिनिर्वाण के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को भी सम्मिलित कर लिया गया है।

- **सामाजिक परिवर्तन हेतु डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार**

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा भारत और मानवीय परिवार के प्रति की गई वृहद् विलक्षण सेवाओं के पुण्य स्मरण में इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। यह पुरस्कार असमानता, अन्याय और शोषण के कारणों के विरुद्ध सख्ती से मामले उठाने और सुलझाने के उदाहरणीय योगदान तथा सामाजिक समूहों के बीच सामंजस्य, सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक सौहार्द और मानवीय गरिमा के आदर्शों की स्थापना के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति(यों) या समूह(ों) को प्रदान किया जाता है।

प्रति वर्ष एक पुरस्कार, जिसमें रु. 15.00 लाख की राशि और प्रशस्ति पत्र दिये जाने का प्रावधान है।

- **कमजोर वर्गों के उत्थान तथा सामाजिक समझ हेतु डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार**

इस राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी और इस पुरस्कार हेतु चयन किसी प्रकाशित पुस्तक या फिर जन आंदोलन के आधार पर होता है, जिसने समाज के कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला हो। प्रति वर्ष एक पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान है, जिसमें रु. 10.00 लाख की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

- **अंतर्जातीय विवाहों के द्वारा सामाजिक एकता हेतु डॉ. अम्बेडकर योजना**

इस योजना का उद्देश्य, अंतर्जातीय विवाह जैसे सामाजिक रूप से साहसिक कदम उठाने वाले, नए विवाहित दम्पति को उनके वैवाहिक जीवन के शुरुआती दौर को सही ढंग से चलाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। विधिसम्मत अंतर्जातीय विवाह के प्रोत्साहन हेतु राशि रु. 2.50 लाख प्रति विवाह है। योग्य दम्पति को प्रोत्साहन राशि का 50 प्रतिशत उनके संयुक्त नाम के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि उनके संयुक्त नाम में पांच वर्ष की अवरुद्धता अवधि के साथ सावधि जमा में रखा जाता है।

- **सामाजिक न्याय संदेश**

डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन द्वारा प्रकाशित सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सरोकारों की पत्रिका 'सामाजिक न्याय संदेश' का प्रकाशन दिसम्बर 2002 से हो रहा है। समता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व एवं न्याय पर आधारित, सशक्त एवं समृद्ध समाज और राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के 'संदेश' को आम नागरिकों तक पहुंचाने में 'सामाजिक न्याय संदेश' की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 'सामाजिक न्याय संदेश' देश के नागरिकों में मानवीय संवेदनशीलता, न्यायप्रियता तथा दूसरों के अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना जगाने के लिए समर्पित है।

'सामाजिक न्याय संदेश' बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के विचारों व उनके दर्शन तथा फाउन्डेशन के कार्यक्रमों एवं योजनाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने का काम बखूबी कर रहा है। इसकी एक प्रति का मूल्य रु. 10/- है। एक वर्ष के लिए चंदे की दर रु. 100/-, दो वर्ष के लिए रु. 180/- और तीन वर्ष के लिए रु. 250/- है। सामाजिक न्याय संदेश प्रतिष्ठान की वेबसाइट www.ambedkarfoundation.nic.in पर भी उपलब्ध है।

- **डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र**

''डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र'' राष्ट्रीय महत्त्व के एक विश्व स्तरीय बहुआयामी अध्ययन के प्रति समर्पित होगा। यह केन्द्र जनपथ और डॉ. आर.पी. रोड के प्रतिच्छेदन पर एक महत्त्वपूर्ण अवस्थिति पर 3.25 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला होगा, जो लुटियन दिल्ली की महत्त्वपूर्ण इमारतों से घिरा होगा। केन्द्र की मुख्य सुविधाओं में शोध एवं प्रसार केन्द्र, मीडिया सह इंटरप्रेटेशन केन्द्र, पुस्तकालय, प्रेक्षागृह, सम्मेलन केन्द्र और प्रशासनिक स्कंध शामिल होंगे।

- **डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक**

डॉ. अम्बेडकर ने 6 दिसंबर, 1956 को अपने निवास 26, अलीपुर रोड, दिल्ली में अंतिम सांसें ली थीं। इस स्थल को महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में पवित्र माना जाता है और तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया था। 2 दिसंबर, 2002 को डॉ. अम्बेडकर के जीवन और लक्ष्यों पर फोटो गैलरी की स्थापना कर सरकार ने इसी जगह एक अच्छी तरह अभिकल्पित और पूर्ण रूप से विकसित डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की।

- **बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के संकलित कार्य (सी.डब्ल्यू.बी.ए.) परियोजना**

महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित बाबासाहेब अम्बेडकर के संकलित कार्यों के अनुवाद और प्रकाशन का कार्य डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा हिन्दी एवं 8 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं-मलयालम, तमिल, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, उर्दू एवं गुजराती में करवाया जा रहा है। हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले 360 खंडों (प्रत्येक भाषा के 40 खंड) में से 197 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। शेष के 163 खंड अभी मुद्रण और अनुवाद की प्रक्रिया में हैं।

प्रतिष्ठान ने बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के संकलित कार्यों के खंडों को अंग्रेजी में भी पुनः प्रकाशित किया है तथा अंग्रेजी के 10 खण्डों का प्रकाशन ब्रेल लिपि में किया है। शेष खंड ब्रेल लिप्यंतरण की प्रक्रिया में हैं।■

शोध पत्र

डॉ. अम्बेडकर की विचारधारा और स्त्री साहित्य

■ डॉ. रजत रानी मीनू

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की विचाराधारा का मूल आधार समता, स्वतंत्रता, और बंधुत्व का भाव रहा है। वे समाज में फैली जाति-वर्ण और आर्थिक आधार पर गैर-बराबरी व्यवस्था को मूल रूप से मिटा देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की। वे हर क्षेत्र में समता, स्वतंत्रता की बात करते थे। इसीलिए बाबासाहेब के प्रारंम्भिक तीन मूल मंत्र रहे हैं-शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। बाबासाहेब के ये तीनों मंत्र शब्द मात्र नहीं हैं। ये दलितों और स्त्रियों को सशक्त बनाने के हथियार हैं। सवर्ण समाज की स्त्री समुदाय ने तो बाबासाहेब का नाम लिए बगैर उनके ये तीनों सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप से अपना लिया है। वह शिक्षित भी हो गई हैं, संगठित भी हो गई हैं और अपने वर्ग हित के अधिकारों के लिए संघर्षरत भी हैं। चांद पर पहुंची हैं तो वह ही और जमीन वाली अभी जमीन पर घिसड़ रही हैं। मूलभूत जरूरतों जैसे पानी ढोने में ही उसकी शक्ति और समय जाया हो रहा है। आज पानी का संकट सवर्ण समाज पर है तो इन दलित स्त्रियों को पानी ढोते हुए भी मीडिया दिखा रहा है। मगर वे तो हमेशा से गांव और शहरों में भी पानी के लिए संघर्ष करती रहीं हैं।

सवर्ण स्त्री सशक्त हो गई है। पिछले साल की यूनेस्को की रिपोर्ट भी यही बताती है कि अमीर स्त्रियों ने पहले ही वैश्विक स्तर की शिक्षा हासिल कर

ली है और गरीब स्त्रियों को 2080 तक इंतजार करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि अमीर किस जाति की स्त्रियां बहुसंख्या में हैं और गरीब किस जाति की बहुसंख्या में हैं? समाज का व्यवहार हमें बताता है कि कामगर दलित समाज और उसके समाज की स्त्री अभी मंजिल से दूर हैं। अशिक्षित रह गई दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज की स्त्रियां ही हैं।

वर्णीय सामाजिक व्यवस्था की ओर यदि गौर करें तो उसमें दलित और स्त्री सबसे अधिक गैर-बराबरी के दंश झेलने को मजबूर थे। उन्हें मनुष्य ही नहीं समझा जाता था। इन दोनों समुदायों के लिए बाबासाहेब ने बुनियादी कार्य किए हैं। यहां मैं दलित स्त्री की दृष्टि से विचार करती हूं तो इतिहास गवाह है कि 21 फरवरी 1928 को 'बंबई राज्य असेंबली' में बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था और कर्मचारी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश के बारे में जो बिल पेश किया था उसका उन्होंने जोरदार समर्थन करते हुए कहा था- "देश की इन माताओं को मातृत्व काल की निश्चित अवधि में विश्राम मिलना ही चाहिए।...... शासन अथवा मालिकों को इन महिलाओं का खर्च उठाना चाहिए।" इतना ही नहीं डॉ. अम्बेडकर ने 20 जुलाई 1942 को उन्हें वायसराय की काउंसिल में श्रम सदस्य के रूप में शामिल किया था तब उन्होंने कारखानों और खादानों में काम करने वाली महिलाओं के काम के घंटे स्त्री और पुरूष श्रमिकों के लिए समान वेतन देने का प्रावधान किया था। साथ ही इन श्रमिक कामकाजी महिलाओं के छोटे बच्चों के लिए नजदीक ही पालना घर, आज की भाषा में क्रेच बनाए गए थे।

आज देश में स्थिति यह है पालना घर यानी क्रेच तो हैं लेकिन श्रमिक मजदूर काम करने वाली स्त्रियों के बच्चों के लिए नहीं। कहीं-कहीं तो उनके काम के घंटे और वेतन पुरुष की अपेक्षा समान नहीं हैं। मैं ऐसी कई स्त्रियों को निजी तौर पर जानती हूं जो अपनी जाति छिपा कर दूसरों के घरों में झाड़ू-पोछा करती हैं, दूसरों के घरों में जाति छिपा कर खाना बनाने का काम करती हैं। यहां तक कि इन स्त्रियों के छोटे-छोटे बच्चे अपनी ही उम्र के बच्चों के स्कूल बैग संभालते हैं और लंच बाक्स तैयार करते हैं। यहां

में दलित और अश्वेत साहित्य के माध्यम से सामजिक स्थितियों पर विचार करूंगी। चर्चित कवि कालीचरण स्नेही जी की पंक्तियों का उदाहरण देना चाहूंगी।

'मेरी मां चली जाती है/सुबह-सुबह बर्तन मांजने/शहर की आफीसर कॉलोनी में/खटती रहती है घंटों तक/साहबजादों के किचन में/झाडू-पोछा लगाने में/लगा देती है अपनी सारी ऊर्जा/यह वही वक्त है/ जब मुझे खुद ही होना पड़ता है/स्कूल के लिए तैयार/खुद ही नहलाना धुलाना पड़ता है/मुझे अपने छोटे भाई-बहनों को/......... जिस वक्त मेरी मां/किचन में जूठे बर्तनों से खट रही होती है/उसी वक्त/घर की मालकिन /अपने बच्चों को नहला-धुला कर/होमवर्क कराने में जुटी होती है/मेरा मुकाबला/उन्हीं साहबजादों के पाउडर पुते लक-दक/सुकोमल बच्चों से होता है/.... उन्हें दो-दो माताओं ने तैयार किया है।" यहां कवि स्नेही जी की कविता की उक्त पंक्तियों से लगता है हमारा देश एक नहीं दो पाटों में बंटा हुआ है। एक में दलित रहते हैं जो शोषित हैं दूसरे में गैरदलित जो शासक की स्थिति में है। बाबासाहेब का वह कथन याद आ रहा है। वह कहते थे किसी समाज की प्रगति को मापना हो तो उस समाज की स्त्रियों के विकास को देखना होगा उनका कितना विकास हुआ है उससे अन्दाजा लगाया जा सकता है। समाज का विकास कितना और कैसा हुआ है? दलित समाज की स्त्रियों की स्थिति प्रत्येक क्षेत्र में अभी चिंतनीय है। इसलिए दलित समाज का विकास भी बाबासाहेब के सिद्धान्त के अनुसार अभी बहुत पीछे है।

आजादी से पूर्व देश की सभी स्त्रियों की स्थिति चिंतनीय थी। इसीलिए बाबासाहेब 'हिन्दू कोड बिल' द्वारा स्त्रियों को सशक्त बनाना चाहते थे। उन्हें अधिकार सम्पन्न बनाना चाहते थे मगर हिन्दू समाज के संतो-महंतों और नेताओं ने उस बिल को पास नहीं होने दिया था। विरोधियों के सामने उन्हें परास्त होना पड़ा था। मजबूरी में निराश होकर डॉ. अम्बेडकर ने 10 अक्टूबर 1951 को कानून मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था। उनका यह निर्णय स्त्रियों के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। वे सही मायने में सभी वर्ण की स्त्रियों के शुभचिंतक थे। दरअसल वे हर दबे-कुचले समुदाय की

एक में दलित रहते हैं जो शोषित हैं दूसरे में गैरदलित जो शासक की स्थिति में है। बाबासाहेब का वह कथन याद आ रहा है। वह कहते थे किसी समाज की प्रगति को मापना हो तो उस समाज की स्त्रियों के विकास को देखना होगा उनका कितना विकास हुआ है उससे अन्दाजा लगाया जा सकता है। समाज का विकास कितना और कैसा हुआ है? दलित समाज की स्त्रियों की स्थिति प्रत्येक क्षेत्र में अभी चिंतनीय है।

चिंता करते थे। हिन्दू कोड बिल टुकड़ों में पास हुआ। जिसका सबसे ज्यादा लाभ सवर्ण स्त्रियों को मिला है, मगर वे डॉ. अम्बेडकर के बजाय में सीमोन बोउवार, वर्जीनिया वुल्फ और जॉन स्टुअर्ट मिल आदि को याद करना ज्यादा पसन्द करती हैं। उन्हीं को मुक्ति प्रवर्त्तक मानती हैं जबकि उनकी मुक्ति संविधान में छिपी है। उनका विकास संविधान में दिए गए प्रावधानों के तहत हुआ है। दलित स्त्री अभी भी दूसरों का मुंह ताक रही है। वह मीडिया, सिनेमा, बिजनेस, स्कूल, कॉलेज के प्रिसिंपिल, वाइसचांसलर इत्यादि क्षेत्रों में अपना अक्स देखने की कोशिश करती है। मगर उसे निराशा ही हाथ लगती है क्योंकि अभी दो चार दलित स्त्रियां पढ़-लिख गई हैं। वह पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रही हैं। उनके समाज का बहुत बड़ा तबका अभी भी अशिक्षा, बेरोजगारी, मजदूरी, अधिकार हीनता के दंश झेलने को मजबूर हैं।

सवर्ण स्त्रियों का इतना विकास हो गया है कि 'वे अब रोजगार देने वाली बन गईं हैं। वह गाड़ी साफ करने वाला भईया रख सकतीं हैं, मेड रख सकतीं है।' यह कथन है, हिन्दी की चर्चित एक कथा लेखिका का है। वे सच कहतीं हैं। मगर सवाल यह है कि कितनी दलित स्त्रियां इस स्थिति में पहुंची है? ऐसे कथन सुनकर मेरा ध्यान उन गाड़ी साफ करने वालों, दूसरों के घरों में मेड का काम करने वाली, बोझा ढोने, पत्थर तोड़ने, सड़क बनाने, सब्जी बेचने, प्रेस इत्यादि का काम करने वाली स्त्रियों की तरफ जाता है। उनके भी तो सपने होते हैं। वे भी अपने बच्चों को पढ़ा सके। घर बना सकें और फिर यह सब काम करने वाले लोग किस जाति के हैं? यह भी सर्वे का विषय है। रोजगार की तलाश में गांव से नगरों, महानगरों की ओर पलायन कौन कर रहा है? गांव के गांव खाली हो गए हैं। महानगरों ने उन्हें रोटी दी है। बाहरी जातीय शोषण प्रत्क्षयता उतना नहीं है जितना गांव में जमींदार करता था। शिक्षा उन तक नहीं पहुंच पा रही है। कथित रूप से इस उत्तर आधुनिक युग में भी दलित स्त्रियां अशिक्षा की मार झेल रही हैं।

हिन्दी दलित साहित्य में अनेक कविताएं, कहानियां दलित स्त्रियां को

केन्द्र में रख कर लिखी गई हैं। स्वयं दलित स्त्रियों ने चाहे कौशल्या बैसंत्री का 'दोहरा अभिशाप' हो या फिर सुशीला टाकभौरे का 'शिकंजे का दर्द' दोनों में शिक्षा का संघर्ष जबरदस्त रूप में आया है। दलित लेखकों ने भी दलित स्त्री के शिक्षा का प्रश्न गंभीरता से उठाया था। श्यौराज सिंह बेचैन के अनेक गीत और कविताओं में दलित स्त्री की शिक्षा की समस्याएं आई हैं। 1983 में लिखी गई 'जिन्दगी' शीर्षक लोक मल्हार की कुछ चुनी हुई पंक्तियां का उदाहरण देना चाहूंगी –

'मैं न पढ़ी/न मेरे बालकों/शोषन करें हैं/मिल मालिकों/मेरी बहनों मोइ न मिली है/स्वराज गुलामों जैसी है जिन्दगी .....मेरी..../कड़वी दुखीली/बैरिन रात है/ रोटी रोजी की/उलझन खास है/मेरी बहना ललुआ/पड़ौ है बीमार नकद मांगे वैद्य जी.....मेरी.../........मायके रहूं या/ससुराल में/मैं तो जैसे/मछली जाल में।'

यहां कवि बेचैन की अभिव्यक्ति स्त्रियों की अनुभति को मात दे रही है। उनकी समस्याओं को बहुत ही विस्तार से रखने में वे कुशल कारीगर की तरह सफल हुए हैं। शिक्षा के बिना किसी का विकास संभव नहीं। दलित स्त्री अभी भी अशिक्षा का दंश झेलने को मजबूर है। वह प्रधान तो बन जाती है मगर शिक्षित नहीं होने में अनेक समस्याएं आ रही हैं। शिक्षा उसमें जादू सा असर कर रहा है। 'लड़की ने डरना छोड़ दिया' शीर्षक कविता की ये पंक्तियां देखें–

'अक्षर के जादू ने उस पर,/अक्षर बड़ा बेजोड़ किया/लड़की ने डरना छोड़ दिया/ हँस कर पाना सीख लिया/रोना पछताना छोड़ दिया/बाप का बोझ नहीं होगी वह।'

रजनी तिलक 'औरत-औरत में अन्तर है' शीर्षक कविता में कहती हैं–

'औरत औरत होने में/जुदा-जुदा

फर्क नहीं क्या?/एक भंगी तो दूसरी बामणी/एक डोम तो दूसरी ठकुरानी/दोनों सुबह से शाम खटती हैं/बेशक, एक दिन भर खेत में/दूसरी घर की चारदीवारी में/शाम को एक सोती है बिस्तर पर/तो दूसरी कांटों पर/........एक सताई जाती है स्त्री होने के कारण/दूसरी सताई जाती है स्त्री और दलित होने पर/एक तड़पती है सम्मान के लिए/दूसरी तिरस्कृत है भूख और अपमान से।' रजनी तिलक की कविता से स्त्री की सामाजिक स्थितियों का पता चलता है की सभी वर्णों और वर्गों की स्त्रियों की समस्याएं एक सी नहीं हैं तो उनके विमर्श भी एक से नहीं हो सकते। सुशीला टाकभौरे 'विद्रोहणी' कविता में लिखती हैं–

'मां बाप ने पैदा किया था/गूंगा!/ परिवेश ने लंगड़ा बना दिया!/चलती रही निश्चित परिपाटी पर/वैसाखियों के सहारे/ कितने पड़ाव आये!/......विद्रोहणी बन चीखती हूं/गूंजती है आवाज सब दिशाओं में-/मुझे अनन्त असीम दिगन्त चाहिए,/ छत का खुला आसमान नहीं/आसमान की खुली छत चाहिए!/मुझे अनन्त आसमान चाहिए।'

यहां कवयित्री ने अपने चारों ओर स्त्री और दलित विरोधी सामाजिक वातावरण का खुलासा इस कविता में किया है। अंतिम पंक्तियां प्रतीकात्मक हैं जो दलित स्त्री के मन को गहराई से छू जाती हैं और उसकी समस्याओं का भी इस कविता के जरिए कुछ हद तक खुलासा हुआ है। दरअसल खेतों, खलियानों और बोझा ढोती, धूप में पत्थर तोड़ती, सड़क बनाती स्त्री का पक्ष अभी पूरी तरह से दलित स्त्री की कलम से नहीं आ पा रहा है। स्त्रीत्व पक्ष अधिक आ रहा है। इसके साथ ही दलित कवि ज्यादा गहराई से उसकी मूल समस्याओं और सामाजिक, आर्थिक स्थितियों को नहीं रख पा रहे हैं। उदाहरण के लिए सुविख्यात कवि ओमप्रकाश वाल्मीकि की 'झांडूवाली' कविता की कुछ पंक्तियां देखें–

'सुबह पांच बजे/हाथ में थामे झाड़ू/घर से निकल पड़ती है।

'रामेसरी'/लोहे की हाथ-गाड़ी धकेलते हुए/खड़ंग-खडंग की कर्कश आवाज टकराती है–

शहर की उनींदीं दिवारों से/रामेसरी

के हाथ में थमी बांस की मोटी झाड़ू/सड़क के ऊबड़-खाबड़ सीने पर/......उड़ाती है धूल का गुब्बार/धूल जो सैकड़ों/वर्षों से /जम रही है पर्त-दर-पर्त/फेफड़ों में रामेसरी के,/रंग रही है श्वास नली को /चिमनी सा।" यहां आप देख सकते हैं कि रामेसरी जो अछूत स्त्री है कवि ने उसकी जीवन स्थितियों का यथार्थ चित्रण किया है। आज भी रामेसरी की तरह ऊबड-खाबड़ को साफ करती दलित स्त्रियां मिल जाएंगी। उनके स्वास्थ की किसे चिंता है? उनके फेफड़े, श्वास नली बाकई में चिमनी की तरह प्रदूषित हो रही है। यहां कवि ने रूपक बांधा है।

दलित स्त्री की सामाजिक स्थिति का यह एक रूप था। उसके अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। वह गांव में पुरुषों के साथ तो कभी अकेली घास छीलती है तो कभी अन्य श्रम से जुड़े काम करती है। कवि असंग घोष इसी तरह की एक श्रमिक स्त्री का चित्र खींचा है-

'भरी दोपहरी में/जब सूरज आसमान में/ठीक सिर के ऊपर/टंगा होता/फसल काटती मां/दोपहरी की छुट्टी में/उसी चटनी से/खाती ज्वार की एक रोटी/पानी पी फिर काम में लग जाती।' श्रमिक स्त्री का जीवन सिर्फ श्रम से जुड़ा हुआ है। जैसे वह श्रम की पर्याय बन गई है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सभी स्त्रियों का जीवन इसी तरह श्रम से जुड़ा हुआ है। श्रम तो स्त्रियां पुरुषों से अधिक करती ही हैं। मगर क्या शारीरिक श्रम का जिम्मा दलित स्त्री का ही है? दलित कवियों ने इस समस्या को गम्भीरता से उठाया है।

कवयित्री हेमलता महिश्वर 'हिम्मत' कविता में लिखती हैं- 'ओ पगली/लड़कियां हवा धूप, मिट्टी होती हैं/उनका कोई घर नहीं होता/इसलिए झिरी में समा जाती हैं/रोज रगड़कर निकालो चाहे/फिर आकर बस जाती हैं।'

दलित लेखकों की रचनाओं में समस्याएं आ रही हैं तो दलित स्त्री की रचनाओं में स्त्री मन बड़ी ही बरीकी से खुलता है।

अश्वेत कवयित्रियों की कविताओं को पढ़ते हैं तो दलित स्त्रियों के कविताओं से काफी हद तक समानता है। वे काले रंग के कारण सताई जाती हैं तो दलित स्त्री जाति के कारण। कुछ अश्वेत स्त्रियों की कविताओं की पंक्तियां देखें- लिन्डिवे माबुजा 'ग्यारह वर्षीया बांझ' शीर्षक कविता में लिखती हैं-

''क्योंकि तुम्हारा रंग तुम्हारा दुश्मन बना/मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं सोच पाती/शीत में झरे वृक्षों की शाखों सी

> **दलित स्त्री की सामाजिक स्थिति का यह एक रूप था। उसके अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। वह गांव में पुरुषों के साथ तो कभी अकेली घास छीलती है तो कभी अन्य श्रम से जुड़े काम करती है।**

धुंआती तुम्हारी टांगे/काली जांघे जिन पर अनेक बार अन्याय और यातना के घाव लगे हैं/तुम दर्द से चीखी हो, और दूसरी ओर दावतें उड़ती रही हैं।''

यहां अश्वेत स्त्री के प्रति श्वेत समाज के पुरुषों की ज्यादतियों उनकी संवेदनहीनता, शोषक प्रति उजागर हुई है।

फिलिप अल्तमन कविता 'कबीलाई रिवाज' की कुछ पंक्तियां देखें-

"संपूर्ण चेतना में दर्द को महसूसते हुए/योनि फाड़कर जब उसका गर्भाश्य क्षत-विक्षत कर दिया गया/ वह केवल चौदह वर्ष की थी/उसे नाजी सिपाहियों के इस्तेमाल के लिए/वैश्यालय में रख दिया गया।"

अश्वेत रचनाकारों की रचनाओं में अश्वेत स्त्री की वेदना और उत्पीड़न के बिंब ही नहीं है। वे गुलामी के विरूद्ध आजादी के लिए जागती हैं। संगठित होती हैं। जुमाईमाह मोताउन्ग "9 अगस्त महान दिन" शीर्षक कविता में लिखती हैं-

"हमारी मां ने, तुम्हारी मां ने, हम सब की मां ने/आह्वान सुन लिया था उन्होंने झंडे उठा लिये थे/वे साथ-साथ आ गईं थीं, वे आपस में बात कर रहीं थीं/ उनके मन में केवल एक बात थी-हमें शासन को बता देना है/हम भी मनुष्य हैं-रोबोट नहीं....."

दलित स्त्रियों की सामाजिक स्थिति और उनकी समस्याएं अश्वेत स्त्रियों जैसी ही हैं। वे संगठित हुई हैं। शोषण के विरूद्ध उन्होंने मोर्चा संभाला है। दलित स्त्रियों को अभी अपनी समस्याओं को पहचानना है। सभी क्षेत्रों में समानता, सम्मान और अस्मिता के लिए संघर्ष करना है। वे भी संगठित होने की कोशिश कर रही हैं। मगर छोटे-छोटे दुराग्रह और स्वार्थ कभी-कभी उनके रास्ते के रोड़े बन रहे हैं। बिखारने , तोड़ने वाले छदम -षडयंत्र भी उनके सामने नई नई चुनौतियां हैं। दलित लेखिकाओं को उनका सामना करना है और संगठन की ताकत को समझना है।

संदर्भ

1. कालीचरण स्नेही-आरक्षण अपना-अपना, पृ. 175-176
2. श्यौराज सिंह बेचैन-नई फसल, पृ.- 6
3. वही, पृ. 39
4. रजनी तिलक-दलित निर्वाचित कविताएं, सं. कंवल भारती, पृ.
5. सुशीला टाकभौरे- यह तुम भी जानो, पृ.-95
6. ओमप्रकाश वाल्मीकि-सदियों का संताप, पृ. 17
7. हेमलता महिश्वर-युद्धरत आम आदमी का विशेषांक हाशिये उलांघती स्त्री, 2011, पृ.-131

(लेखिका कवयित्री, महिला मुद्दों की सशक्त हस्ताक्षर एवं दिल्ली विश्वविद्यालय की कमला नेहरू कॉलेज के हिन्दी विभाग में विभागाध्यक्ष हैं।)

भारतीय समाज में मानवाधिकारों के प्रश्न और डॉ. अम्बेडकर

■ वंदना

वर्तमान समय मुद्दों, बहसों और आंदोलनों के बीच अपनी एक खास पहचान बना रहा है। समाज कई ऐसे समूहों में बंट गया है जो किसी भी कीमत पर खुद को सही सिद्ध करने के लिए दूसरे को धत्ता बता रहे हैं। ऐसे गंभीर समय में मानवाधिकारों पर चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मानवाधिकारों पर बात करते हुए अम्बेडकरवादी विचारधारा स्वत: प्रासंगिक हो जाती है। यह विडंबना ही है कि डॉ. अम्बेडकर को आज भी एक खास वर्ग के हितैशी के रूप में ही प्रचारित किया और समझा जाता है किंतु भारत को एक सफल संविधान देने वाले बाबा साहब के विचारों में संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी दृष्टि को स्पष्ट देखा जा सकता है। मानवाधिकारों के इतने बड़े पुरोधा के रूप में डॉ. अम्बेडकर वास्तव में जीवन भर मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए मानवीय मूल्यों और गरिमा की स्थापना के लिए कृतसंकल्प रहे। सोशल इंजीनियरिंग के संबंध में उनके विचार वर्तमान समाज को एक सही दिशा दिखाते हैं। वे समाज को ज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। देश के सतत विकास हेतू मजबूत नींव का निर्माण करने की बात करते हैं, इसीलिए वह राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा सामाजिक आंदोलन को महत्व देते हैं।

आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका अपरिहार्य रूप से महत्वपूर्ण है। डॉ. अम्बेडकर का संपूर्ण जीवन, संघर्ष एवं विचारधारा कल्याणकारी वैश्विक मानवता की स्थापना के लिए कृतसंकल्प रहा। यही कारण है कि भारतीय समाज में मानवाधिकारों के प्रश्नों पर चर्चा करते हुए डॉ. अम्बेडकर सवर्था प्रासंगिक सिद्ध होते हैं। हाशिये पर पड़े समुदाय की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के मानवाधिकारों की मांग करते हुए डॉ. अम्बेडकर के संपूर्ण जीवन एवं दर्शन में मानवीय मूल्यों के प्रति उनकी आस्था प्रकट होती है। 'भारतीय समाज में मानवाधिकार के प्रश्न और डॉ. अम्बेडकर' नामक इसमें मुख्य रूप से इन बिदुंओं के अंतर्गत अध्ययन करने का प्रयास किया जाएगा- समानतामूलक समाज की स्थापना', साहित्य में मानवीय मूल्य और अम्बेडकरवादी विचारधारा, भारतीय स्त्री के उन्नायक, श्रमिक वर्ग के अधिकारों के लिए, सामाजिक न्याय एवं मानवीय मूल्यों के विकास में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका एवं विचारों का महत्व।

वर्णवादी व्यवस्था के अंतर्गत बहुसंख्यक दलित समाज का शोषण एवं उत्पीड़न जातीय आधार पर किया गया। दलित समाज के श्रम से पोषित होकर भी समाज ने उसके प्रति तिरस्कार और उपेक्षा की भूमिका निभाते हुए उन्हें मानवीय दर्जा नहीं दिया और इसी कारण दलित समाज सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक आधार पर शोषित होता रहा। डॉ. अम्बेडकर के रूप में दलित समाज को वास्तव में पहली बार प्रत्यक्ष रूप से अपना प्रतिनिधि प्राप्त हुआ। डॉ. अम्बेडकर ने अपनी तर्कवादी शोधपरक दृष्टि से दलित समाज की इस अवस्था पर चिंतन किया। "अपने "भारतीय जाति" निबंध में उन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि अस्पृश्य, समाज से संबंधित भेदभाव वांछिक नहीं है, वरन् वे भारतीय संस्कृति का एक अविभाज्य अंग है। उनके भविष्य के सारे अनुसंधानों का यही मूल स्रोत रहा है।"[1] दलित समाज की परंपरा की खोज करते हुए मनुस्मृति, वेदों एवं अन्य ग्रंथों का गहन तर्कवादी दृष्टि से अनुसंधान करते हुए वे कई महत्वपूर्ण स्थापनाएँ अपने 'शूद्राज एंड दि कांउटर रिवोल्यूशन' नामक निबंध में रखते हैं। वे वर्णवादी शोषणकारी व्यवस्था का विरोध कड़े शब्दों में करते हुए उसके उन्मूलन के पक्ष में महत्वपूर्ण तर्कपरक विचार प्रस्तुत करते हैं- "आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि कुछेक व्यक्तियों को मिलाकर और उनके अलग-अलग वर्ग बनाकर प्रत्येक को कुछ खास क्षेत्रों में निहित कर देने से व्यक्ति और समाज दोनों के प्रति अन्याय होता है। वर्ग और व्यवसाय के आधार पर समाज को स्तरों में विभाजित करने से समाज की क्षमता का पूर्ण उपयोग, जो प्रगति के लिए आवश्यक है, नहीं होता और यह व्यक्ति की सुरक्षा के साथ-साथ सामान्यत: समाज के कल्याण और उसकी सुरक्षा के लिए भी असंगत है।"[2] डॉ. अम्बेडकर दलित समाज में यह चेतना प्रवाहित करने में सफल रहे कि अब वे मानव से एक या दो दर्जे नीचे नहीं बल्कि मनुष्य रूप में जिएंगे।

भारत को 'समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व' जैसे मुक्ति सूत्र देने वाले डॉ. अम्बेडकर को बचपन से ही अस्पृश्यता का दंश झेलना पड़ा। प्राय: इन्हीं दंशों

ने उनके विचारों को धार प्रदान की। डॉ. अम्बेडकर सदैव शिक्षा को मुक्ति का सबसे बड़ा साधन मानते थे। उन्होंने सदैव शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया क्योंकि अपने जीवन के अंधकारमय मार्ग को उन्होंने इसी शिक्षा के जरिए प्रकाशित किया। भगवान बुद्ध, संत कबीर, ज्योतिबा राव फुले को गुरू मानकर उनसे प्रेरणा लेकर डॉ. अम्बेडकर ने शोषण मुक्ति हेतू किए जा रहे दलितोद्धार के आंदोलन को सच्चे अर्थों में गति प्रदान की। उनका कहना था कि– "गुलाम को उसकी गुलामी की समझ करा दो, तो वह विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाएगा।" अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए डॉ. अम्बेडकर ने 1930 में मूकनायक, 1927 में बहिष्कृत भारत, 1928 में समता, 1930 में जनता और 1956 में प्रबुद्ध भारत आदि पत्र निकाले। यह पत्र वास्तव में मानवाधिकारों का जीवंत दस्तावेज बने।

डॉ. अम्बेडकर का स्त्री चिंतन इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वे स्त्री समाज के उत्थान एवं समान मूल्यों की स्थापना के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। वह अपने भाषण एवं पत्रों में लगातार स्त्री समानता और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने समाज को जागरूक कर रहे थे। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, "माता-पिता अपनी संतान के केवल जन्मदाता हैं, वे उसके भाग्यदाता नहीं हैं। इस दैवी विधान को हमें तिलांजलि देनी होगी। हमें अपने मन में पक्की गांठ बांध लेनी चाहिए कि संतान का भविष्य माता-पिता के हाथ में हैं। बेटों के समान ही अपनी बेटियों को भी लिखाया-पढ़ाया जाये तो हमारा विकास तीव्रगति से हो सकता है, यह निश्चित है।"[3] स्त्री समाज के स्वाभिमान, स्वावलंबन और उद्धार के लिए उनकी प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि, "दलित समाज ने कितनी प्रगति की है, इसे मैं दलित समाज की प्रगति से तौलता हूँ।" वास्तव में डॉ. अम्बेडकर के इन विचारों और जीवन दर्शन में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। बचपन में ही मां की मृत्यु के बाद अपंग बुआ ने उनका पालन-पोषण किया तथा

डॉ. अम्बेडकर का स्त्री चिंतन इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वे स्त्री समाज के उत्थान एवं समान मूल्यों की स्थापना के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। वह अपने भाषण एवं पत्रों में लगातार स्त्री समानता और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने समाज को जागरूक कर रहे थे। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, "माता-पिता अपनी संतान के केवल जन्मदाता हैं, वे उसके भाग्यदाता नहीं हैं। इस दैवी विधान को हमें तिलांजलि देनी होगी। हमें अपने मन में पक्की गांठ बांध लेनी चाहिए कि संतान का भविष्य माता-पिता के हाथ में हैं। बेटों के समान ही अपनी बेटियों को भी लिखाया-पढ़ाया जाये तो हमारा विकास तीव्रगति से हो सकता है, यह निश्चित है।

दो बहनों की स्नेहछाया में उनका बचपन गुजरा जिसने उनके जीवन को स्त्रियों के प्रति संवेदनशील बनाया। महार जाति का होने के कारण जब उनके बाल काटने को कोई नाई तैयार नहीं हुआ तो उनकी बड़ी बहन ही उनके बाल काटती थीं। वहीं उनकी शिक्षा के लिए पुस्तकों के इंतजाम में आर्थिक तंगी होने के कारण डॉ. अम्बेडकर के पिता को कभी-कभी अपनी बेटियों के गहने उधार रखने पड़ते थे जिसे वह बाद में धीरे-धीरे पैसे चुकाकर वे वापस करते थे।

डॉ. अम्बेडकर मानवीय मूल्यों की स्थापना करते हैं तथा दलित और स्त्री मुक्ति की उद्घोषणा करते हैं। अपने निबंध 'नारी और प्रतिक्रांति' में वह अमानवीय मान्यताओं का पुरजोर खण्डन करते हैं। वह लिखते हैं, "विवाह विच्छेद के बारे में मनु के नियम का यही सार तत्व है और इसे आदर्श कहते रहते हैं। वह यह सोच कर अपने विवेक पर पर्दा डाल देते हैं कि मनु ने विवाह को संस्कार की तरह माना है और इसीलिए उसने विच्छेद की अनुमति नहीं दी। यह बात निश्चय ही सत्य से कोसों दूर है। मनु के विच्छेद-नियम का बिल्कुल भिन्न उद्देश्य था। यह पुरूष को स्त्री से बांध देने की बात नहीं, बल्कि यह स्त्री को पुरूष से बांध देने और पुरूष को स्वतंत्र रखने की बात थी, क्योंकि मनु पुरूष को अपनी पत्नी को त्याग देने से नहीं रोकता। वस्तुतः वह उसे अपनी पत्नी को छोड़ देने की ही नहीं, बल्कि उसे बेच देने की भी अनुमति देता है। वह पत्नी को स्वतंत्र न होने देने के लिए नियम बनाता है।"[4]

वे स्त्री के शोषण के लिए जिम्मेदार पितृसत्तात्मक व्यवस्था को वैध ठहराने वाले ग्रंथ की रूढ़िवादिता पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं, "वह स्त्री को उस स्वतंत्रता से वंचित कर देना चाहता था, जो उसे बौद्ध काल में थी। वह यह जानता था कि स्त्री द्वारा अपनी स्वतंत्रता का दुरूपयोग करने या शुद्र के साथ विवाह करने की उसकी इच्छा होने से वर्ण-व्यवस्था नष्ट हो गयी थी। मनु स्त्री की स्वतंत्रता से क्रुद्ध था और उसे रोकने में उसकी स्वतंत्रता से उसे वंचित

कर दिया। संपत्ति के मामले में पत्नी का स्थान मनु द्वारा दास के स्तर पर लाकर पटक दिया गया।[5] डॉ. अम्बेडकर स्त्रियों की दशा पर विचार करते हुए पाते हैं कि, "मनु से पहले नारी स्वतंत्र थी और पुरूष की समान भागीदार थी। मनु ने उसे पदावनत क्यों किया?"[6] मनुस्मृति की अमानवीय मान्यताओं को नकारते हुए वह इसकी व्याख्या एवं आलोचना करते हैं कि किस प्रकार मनु स्त्री को ज्ञान से वंचित करते हैं-"स्त्रियों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए उनके संस्कार वेद मंत्रों के बिना किए जाते हैं। स्त्रियों को वेद जानने का अधिकार नहीं है इसीलिए उन्हें धर्म का कोई ज्ञान नहीं होता। पाप दूर करने के लिए वेद मंत्रों का पाठ उपयोगी है। चूंकि स्त्रियां वेद मंत्रों का पाठ नहीं कर सकतीं, वे उसी प्रकार अपवित्र हैं, जिस प्रकार असत्य अपवित्र होता है। ब्राह्मण धर्म के अनुसार यज्ञ करना धर्म का सार है, फिर भी मनु स्त्रियों को यज्ञ करने की अनुमति नहीं देता।"[7]

बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर शिक्षा को सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मानव विकास का साधन मानते थे। वे यह स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार दलितों और स्त्रियों को शिक्षा के मार्ग से दूर रखने का षडयंत्र किया गया। मनुस्मृति के इन शोषणकारी नियमों का वह उल्लेख करते हैं- "स्त्रियों को कोई बौद्धिक कार्य नहीं करना चाहिए। उनको स्वतंत्र इच्छा नहीं करनी चाहिए, न ही उन्हें अपने विचारों में स्वतंत्र होना चाहिए। वह कोई अन्य धर्म, जैसे बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं कर सकती। यदि वह आजीवन उसका पालन करती है, तब उन्हें जल का तर्पण नहीं किया जाएगा, जो अन्य मृतकों के लिए किया जाता है।"[8]

हाशिये पर पड़े समुदायों के लिए शिक्षा ही मुक्ति का साधन है किंतु शिक्षा का यह मार्ग इनके लिए इतना सरल नहीं इसीलिए डॉ. अम्बेडकर 'सभी के लिए

शिक्षा' की व्यवस्था के तहत 'शिक्षा के लिए अनुदान' को बढ़ाए जाने की मांग करते हैं- "शिक्षा तो एक ऐसी चीज है जो सबको मिलनी चाहिए। शिक्षा विभाग ऐसा नहीं है, जो इस आधार पर चलाया जाए कि जितना वह खर्च करता है, उतना विद्यार्थियों से वसूल किया जाए। शिक्षा को सभी संभव उपायों से व्यापक रूप में सस्ता बनाया जाना चाहिए। मैं यह निवेदन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि अब हम उस स्थिति पर आ गए हैं, जब समाज के निचले तबके के लोगों के बच्चे हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और कालिजों में जा रहे हैं। इसलिए इस विभाग की नीति यह होनी चाहिए कि निचले वर्गों के लिए उच्च शिक्षा को जितना संभव हो सस्ता बनाया जाए।"[9]

वास्तव में डॉ. अम्बेडकर ऐसे शिक्षित एवं सशक्त भारत की परिकल्पना कर रहे थे जहाँ समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक मूल्यों की स्थापना हो इसीलिए वे शिक्षा को देश के विकास का आवश्यक पैमाना मानते हैं। इसके साथ ही वह आज छात्रों के द्वारा किए जा रहे उन प्रयासों के लिए प्रेरणा बनते हैं जो हाल ही में हम सभी अपने आस-पास होते देख रहे हैं। 15 जनवरी 1949 को अपने भाषण में उन्होंने कहा कि, "कोई भी समाज शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे जाता है, इस पर ही उस समाज की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है।"[10]

दलित स्त्री विमर्श जहाँ आज अपने अधिकारों की माँग घर के आँगन से शुरू करके पूरे समाज में उनके स्वर गूंज रहे हैं वहीं डॉ. अम्बेडकर ने अपने जीवन से दलित समाज आंदोलन को दिशा प्रदान की। डॉ. अम्बेडकर की चर्चा उनकी पत्नी रमाबाई के बिना अधूरी है। "रमाबाई अपने अथक प्रयासों एवं परिश्रम से डॉ. अम्बेडकर के मुक्ति संघर्ष से जुड़ते हुए उनके साथ दलित समाज को चेतना संपन्न करने के लिए प्रयत्नशील रहीं। वह लगातार डॉ. अम्बेडकर के साथ पत्र-व्यवहार और प्रत्यक्ष माध्यम से भी दलित समाज के प्रश्नों को लेकर विचार-विमर्श करती थीं। वह दलित महिला बैठकों की अध्यक्षता करते हुए महत्वपूर्ण आंदोलनो से जुड़ी रही। महाड़ सत्याग्रह के बाद उन्होंने दलित महिलाओं को सवर्ण स्त्रियों की तरह साड़ी बांधना सिखाया। डॉ. अम्बेडकर ने उपेक्षित समुदायों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए शोषित समाज में

अधिकारों के प्रति उनमें चेतना का संचार किया। "1927 का साल दलित आंदोलन के साथ-साथ दलित महिला आंदोलन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सन् 1927 के अन्त में बाबा साहब द्वारा चलाए गए महाड़ सत्याग्रह की परिणिति 'मनुस्मृति दहन' और 'चावदार तालाब का पानी पीने' से हुई। 25 दिसंबर 1927 को चावदार तालाब महाड़ सत्याग्रह के ऐतिहासिक सम्मेलन में ढ़ाई हजार दलित औरतों ने 'मनुस्मृति दहन' में शामिल होकर हिंदू धर्म के स्त्री-विरोधी कानून को मानने से इंकार कर दिया। इसी सभा में दलित महिलाओं की भारी संख्या में उपस्थिति देखकर डॉ. अम्बेडकर ने उनके पक्ष में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। बाबा साहब ने कहा, हस्त्रियों को गृहलक्ष्मी ही क्यों होना चाहिए? मन में ऊंची महत्वकांक्षा रखो। ज्ञान और विद्या पर केवल पुरूषों का ही अधिकार नहीं है, वह स्त्रियों के लिए भी अति आवश्यक है। यदि तुम्हें आगे की पुश्तें सुधारनी हैं तो तुम्हें लड़कों के साथ-साथ लड़कियों को भी शिक्षा देनी होगी। घर में पति अगर मरे हुए जानवर का मांस लाए तो उससे कहो कि ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। गले में इतनी वजनी मालाएं और हाथों में कोहनी तक के कड़े और कंगन यह सब तुम्हें अस्पृश्य करके पहचानने की निशानी है।"[11] इस भाषण का दलित समाज और दलित स्त्रियों पर गहरा असर हुआ। इसने दलित स्त्री आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। महिलाओं ने अब अपने शोषण के कारक पितृसत्तात्मक साधनों की पहचान करके शीघ्र ही उनका त्याग किया। मरे हुए जानवरों का मांस, वजनी और ढ़ेर सारे आभूषण त्याग दिए। सवर्ण स्त्रियों के समान साड़ी पहनना सीखा। वास्तव में यह दलित स्त्री को परंपरा से मिले वे रूढ़िवादी प्रतीक थे जो उनकी मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए उनके शोषण का औजार बने हुए थे। शिक्षा, स्वच्छता, बंधुत्व और संघर्ष जैसे तत्वों को डॉ. अम्बेडकर ने इस आंदोलन का मुख्य आधार बनाया। इस प्रकार 1928 में मुंबई में 'महिला मंडल' की स्थापना रमाबाई की अध्यक्षता किया गया। चावदार तालाब के सार्वजनिक प्रयोग और कालाराम मंदिर प्रवेश आदि आंदोलनों में डॉ. अम्बेडकर के साथ दलित महिलाओं का कारंवा समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकारों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ता ही गया।

डॉ. अम्बेडकर ने श्रम मंत्रालय से संबंधित कुशल, अर्द्ध-कुशल श्रमिकों, महिला कामगारों एवं असंगठित मजदूरों इन विषयों पर गंभीरता से चर्चा करते हुए खदान प्रसूति लाभ विधेयक, उचित वेतन भुगतान एवं अन्य महिला कामगार संबंधी विधेयक और कानूनों पर कार्य किया। वैश्वीकरण, भूमण्डलीकरण, औद्योगिकरण और उत्तर-आधुनिकता ने दलित समाज को भी अपने प्रभावो से मुक्त नहीं रखा। आज वैश्विक स्तर पर महिला कामगारों को मिलने वाले प्रसूति लाभ, वेतन तथा सुविधाओं को लेकर जो बहस चल रही है, उसमें डॉ. अम्बेडकर स्वतः प्रासंगिक है।

डॉ. अम्बेडकर ने श्रम मंत्रालय से संबंधित कुशल, अर्द्ध-कुशल श्रमिकों, महिला कामगारों एवं असंगठित मजदूरों इन विषयों पर गंभीरता से चर्चा करते हुए खदान प्रसूति लाभ विधेयक, उचित वेतन भुगतान एवं अन्य महिला कामगार संबंधी विधेयक और कानूनों पर कार्य किया। वैश्वीकरण, भूमण्डलीकरण, औद्योगिकरण और उत्तर-आधुनिकता ने दलित समाज को भी अपने प्रभावो से मुक्त नहीं रखा। आज वैश्विक स्तर पर महिला कामगारों को मिलने वाले प्रसूति लाभ, वेतन तथा सुविधाओं को लेकर जो बहस चल रही है, उसमें डॉ. अम्बेडकर स्वतः प्रासंगिक है। वह इस दिशा में सरकार और उद्योगपतियों दोनों की भूमिकाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए उनकी भूमिकाओं को तय करते हैं। प्रसूति लाभ विधेयक पर चर्चा करते हुए उनके इस संबंध से जुड़ी चिंताओं को समझा जा सकता है- "प्रत्येक देश में जहां प्रसूति लाभ दिए जाते हैं, वहां प्रसूति लाभ के लिए सरकार कुछ राशि व्यय करती है। महोदय! लेकिन ऐसा होते हुए भी मैं यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि किसी महिला का कोई नियोक्ता प्रसूति की अवस्था में महिला के हितों की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका कारण यह है कि नियोक्ता महिला को किसी उद्योग विशेष में इसीलिए काम पर लगाता है, क्योंकि उसको पुरूष की अपेक्षा महिला को काम पर लगाने से अधिक लाभ होता है। वह पुरूषों को काम पर लगाकर मिलने वाले लाभ की तुलना में महिलाओं को काम पर लगाकर अधिक मुनाफा अर्जित कर पाता है। इसी कारण यह कहना पूर्णतया उचित है कि इस प्रकार का लाभ प्रदान करने के लिए नियोक्ता की भी कुछ हद तक जिम्मेदारी बनती है।"[12]

स्त्री समानता की अवधारणा को वास्तविक कानूनी रूप देने के लिए डॉ. अम्बेडकर ने सदन में 'हिन्दू कोड बिल'

प्रस्ताव पेश किया। यह स्त्री अधिकारों के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है, जहां बिल के पास न होने पर स्त्री अधिकारों के सच्चे पुरोधा बाबा साहब ने 27 सितंबर 1951 को कानून मंत्री के पद से त्याग-पत्र दिया और इसके कारणों की चर्चा करते हुए वे महत्वपूर्ण विचार प्रकट करते हैं-"जब समाज अपने भूतकाल को छोड़ रहा हो और भविष्य का अंदाजा लगाया जा रहा हो, तब बस विवेक ही एक कसौटी है, जिस पर किसी भी बात को परखना चाहिए। इसलिए जिस हिंदू समाज की, आपसी वर्गों और स्त्री-पुरूषों के बारे में, विषमता ही आत्मा है उसे झकझौरे बगैर यदि हम केवल आर्थिक पहलू पर ही एक के बाद एक कानून बनाते रहे तो यह संविधान का मखौल उड़ाने के समान है, या रेत पर किला खड़ा करने का प्रयास है।"[13] जीवन भर वह राजनीतिक और सामाजिक मंचों से स्त्री-सशक्तिकरण के लिए संघर्षशील रहे। बाद में 'हिंदू कोड बिल' कई टुकड़ों में हिन्दू विवाह कानून, हिन्दू उत्तराधिकार कानून, हिन्दू गोद एवं गुजारा भत्ता कानून जैसे नामों से पास किया गया। इन्हें पारित करने में भी डॉ. अम्बेडकर की महत्वपूण भूमिका रही। 2005 में स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार भी यहीं से प्रेरित है जो स्त्री-अस्मिता विमर्श में मील का पत्थर सिद्ध हुए।

"मुंबई राज्य की असेंबली में उन्होंने 21 फरवरी, 1928 को भाग लिया और सरकारी नीति की आलोचना की। कर्मचारी महिलाओं को, उनके प्रसव काल में छुट्टी दिलाने के बारे में जो बिल पेश किया था उसका उन्होंने जोरदार समर्थन किया। उन्होंने कहा, ह्देश की इन माताओं को मातृत्व काल की निश्चित अवधि में विश्राम मिलना ही चाहिए।"[14] इस प्रकार दलित महिलाओं के साथ-साथ डॉ. अम्बेडकर ने सारे श्रमिक समाज के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। "उनके कार्यक्रम इस प्रकार थे-पुराने कारोबारों को गति प्रदान करना, नये धंधों को प्रारंभ करना, पटधारियों का शोषण से संरक्षण करना, मजदूरों की भलाई की दृष्टि से कानून बनाना, भूमिहीनों को जमीन दिलवाना, समाज सुधारकों को सहायता पहुंचाना,

देहातों में आरोग्य और निवासों के लिए योजनाएं प्रारंभ करना इत्यादि सुविधाएं प्रदान करने का इस नीति पत्र में उल्लेख किया गया था।"[15] डॉ. अम्बेडकर इस संबंध में महत्वपूर्ण हैं कि वह समाज के निचले तबके को श्रम से अर्जित सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करने करने की कोशिश करते हैं- "कार्य करने की वास्तविक स्वतंत्रता केवल वहीं पर होती है, जहां शोषण का समूल नाश कर दिया जाता है, जहां एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर अत्याचार नहीं किया जाता, जहां बेरोजगारी नहीं है, जहां गरीबी नहीं है, जहां किसी व्यक्ति को अपने धंधे के हाथ से निकल जाने का भय नहीं हैं, अपने कार्यों के परिणामस्वरूप जहां व्यक्ति अपने धंधे की हानि, घर की हानि तथा रोजी-रोटी की हानि के भय से मुक्त है।"[16]

मद्यपान विषय पर चर्चा करते हुए वह जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही को तय करते हुए कहते हैं, "हम निश्चित रूप से अतिरिक्त करों का विरोध करेंगे, यदि सरकार इन करों का उपयोग सरकार के कामकाज को चलाने या मात्र प्रशासनिक कार्यों में करे। यदि वह मात्र जीवन गुजारने की जगह जीवन को खुशहाल बनाने के लिए करों का उपयोग करेगी, तो उस दशा में इस पक्ष के हम लोग किसी भी प्रकार के कर का समर्थन करने को तैयार हैं। सदन के माननीय नेता ने सरकार के खिलाफ लगाए गए अवास्तविकता के आरोप का खण्डन करने का प्रयास किया है। महोदय! मैं सोचता हूं कि किसी भी सरकार को, उस समय तक मद्यनिषेध की नीति लागू करने का वायदा नहीं करना चाहिए, जब तक उसने यह विचार न कर लिया हो कि वह इससे होने वाली हानि को केसे पूरा करेगी।"[17]

यहां बाबा साहब अम्बेडकर मानव जीवन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर गंभीर चर्चा करते हैं। समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की स्थापना हेतू उनके दर्शन और प्रयासों का दपर्ण स्वरूप संविधान में प्राप्त होता है। "3 अक्टूबर, 1954 को डॉ. साहब ने "मेरा निजी तत्वज्ञान" विषय पर वार्ता प्रसारित की। वे बोले, स्वतंत्रता, समता

और बंधुभाव–यह तीनों तत्व अपने जीवन के आधार हैं। इनके बीज फेंच राज्य क्रांति या राजनीति में न होकर, बौद्ध धर्म में हैं। संविधान में भले ही राजनीति के इन तत्वों का समावेश हो, फिर भी उन्हें सामाजिक जीवन में कार्यान्वित करना आवश्यक है।''[18]

वर्तमान दौर में जब तमाम संस्थाएँ राष्ट्रवाद को अपने-अपने ढंग से पारिभाषित करते हुए देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने में लगे हैं, ऐसे समय में डॉ. अम्बेडकर और अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। जिस समाज में मानवाधिकारों का हनन होता है, अम्बेडकर वहाँ भावुकता के धरातल से ऊपर उठकर मानवीय मूल्यों की आधारशिला पर राष्ट्रवाद की स्थापना करते हैं– "आप कहते हैं यह मेरी मातृभूमि है, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि मेरी मातृभूमि नहीं है। जिस किसी अस्पृश्य व्यक्ति को तनिक भी स्वाभिमान है, जिसमें इंसानियत जाग उठी है, वह उस देश को कभी यह नहीं कहेगा कि 'यह मेरा देश है', जिस देश में उसे कुत्ते, बिल्ली जैसी जिंदगी जीना भी नसीब नहीं होता, या उसके हिस्से में उतनी भी सहानुभूति नहीं आती जो जानवरों को मिल पाती है।''[19] वे एक ऐसे राष्ट्र निर्माण पर बल देते हैं जहां भेदभाव को खत्म करके मानव मात्र में समानता, विकास और सामाजिक न्याय के दावे को प्राप्त किया जा सके– "व्यक्तिगत स्तर पर मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं नहीं मानता कि इस देश में किसी विशेष संस्कृति के लिए कोई विशेष जगह है, चाहे वह हिन्दू संस्कृति हो, या मुस्लिम संस्कृति, या कन्नड़ संस्कृति या गुजराती संस्कृति। ये ऐसी चीजें हैं, जिन्हें हम नकार नहीं सकते, पर उनको वरदान नहीं मानना चाहिए, जो हमारी निष्ठा को डिगाती हैं और हमें अपने लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। यह लक्ष्य है, एक ऐसी भावना को विकसित करना कि हम सब भारतीय हैं।''[20]

भारतीय समाज में मानवाधिकारों के प्रश्नों पर डॉ. अम्बेडकर का चितंन अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रेम, सद्भाव और विश्व बंधुत्व पर आधारित मानव कल्याण की भावना उनके चितंन के केन्द्र में है, "यदि व्यक्ति का प्रेम तथा घृणा प्रबल नहीं है, तो वह यह आशा नहीं कर सकता कि वह अपने युग पर कोई प्रभाव छोड़ सकेगा और ऐसी सहायता प्रदान कर सकेगा, जो महान सिद्धातों तथा संघर्ष की अपेक्षा लक्ष्यों के लिए उचित हो। मैं अन्याय, अत्याचार, आडम्बर तथा अनर्थ से घृणा करता हूं और मेरी घृणा उन सब लोंगो के प्रति है, जो इन्हें अपनाते हैं। वे दोषी हैं। मैं अपने आलोचको को यह बताना चाहता हूं कि मैं अपने इन भावों को वास्तविक बल व शक्ति मानता हूं। वे केवल उस प्रेम की अभिव्यक्ति हैं, जो मैं उन लक्ष्यों व उद्देश्यों के लिए प्रकट करता हूं, जिनके प्रति मेरा विश्वास है।''[21]

यहां बाबा साहब अम्बेडकर मानव जीवन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर गंभीर चर्चा करते हैं। समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की स्थापना हेतू उनके दर्शन और प्रयासों का दपर्ण स्वरूप संविधान में प्राप्त होता है। "3 अक्टूबर, 1954 को डॉ. साहब ने "मेरा निजी तत्वज्ञान" विषय पर वार्ता प्रसारित की।

आधुनिक भारत के निर्माता डॉ. अम्बेडकर ने भारत के दलित, दमित समुदाय को मानवीय गरिमा प्रदान करते हुए उन्हें आत्मसम्मान और समान अवसर एंव संसाधनों का भागीदार बनाया। संपूर्ण मानवता के लिए डॉ. अम्बेडकर के विचार समृद्ध, स्वस्थ एंव मानवतावादी विश्वबंधुत्व की जीवन दृष्टि का विकास करने के लिए अनिवार्य हैं। मानवाधिकारों के पथ-प्रदर्शक के रूप में उनका जीवन, समाज उत्थान के प्रति उनका विश्वास एंव विचारधारा जीवन में सदैव संघर्ष करते हुए समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति का मार्ग दिखलातें हैं।

संदर्भ सूची–

1. डॉ. बाबासाहब आंबेडकर, वसंत मून, पृ.सं.-11, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास प्रकाशन, नई दिल्ली, पांचवा संस्करण 2014
2. बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाड्.मय, खण्ड 7, पृ.सं.-211, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान प्रकाशन, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण 1998
3. डॉ. बाबासाहब आंबेडकर, वसंत मून, पृ.सं.-09, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास प्रकाशन, नई दिल्ली, पांचवा संस्करण 2014
4. बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाड्.मय, खण्ड 7, पृ.सं.-332, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान प्रकाशन, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण 1998
5. वही, पृ.सं.-332
6. वही, पृ.सं.-339
7. वही, पृ.सं.-333
8. वही, पृ.सं.-333
9. बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाड्.मय, खण्ड 3, पृ.सं.-57, डॉ.अम्बेडकर प्रतिष्ठान प्रकाशन, नई दिल्ली
10. बाबासाहब आंबेडकर, वसंत मून, पृ.सं.-184, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास प्रकाशन, नई दिल्ली, पांचवा संस्करण 2014
11. समकालीन नारीवाद और दलित स्त्री का प्रतिरोध, अनीता भारती, पृ.सं.-259, स्वराज प्रकाशन, दरियागंज, प्रथम संस्करण 2013
12. बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाड्.मय, खण्ड 3, पृ.सं.-186, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान प्रकाशन, नई दिल्ली
13. बाबासाहब आंबेडकर, वसंत मून, पृ.सं.-184, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास प्रकाशन, नई दिल्ली, पांचवा संस्करण 2014
14. वही, पृ.सं.-49
15. वही, पृ.सं.-111
16. बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाड्.मय, खण्ड 18, पृ.सं.-03, डॉ.अम्बेडकर प्रतिष्ठान प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण सितम्बर 2002
17. बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाड्.मय, खण्ड 3, पृ.सं.-185, डॉ.अम्बेडकर प्रतिष्ठान प्रकाशन, नई दिल्ली
18. बाबासाहब आंबेडकर, वसंत मून, पृ.सं.-201, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास प्रकाशन, नई दिल्ली, पांचवा संस्करण 2014
19. वही, पृ.सं.-72
20. बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाड्.मय, खण्ड 3, पृ.सं.-03, डॉ.अम्बेडकर प्रतिष्ठान प्रकाशन, नई दिल्ली
21. बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाड्.मय, खण्ड 4, पृ.सं.-03, डॉ.अम्बेडकर प्रतिष्ठान प्रकाशन, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण 1998

(लेखिका दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में शोधार्थी)

डॉ. अम्बेडकर से जुड़े 5 स्मारकों को सरकार भव्य रूप से विकसित कर रही है।

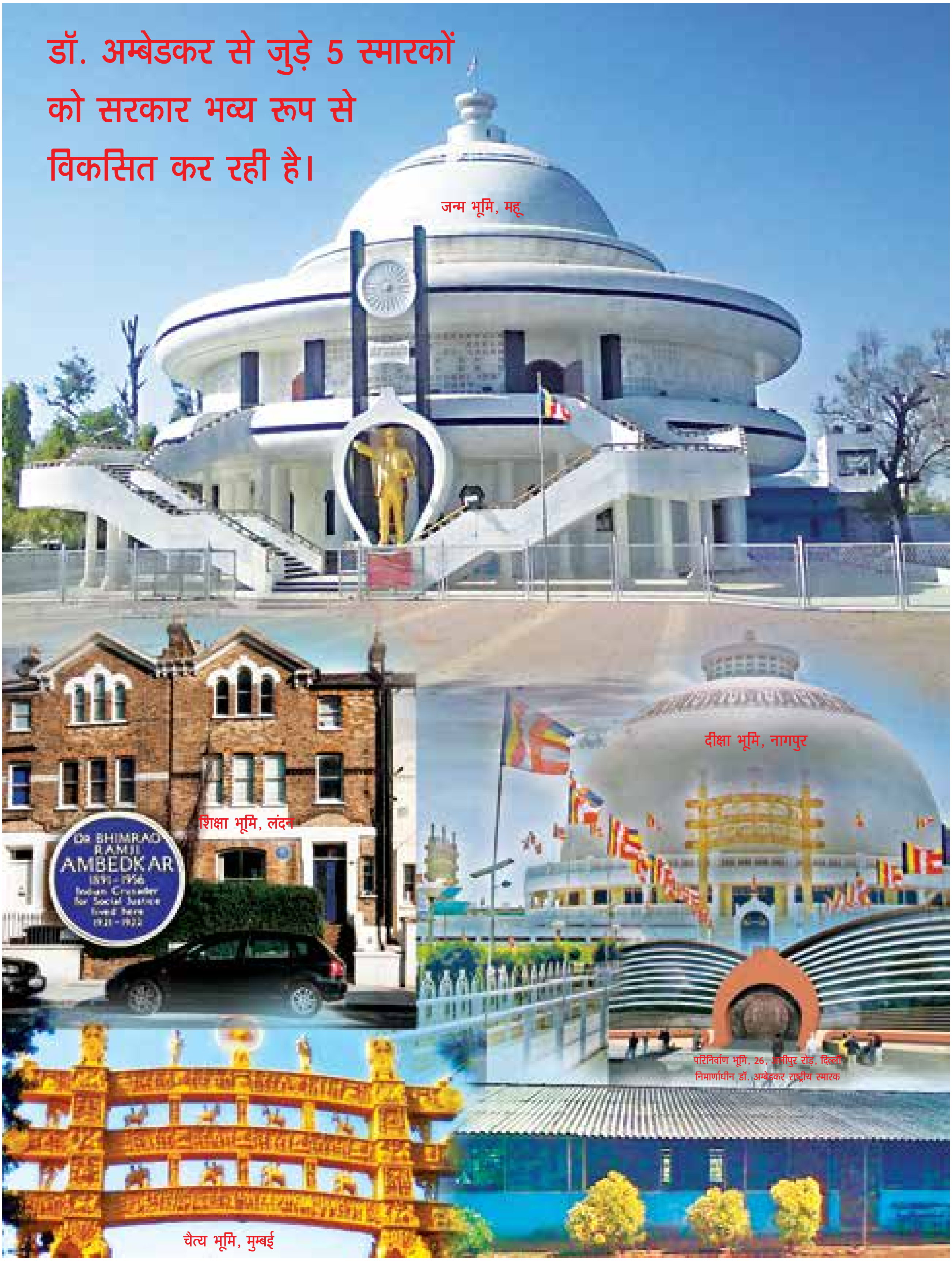

संकल्प भूमि, बड़ौदा, गुजरात

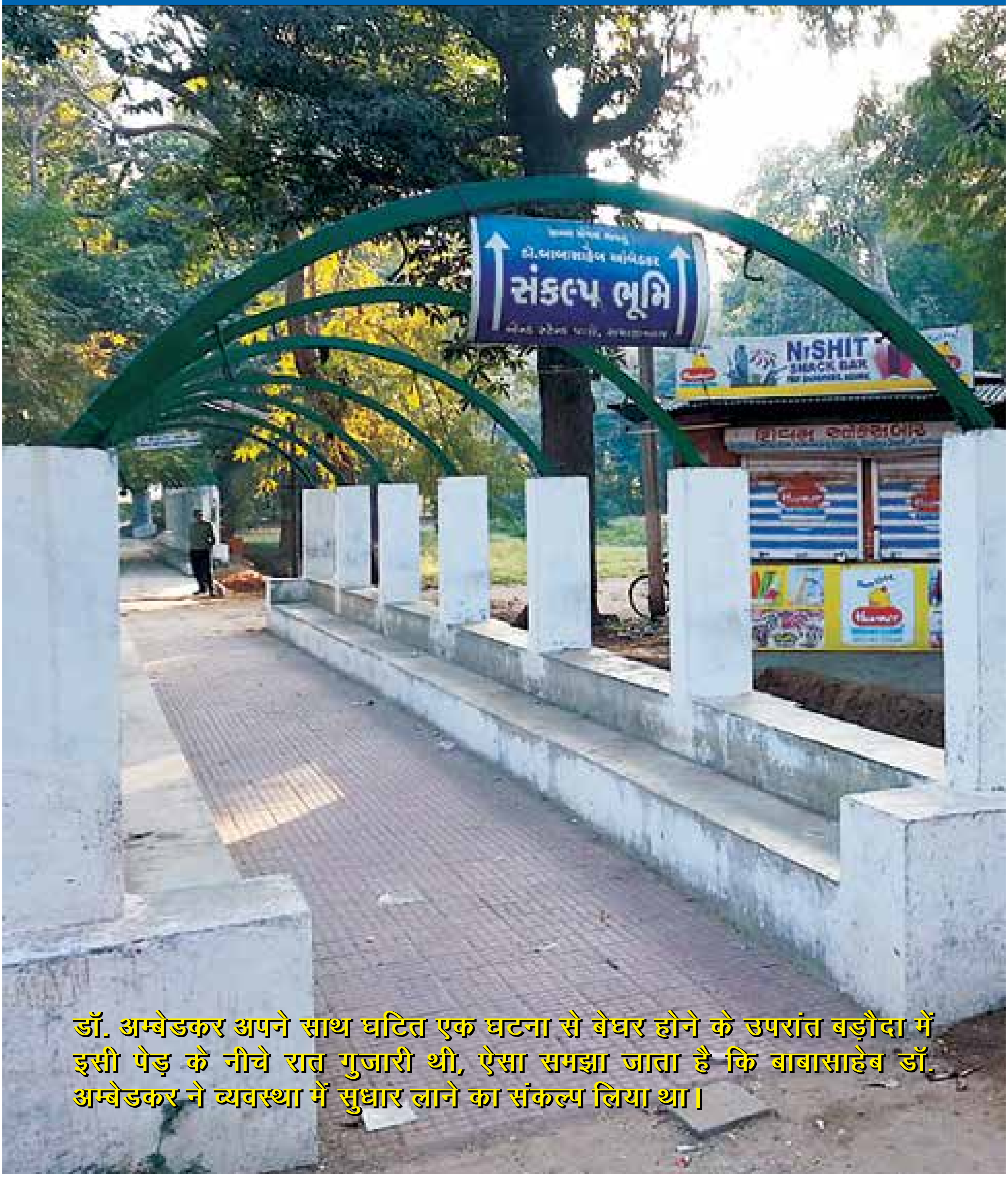

डॉ. अम्बेडकर अपने साथ घटित एक घटना से बेघर होने के उपरांत बड़ौदा में इसी पेड़ के नीचे रात गुजारी थी, ऐसा समझा जाता है कि बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने व्यवस्था में सुधार लाने का संकल्प लिया था।

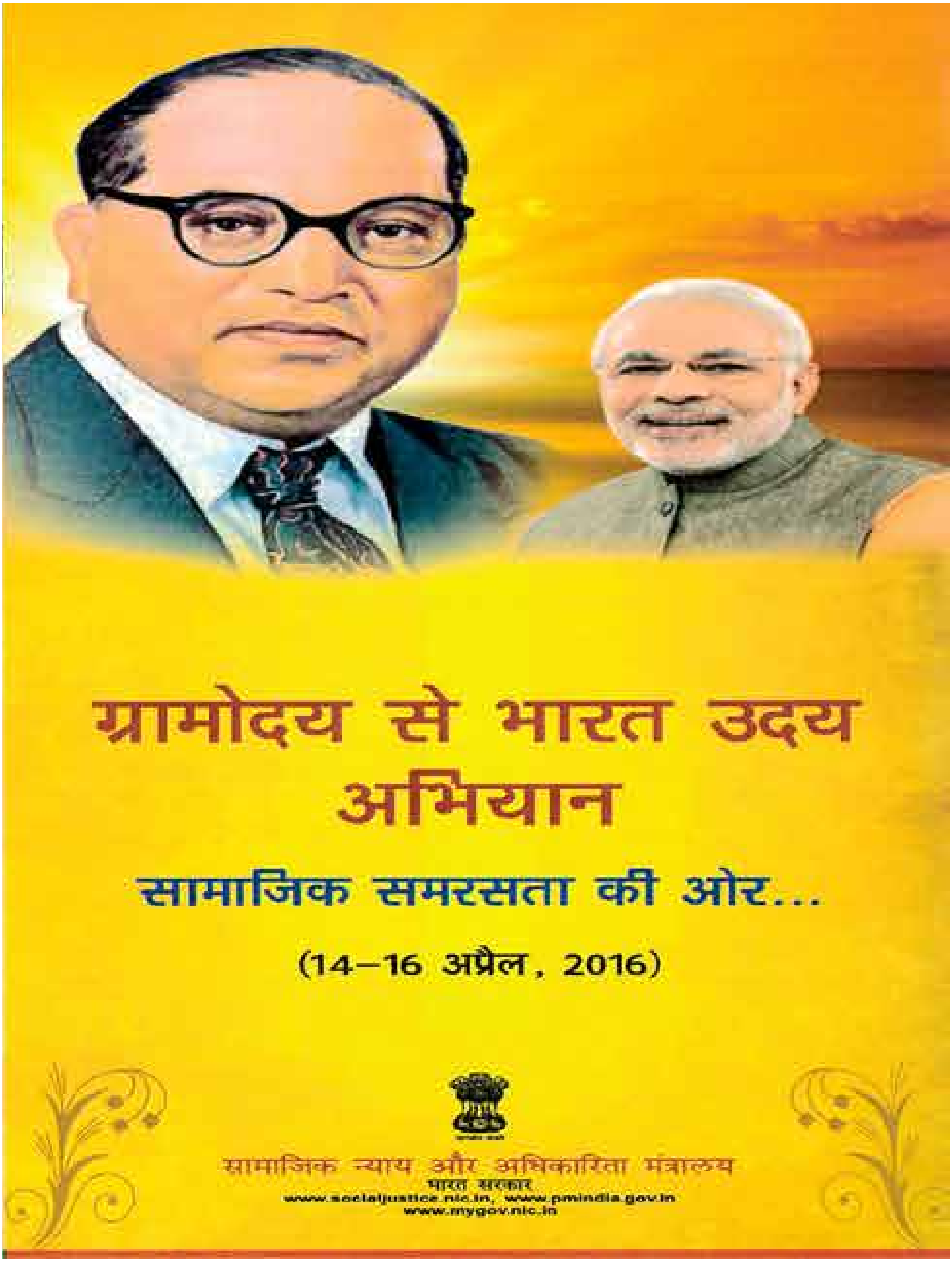

ग्रामोदय से भारत उदय
अभियान
सामाजिक समरसता की ओर...
(14–16 अप्रैल, 2016)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार
www.socialjustice.nic.in, www.pmindia.gov.in
www.mygov.nic.in

सम्पादक के नाम पत्र

सामाजिक चेतना को समर्पित सामाजिक न्याय संदेश

सम्पादक महोदय,

'सामाजिक न्याय संदेश' पत्रिका समाज में व्याप्त वास्तविक जीवनशैली का प्रस्तुतीकरण करती है। पत्रिका समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता जैसे विचारों की संवाहक है। इसके प्रत्येक अंक में समापयोगी रोचक तथ्य मिलते है। पत्रिका में सम्पादकीय एवं सभी लेख बहुत प्रेरणादायक होते हैं। पत्रिका के सभी लेख रोचक एवं गंभीर होते हैं।

मैं तीन वर्षों से इस पत्रिका का पाठक हूँ। इस पत्रिका के माध्यम से मुझे स्वयं कुछ ऐसी जानकारियां मिली जो अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं थी। जैसे- डॉ. अम्बेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय की स्थापना, लिखी, 1913 से 1916 तक बाबासाहेब के द्वारा दो उपाधियां हासिल करना, दो दिन भूखे सोना वह भी कोलंबिया जैसी जगह और सिर्फ किसी महत्वपूर्ण किताब मात्र के लिए। वैसे सामाजिक न्याय संदेश पत्रिका के बारे में लिखने लगूं तो इसके लिए एक बेहतर लेख तैयार हो सकता है किंतु एक सुधी पाठक के तौर पर मैं संपादक सुधीर हिलसायन जी को पत्रिका के संपादन के लिए बधाई और इस दुरूह कार्य के लिए आभार प्रकट करता हूं। साथ-साथ इस पत्रिका को नियमित हम जैसे पाठक तक पहुंचाने की अपील के साथ आपका सुधी पाठक...

बृजेश यादव, अनुवादक
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,
प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली

पत्रिका से सामंतवादी सोच का पर्दाफाश

सम्पादक महोदय,

सामाजिक न्याय संदेश जैसी सुंदर और विचारपूर्ण पत्रिका के संपादन हेतू आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं। महोदय, पत्रिका के सभी लेख एवं सामग्री बहुत विचारोत्तेजक एवं ज्ञानपरक है। समाज के सशक्तिकरण हेतू यह पत्रिका अपना अभूतपूर्व योगदान प्रस्तुत कर रही है। आशा है भविष्य में हम इसके कुछ नये कलेवर और सामग्री से रु-ब-रू होगें।

विजय
मध्य प्रदेश

पत्रिका : दलित दर्शन एवं सामाजिक संघर्ष की वाहक

सम्पादक महोदय,

आपकी पत्रिका में प्रकाशित लेख, कहानियां और शोधपूर्ण सामग्री नित्य हमारे ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं। मुझे यह पत्रिका इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण लगती है कि मैं अपने सभी शुभचिंतकों एवं रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण अवसर पर इसे भेंट करती हूँ तथा उन्हें भी इसके सदस्यबनने के लिए उत्साहित करती हूँ। इस पत्रिका में न जाने ऐसे कितने ज्ञान की बाते लिखी होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है किंतु हमें जानकारी तक नहीं है। पत्रिका के माध्यम से ही सही में सारी जानकारियां हम लोगों तक पहुंचाने के लिए सामाजिक न्याय संस्थान के संपादक श्री सुधीर हिलसायन को धन्यवाद देती हूँ। इसी के साथ अगले अंक की प्रतीक्षारत् !

सिन्धू यादव
चकघरना, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

पत्रिका से संवैधानिक कर्तव्यों एवं सामाजिक अधिकारों की चेतना

सम्पादक महोदय,

बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनायें एवं बधाई। आज जब पूरे विश्व में डॉ. अम्बेडकर के विचारों की धूम मची हुई है, ऐसे समय में सामाजिक न्याय संदेश पत्रिका वास्तव में समतावादी विचार का संवाहक बनकर जन-जागृति के पथ पर अग्रसर है। यह माह इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इस माह संपूर्ण भारत महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को भी धूमधाम से मना रहा है। डॉ. अम्बेडकर गुरू के रूप में फुले के विचारों से प्रेरणा पाते हैं। सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा में इनका योगदान अतुलनीय है। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले, रैदास और आधुनिक भारत के निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरूषों को स्मरण करते हुए जिस प्रकार यह पत्रिका उनके विचारों को आगे बढ़ा रही है, वह सराहनीय है।

कमलकान्त, सुल्तानपुर
उत्तर प्रदेश

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संगठन) की मासिक पत्रिका

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

सम्पादक : सुधीर हिलसायन

सम्पादकीय सम्पर्क : 011-23320588/सब्सक्रिप्शन सम्पर्क : 011-23357625

अक्टूबर 2015

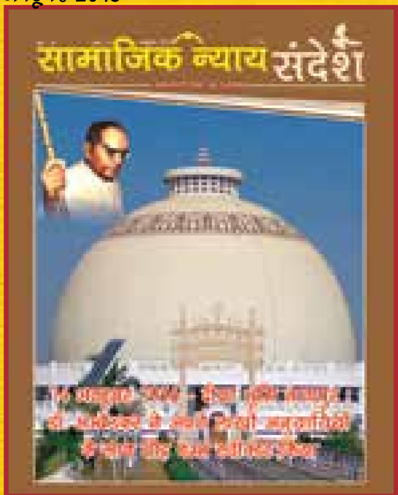

नवम्बर 2015

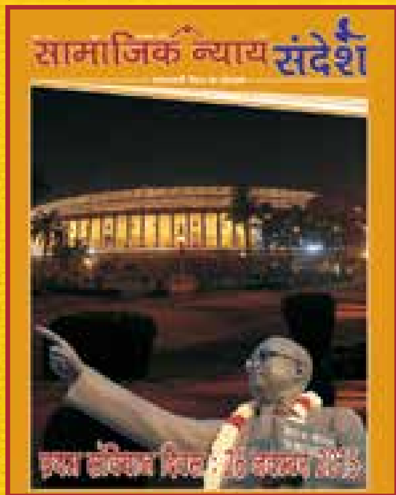

दिसम्बर 2015

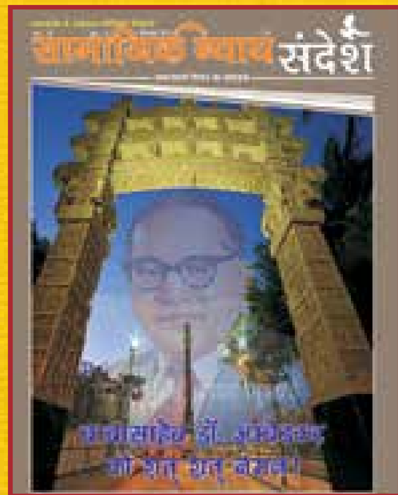

जनवरी 2016

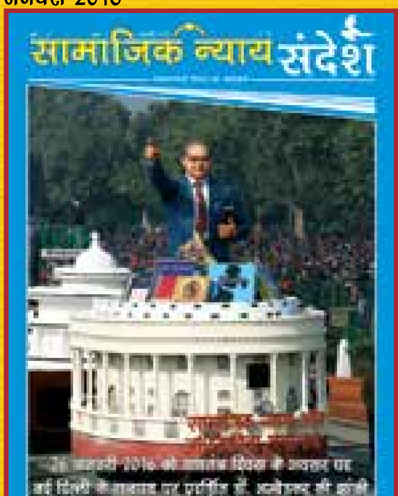

फरवरी 2016

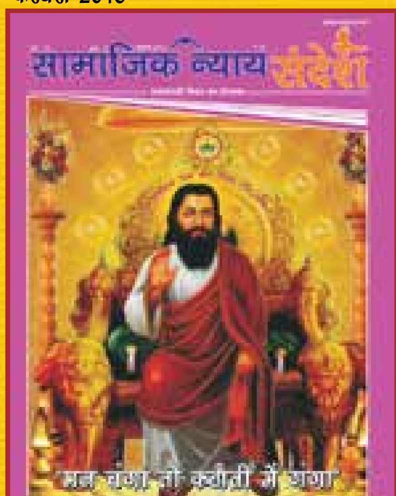

मार्च 2016

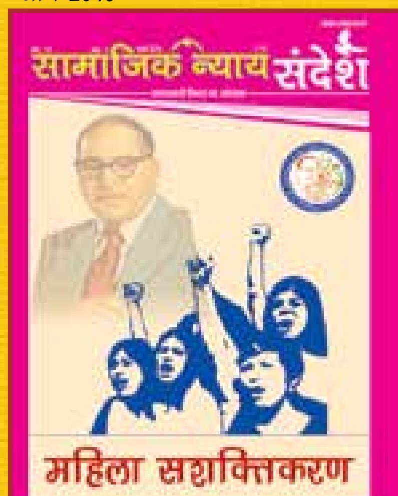

स्वयं पढ़े एवं दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें।

पाठक सदस्य बनें

कार्यालय : 15, जनपथ, नई दिल्ली–110001, फोन नं. 011–23320588, 23320589, 23357625 फैक्स: 23320582
E-mail: hilsayans@gmail.com / Website: www.ambedkarfoundation.nic.in
पत्रिका उपर्युक्त वेबसाइट पर पढ़ी/देखी जा सकती है।

सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक सरोकारों की पत्रिका

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन द्वारा प्रकाशित सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सरोकारों की पत्रिका *'सामाजिक न्याय संदेश'* का प्रकाशन पुनः आरम्भ हो गया है। समता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व एवं न्याय पर आधारित, सशक्त एवं समृद्ध समाज और राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के संदेश को आम नागरिकों तक पहुंचाने में 'सामाजिक न्याय संदेश' पत्रिका की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 'सामाजिक न्याय संदेश' देश के नागरिकों में मानवीय संवेदनशीलता, न्यायप्रियता तथा दूसरों के अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना जगाने के लिए समर्पित है।

'सामाजिक न्याय संदेश' से बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के विचारों व उनके दर्शन को जानने/समझने में मदद मिलेगी ही तथा फाउन्डेशन के कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त होगी।

सामाजिक न्याय के कारवां को आगे बढ़ाने में इस पत्रिका से जुड़कर आप अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आज ही पाठक सदस्य बनिए, अपने मित्रों परिवार-समाज के सदस्यों को भी सदस्य बनाईए, पाठक सदस्यता ग्रहण करने के लिए **एक वर्ष के लिए रू. १००/-, दो वर्ष के लिए रू. १८०/-, तीन वर्ष के लिए रू. २५०/-,** का डिमांड ड्राफ्ट, अथवा मनीऑर्डर जो **'डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन'** के नाम देय हो, फाउन्डेशन के पते पर भेजें या फाउन्डेशन के कार्यालय में नकद जमा करें। चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पत्रिका को और बेहतर बनाने के लिए आपके अमूल्य सुझाव का भी हमेशा स्वागत रहेगा। पत्रिका को फाउन्डेशन की बेबसाइट www.ambedkarfoundation.nic.in पर भी देखी/पढ़ी जा सकती है।

- सम्पादक

सामाजिक न्याय संदेश सदस्यता कूपन

मैं, डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका 'सामाजिक न्याय संदेश' का ग्राहक बनना चाहता /चाहती हूं/

शुल्कः वार्षिक सदस्यता शुल्क रू. 100/-, **द्विवार्षिक सदस्यता शुल्क रू.** 180/-, **त्रैवार्षिक सदस्यता शुल्क रू.** 250/-। (जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

मनीऑर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट नम्बर..दिनांक........................संलग्न है।

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/मनीऑर्डर **'डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन'** के नाम नई दिल्ली में देय हो।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

पता ....

....पिन कोड ....

फोन/मोबाईल नं.......................................ई.मेलः ....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित निम्न पते पर भेजिए :

डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन

15 **जनपथ, नई दिल्ली**-110 001 **फोन न.** 011-23320588, 23320589, 23357625

श्री थावरचंद गेहलोत
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री एवं अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
भारत सरकार

श्री कृष्ण पाल गुर्जर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
भारत सरकार

श्री विजय सांपला
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
भारत सरकार

RNI No. DELHIN/2002/9036

प्रकाशक व मुद्रक जी.के.द्विवेदी, द्वारा डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के लिए इण्डिया ऑफसेट प्रेस, ए-1,
मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110064 से मुद्रित तथा डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित।
सम्पादक : सुधीर हिलसायन